Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का पंचम् दिवस [संख्या ४

बुधवार, दिनांक २ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सार्वजनिक निर्माण, सहकारी, विकास, आयुर्वेद, पंचायत, आबकारी, उद्योग, वन, विद्युत, यातायात एवं चिकित्सा-विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा।

प्रतापगढ़-मन्दसोर सड़क की मरम्मत

६०. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ से मन्दसोर सड़क काफी खराब होकर बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क की मरम्मत गत साल से चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो कब तक पूरी सड़क ठीक हो जायेगी ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि इस सड़क पर काफी आवागमन रहता है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा): (१) सड़क की दशा साधारण है।

(२) मरम्मत का कार्य किया गया था जो पूरा हो गया है। आशा है आगामी वर्ष तक ठीक हो जायगी।

(३) जी हां।

श्री हरलाल मीणा : सड़क कितनी मील लंबी है ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रतापगढ़ से मन्दसोर २० मील लम्बी है लेकिन उसमें से राजस्थान की टैरीटरी में १२ मील और ६ फर्लांग और ७ मील दो फर्लांग मध्य प्रदेश की टैरीटरी में है।

श्री हरलाल मीणा : पूरे सब डिवीजन में १२-१३ मील लंबी सड़क है वह भी ठीक नहीं है। आते समय में देखता आया हूं।

श्री परसराम मदेरणा : यह टार रोड है। हमने १९६४-६५ में तीन मील का रीसरफेसिंग करवाया, १९६५-६६ इसी साल के अन्दर ४ मील करवाया, अगले साल दो मील। यह सारा रिपेयर्स के मद में से होता है उसमें इतने फण्ड्स नहीं हैं इसलिए जितना हो सकता है रीसरफेसिंग करवाया जा रहा है।

Page No. 2

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर) : प्रतापगढ की अजीब स्थिति है, यह चित्तौड़गढ जिले के अन्तर्गत है। चित्तौड़गढ से प्रतापगढ जाते समय मध्य प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था के संबंध में विचार कर रही है कि प्रतापगढ से सीधा ही चित्तौड़गढ को पक्की सड़क द्वारा मिलाया जाय ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : सड़क का प्रपोजल तो है, काम भी शायद चल रहा है चित्तौड़गढ से प्रतापगढ तक।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

वन श्रमिक सहकारी समिति, ग्राम उदयगढ

६१. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बांसवाड़ा को तहसील कुशलगढ के ग्राम उदयगढ वमुनी की वन श्रमिक सहकारी समिति की शेयर कैपिटल कुल कितनी है ?

(२) क्या यह सही है कि इस समिति में सरकार का हिस्सा भी है लेकिन सरकार ने अपने शेयर की रकम अभी तक समिति को अदा नहीं की है ?

(३) क्या यह सही है कि समिति द्वारा सदस्यों को वितरित की जाने वाली राशि में से सरकार का हिस्सा भी निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो बिना शेयर की राशि अदा किये सरकार यह हिस्सा पाने का हकदार कैसे है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : अध्यक्ष महोदय हमारे पास पूरी इन्फोर्मेशन नहीं आई है, मुझे एक सप्ताह का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई इन्टीरियर में रहते हैं, उसका इलाज नहीं है।

श्री भीमसिंह : बांसवाड़ा कलैक्टर से कह दिया है।

श्री अध्यक्ष : कोशिश जारी रखें।

श्री हीराभाई : यह सरकार की बड़ी कमजोरी रही है। आश्वासन तो हो जाय कि कब तक उत्तर आ जायगा, कल, परसों या ...

श्री भीमसिंह : एक सप्ताह।

श्री हीराभाई : बहुत लम्बा है।

श्री रामकिशन (वर) : आदिवासी और हरिजन अब भी पूछते हैं तो आप तौर पर आप टाल देते हैं।

सहकारिता मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : इस प्रश्न का जवाब बांसवाड़ा से रवाना हो चुका है, आज आने वाला था लेकिन पहुंचा नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

ग्राम नारायणपुर में पीने के पानी की व्यवस्था

६२. **श्री लक्ष्मीचंद** (पीपलदा) [श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) द्वारा पूछा गया] : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील पीपलदा के ग्राम नारायणपुरा के ग्रामवासियों के लिए पीने के पानी की बड़ी कठिनाई है, क्योंकि ग्राम में एक भी कुआ नहीं है और लोगों को पानी बहुत दूरी पर से नदी से लाना पड़ता है ?

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(२) क्या यह सही है कि ग्रामवासी बहुत गरीब हैं और कुआ बनवाने की स्थिति में नहीं हैं ?

(३) क्या सरकार अपनी ओर से इस ग्राम में कुआ बनवाने के लिए कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब आज नहीं आ सका। एक हफ्ता में जवाब दे सकूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने वशिष्ठी वाली बात कह दी, बाल्मीकी वाली नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंण्डावत : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्नकर्ता न आएं उनके प्रश्नों को बाद में लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्द सहाय :

आयुर्वेदाचार्य और भिषगाचार्य वैद्यों की वेतन श्रृंखला

६३. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) [श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) द्वारा पूछा गया] : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गुजरात तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि आयुर्वेदाचार्य तथा भिषगाचार्य वैद्यों को एम. बी. बी. एस. के समान ही ग्रेड दी जावेगी ? और क्या यह सही है कि इस निर्णय की प्रतिलिपि दोनों सरकारों ने राजस्थान सरकार को भेजी है ?

(२) यदि हां, तो राजस्थान सरकार ने अब तक उस पर विचार क्यों नहीं किया तथा आगे कब तक उक्त प्रांतों के अनुसार निर्णय लेने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आज जनसंघ के माननीय सदस्य सिवाय श्री जोधसिंह चौहान के निकाले गए क्या ?

श्री अध्यक्ष : आपके साथ सहानुभूति रखते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): सहानुभूति इन एडवांस है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

राजगढ़-सांगोद सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

६४. **श्री जुझारसिंह** (चेचट): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजगढ़-सांगोद रोड (जिला कोटा) पर अब तक कितनी जमीन सड़क के अन्दर आ चुकी है और उसका कुल कितना मुआवजा कृषकों को चुकाना है ?

(२) मुआवजा बनाने व भुगतान में देरी होने का क्या कारण है ? भुगतान कब तक हो जाने की उम्मीद है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा): (१) भूमि अवाप्ति का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है अतः मुआवजा क्या होगा, आंका नहीं जा सकता।

(श्री परसराम मदेरणा)

(२) भूमि अवाप्ति का ब्यौरा तैयार होने पर व राजस्व विभाग से एवार्ड प्राप्त होने पर मुआवजे का भुगतान हो सकेगा।

श्री जुझारसिंह : जमीन कब से अवाप्त कर ली गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : सड़क बनी नहीं है, अर्थ वर्क हुआ है।

श्री जुझारसिंह : कल्टीवेटर्स की जमीन तो ले ली गई है, अध्यक्ष महोदय। अर्थ वर्क हो या सड़क बने। काश्तकार की जमीन तो सरकार ने ले ली है इसलिये मुआवजों का काम शुरू होने के समय मिल जाना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो राज्य सरकार मानती है कि जिन काश्तकारों की जमीन सड़क के लिये अवाप्त की जाती है तो मुआवजा जल्दी से जल्दी मिलना चाहिये। इसलिये राज्य सरकार ने कुछ ही रोज पहले यह आदेश जारी किये हैं कि एक्वीजीशन आफिसर पी. डब्ल्यू. डी. के मातहत ही रहेगा जो एक्वायर की प्रोसिडिंग्ज जल्दी से जल्दी हो सके। इसके लिये व्यवस्था करेगा। तहसीलदार और एस. डी. ओ. को लिख दिया गया है कि देरी क्यों हुई है और पी. डब्ल्यू. डी. के आफिसर्स ने क्यों नहीं किया है और क्यों देर हुई है। इसकी जांच की जा रही है और जांच से जो भी एसिस्टेन्ट इंजीनीयर या एक्जीक्यूटिव इन्जीनीयर्स दोषी पाये जायेंगे, तो उनको दंड दिया जावेगा।

श्री जुझारसिंह : असिस्टेन्ट इन्जीनीयर और एक्जीक्यूटिव इन्जीनीयर्स का सवाल नहीं है। कई दूसरी एजेन्सीज भी आती हैं, जिनकी वजह से केसेज डिले होने से मुआवजा किसानों को नहीं मिलता है। जितनी एजेंसीज आती हैं उनको कोऑर्डिनेट करके मुआवजा काश्तकारों को मिलना चाहिये। ऐसे केसेज हैं कि दस दस वर्ष तक भी काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला है और यह कह कर प्रश्न टाल देते हैं कि रेवेन्यू वाले नहीं देते हैं। भीम सागर का भी अभी तक नहीं मिला। जो मुआवजा बनाने वाली एजेन्सीज हैं, उनको टाइम पर मुआवजा की प्रोसीडिंग्ज बनानी चाहिये। आपके, अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कई आदेश हो चुके हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई इस सम्बंध में अब तक व्यवस्था नहीं हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : मुआवजा दिया जाना चाहिये इसमें कोई ऐतराज नहीं है। इस मामले में दो ही आथोरिटीज आती हैं। इस पर्टीक्युलर क्वेश्चन में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि रेवेन्यू आथोरिटीज को मूव किया तो लेट किया। इसलिये मैं जिन आफिसर्स की इस संबंध में रेस्पोन्सिबिलिटी है उनके खिलाफ इन्क्वायरी का सवाल उठाया है। लेट चिट्ठी लिखी फरवरी के महीने में। उसके पहले क्या कर रहे थे, इसलिये जांच करना जरूरी है। ऐसे केसेज हैं जिनमें कम्पैन्सेशन नहीं मिला है इसीलिये एक्वीजीशन आफिसर अपोइन्ट किया गया है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : एक्वीजीशन ऑफिसर ने क्या किया है और क्या नहीं किया है और काश्तकारों ने क्या नहीं किया है यह सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि काश्तकारों से जमीन ली गई, तो उनको अब तक मुआवजा क्यों नहीं मिला ? आप कन्सोलेशन देते हैं। पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री लिखते हैं, रेवेन्यू मंत्री को। लेकिन काश्तकारों को टाइम पर

(श्री दलपतसिंह)
क्यों नहीं मिलता है ? कोई सिम्पल तरीका निकाल कर फौरन ही काश्तकारों को मुआवजे दिलाये। यह क्या है कि दस दस साल तक लोगों को मुआवजा न मिले और उनको उसके लिये तरसना पड़े। आप कोई सुनते नहीं।

श्री परसराम मदेरणा: राज्य सरकार आपकी बात पर विचार करेगी। काश्तकार के नाम से ही मैं अवार्ड दे दूं ? आखिर डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ है। जब तक रेवेन्यू ऑफिसर अवार्ड न दें, जिसको मुकर्रर किया जाता है, हम काश्तकारों को मुआवजा देना चाहेंगे, तब भी मुआवजा नहीं दे सकेंगे; इसलिये कानून का कुछ न कुछ भुगतान तो करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी उनको मुआवजा मिले, इसमें किसी की कोई दो राय नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको मिले और हम इसके लिये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): रूल ऑफ लॉ का कहा जाता है। अजीब रूल ऑफ लॉ है आपका। यह तो रेड टेपिज्म और ढिलगाई की बात है। कोई क्लानिंग वगैरह नहीं। सदन में साढे चार साल से ये प्रश्न बार बार यहां आते हैं और उनका स्टीरियोटाइप जवाब दे दिया जाता है यों या त्यों। यह केवल एक एस्केपिज्म है। सरकार के लिये एक भद्दी सी बात है। आपको बार बार कहा गया है कि सड़क बनने से पहले आपड़ों की, जिनकी जमीन आये, पहले उनका मुआवजा तय करिये कि इतनी जमीन आ जावेगी, इतने खेत कटेंगे, उनको सड़क बनने से पहले ही मुआवजा दे दें। पहले की सरकार इसी प्रकार करती थी। रूल ऑफ लॉ यह क्या है, यह तो कम्पलीट एनार्की है।

श्री परसराम मदेरणा: (कुछ माननीय सदस्यों के प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर) मुझे जवाब देने दीजिये। रेड टेपिज्म का जहां तक सवाल है और यों और त्यों का सवाल है इसका सीधा सा उत्तर यह है कि रेड टेपिज्म है उसके टेप को हम काटने की कोशिश करेंगे। इन केसेज में देरी हुई है तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले। इसके लिये ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। और हम भी मानते हैं कि उनको मुआवजा शीघ्र मिलना चाहिये। नहीं मिलने का कारण मैंने बता दिया और हम यह कोशिश करेंगे कि किस कारण से देरी हुई है, उसकी जांच की जाय और जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाय।

श्री केसरीसिंह (पाली): पहले मैंने यहां एक सजेशन दिया था कि जो जमीन एक्वायर कर ली जाती है उसका मुआवजा फिक्स करने में देरी हो जाती है तो उसको एडहोक बेसिस पर बीघोड़ी का बीस-तीस गुना मुआवजा तो फौरन ही मिल जाना चाहिये। मंत्री महोदय ने इसको स्वीकार भी किया था। फिर जब ये केसेज आते हैं तो आप बार बार यह आश्वासन देते हैं कि करवा रहे हैं तो बीघोड़ी का बीस या तीस गुना इन्टेरिम मुआवजा क्यों नहीं दे दिया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा: इसलिये नहीं दिया जा सकता कि एलाइन्मेन्ट पहले बना लेते हैं तो पब्लिक का ऐसा प्रेशर हो जाता है कि इन खेतों को बचाना पड़ेगा। वही अलाइनमेन्ट रखते हैं तो पी. डब्ल्यू. डी. के लोगों के साथ मारपीट हो जाती है और हुई है इसलिये वह अलाइनमेन्ट चेन्ज हो जाता है। पर्टीक्यूलर उन्हीं खेतों को रखें यह नहीं

Page No. 6

(श्री परसराम मदेरणा)

हो सकता है इसलिये कई बार सड़क को टर्न दिया जाता है, इसलिये पहले अलाइनमेन्ट करना संभव नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अलाइनमेन्ट की बात एक लेम एक्सक्यूज है। इसमें करप्शन है। अलाइनमेंट की तोड़-मरोड़ में बिडिंग होती है। कर्मचारी रुपया खाते हैं और खाकर सड़क को इधर उधर कर देते हैं। सरकार के लिये तो सीधी सटक बात है कि एक फर्म का अलाइनमेन्ट हो जाय उस अलाइनमेन्ट को लेकर कोई लाभ हो, what is all this कोई फाइनेलिटी नहीं इधर मरोड़ो, उधर मरोड़ो, कहीं दो सौ और कहीं चार सौ। इस प्रकार अलाइनमेन्ट चलायेंगे तो ये आरोप लगायेंगे जरूर कि यह आपकी हठधर्मी है कि जो कुछ कहना है कहिये। आपको विरोधी पक्ष की बात समझनी चाहिये, वस्तुस्थिति और सिद्धांत की बात समझनी चाहिये। आप अपना आचरण शुद्ध करके हमारी बात सुनकर कोई व्यवस्था करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो यह असन्तोष बढ़ेगा, घटेगा नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार की हठधर्मी का कतई प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार भी करप्शन मिटाना उतना ही चाहती है जितना विरोधी पक्ष। कोई करप्शन होगा तो उसको उखाड़ कर फैंक देंगे। वेग चार्ज लगाने से मतलब नहीं है। करप्शन का पर्टीक्युलर चार्ज पेश करें कि कौन पैसे मांगते हैं; निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। प्रोटेक्ट करने की कतई राज्य सरकार की मंशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने एक बात कही कि भूमि अवाप्ति ऑफिसर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आ गया है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): ऐसा है कि पहले हमारे पास सारे लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर्स थे। इकोनोमी में कट हो कर एक ही लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर पी. डब्ल्यू. डी. में रहा। आपने फरमाया कि इसको एक्सपीडाइट करने की जरूरत है। अब हर सर्किल में एक एक लैंड एक्वीजीशन आफिसर नियुक्त किया है। बैक-लोग इतना हो गया है, नया भी आ गया है इसलिये मैंने यह कहा कि इसमें टाइम निर्धारित कर दिया जाय कि इतने समय में बैक-लोग खत्म कर दें और नये भी। डिले कम हो सके, उसके लिये लीगल काम्पलीकेशन्स हैं, तो उसके लिये हम एन्क्वायर कर लेंगे, कोई लॉ में चेन्ज करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। जिस प्रकार टीनेन्सी कानून, रेवेन्यू कानून के लिये कमेटी बिठायी जाती है उसी प्रकार इसके लिये भी विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बिठायी जा सकती है जो इसकी सिम्पलीसिटी के बारे में सुझाव दे सके। We can amend the law. We are M. L. As. we can simplify the law, we can amend the law, we can suggest to expedite the payment of compensation.

श्री अध्यक्ष : एक कमेटी बनायी थी इसके लिये ?

श्री दलपतसिंह : हमारा पीरियड विधान सभा का चला जायगा और कम्पेन्सेशन तय नहीं हो पायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में पुनर्विचार करके संशोधन किया जा सकता है ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : अगर कमेटी नहीं बनी हो तो बनादी जाय, आखिर यह कार्य राजस्थान का ही है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इनमें ऐसे केसेज भी हैं जो दस दस साल के विचाराधीन हैं, दस साल से लोगों को मुआवजा नहीं मिला है ।

एक माननीय सदस्य : मुआवजा तो दूर रहा, रेवेन्यू कर वसूल किया जा रहा है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो बैक-लॉग का प्रेशर है उसके संबन्ध में कमेटी बिठा कर उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, इसमें तो आपको ऐतराज नहीं होना चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : कमेटी इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करेगी ? यह तो लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर के अधिकार की बात है ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : रेवेन्यू अधिकारी काम करते नहीं, आप यहां पर आश्वासन देते हैं उस पर अमल होता नहीं; तो फिर आपके यहां बैठे रहने से क्या फायदा है, आप इस्तीफा देकर चले जाइये ।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : जमीन के साथ में क्रोप्स का भी नुकसान होता है । टाइम पर अवार्ड नहीं देने से क्रोप्स का मुआवजा काश्तकार को नहीं मिल पाता । अभी सड़क बन रही है । अभी जो क्रोप्स हैं वे डेस्ट्रॉय हो रही हैं । साल छः महीने के बाद यदि मुआवजे पर कन्सीडरेशन होता है तो काश्तकार को फसल का नुकसान जो हुआ उसको वह प्रूव नहीं कर सकता । वैसी हालत में उसको उस समय फसल का मुआवजा नहीं मिल पाता, केवल जमीन का मुआवजा मिलता है, इसलिये मेरा निवेदन है कि जमीन का मुआवजा विलम्ब से होने से काश्तकार को नुकसान होता है, उसके लिये सरकार को सोचना चाहिये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें दो, तीन, चार और पांच साल पुराने केसेज भी हैं । इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिये विधान सभा सदस्यों की कमेटी कायम की जाती है तो इसमें कौनसी बुरी बात है, आपको इसमें सहूलियत ही होगी इससे पुराने जो केसेज हैं उनको सुव्यवस्थित ढंग से डिस्पोज ऑफ करने के लिये सहूलियतें होंगी ।

श्री केसरीसिंह : आप लॉ के अन्दर अमेन्डमेन्ट ले आइये ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन ।

समेरगंज मार्केटिंग सोसाइटी को बीज की सप्लाई के लिये दी गई धनराशि की वसूली

६५. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां–पु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की इटावा पंचायत समिति के उस समय के विकास अधिकारी ने सुमेरगंज मंडी की मार्केटिंग सोसाइटी के नाम पर लालचन्द नामक व्यक्ति ने गत एक दो वर्ष में गेहूं का बीज सप्लाई के नाम पर चालीस हजार

(श्री दयाचन्द सोन)
रुपया एक मुश्त दिया था ? यदि हां, तो कि नियम से और क्या कार्यवाही करके दिया ?

(२) क्या यह सही है कि लालचन्द ने मार्केटिंग सोसाइटी के नाम पर फर्जी कार्यवाही की है ?

(३) क्या यह सही है कि उस समय सुमेरगंज मंडी मार्केटिंग सोसाइटी बन्द पड़ी हुई थी और उस चाल से हजार रुपयों का कोई जमा खर्च नहीं हुआ है ?

(४) क्या यह सही है कि लालचन्द ने अभी तक चालीस हजार रुपयों का माल सप्लाई नहीं किया है । यदि यह सही है तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है ? उसको किस तारीख को रुपया दिया गया और उसने किस किस तारीख में कितने कितने रुपयों का क्या क्या माल सप्लाई किया और बिल किस नाम से बनाकर दिये हैं ?

(५) क्या यह सही है कि लालचन्द द्वारा की गई यह कार्यवाही धोखादेही एवं फर्जी है ? यदि हां, तो फिर इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है इसमें किस किस अधिकारी व कर्मचारी का हाथ है ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी नहीं । पंचायत समिति द्वारा सनबीजा खरीदने के लिये श्री लालचन्द अग्रवाल को मार्केटिंग सोसाइटी, सुमेरगंज मंडी के अध्यक्ष की हैसियत से दो किश्तों में कुल ४०,००० रु० दिया गया था । यह रकम पंचायत समिति की कृषि स्थायी समिति की स्वीकृति से दी गई थी ।

(२) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह कहा जा सके कि फर्जी कार्यवाही हुई है ।

(३) जांच कार्यवाही की जा रही है ।

(४) ३२,४०५ रु० ३६ पैसे का माल सप्लाई किया जा चुका है व शेष रकम की वसूली की जा रही है । रकम दिनांक २१-२-६४ व ३१-३-६४ को दी गई । ३२,४०५ रु० ३६ पैसे का माल दिनांक २३-७-६४ को सप्लाई किया, जिसका बिल श्री लालचन्द अग्रवाल के नाम से था ।

(५) कलेक्टर को जांच करने के लिये लिखा गया है कि वे १५ रोज में जांच करके रिपोर्ट भेजें । जांच पूरी होने पर ही सही स्थिति की जानकारी हो सकेगी ।

प्रश्न संख्या ६६

श्री अध्यक्ष: श्री मजलिस खां ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

सरदारशहर का शराब का ठेका

६. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या आबकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

सरदारशहर कस्बे का शराब का ठेका किसको दिया हुआ है और सरदारशहर तहसील के किन किन गांवों में [illegible] शराब की दूकानें चालू कर रखी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उप-मंत्री, आबकारी (श्री परसराम मदेरणा): देशी मदिरा की दूकान सरदारशहर का ठेका श्री रजाक खां, श्री सुजान खां व श्री नत्थू खां को दिया हुआ है और सरदारशहर के साथ दो उप-दूकानें (१) फोगा व (२) गेहरी चालू रखी है ।

श्री रावतराम : क्या इन दो दूकानों के अलावा तहसील में और दूकानें नहीं हैं ? अध्यक्ष महोदय, लगभग पचास गांवों में अलग अलग शराब नियमित रूप से बेची जाती है। प्रोहिबिशन एक्ट के अन्तर्गत वह उचित नहीं है, फिर वहां का ठेकेदार पूरी तहसील में जीप के जरिये शराब पहुंचाता है, पचास ठेके हैं, आप जांच करवाइये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस ठेकेदार को, सरकार की ओर से एक दूकान है उसके साथ उसने दो उप-दूकानें खोल रखी हैं। इसके अलावा दूसरी जगह अगर उसने दूकानें खोल रखी हैं तो उसकी इन्क्वायरी कराऊंगा कि वस्तुस्थिति क्या है।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, उन दूकानों पर कई आदमी बैठा रखे हैं, उनके साथ ठेका करके उनको उसने दूकानें दी हैं और वह ठेकेदार बराबर अपनी जीप से शराब उनको पहुंचाता है। सरदारशहर तहसील ही नहीं, एक एक तहसील में बीस-बीस ठेके हैं। मेरे सरदारशहर में कम से कम ४० ठेके दिये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य जिन गांवों का उल्लेख कर रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करके जिन गांवों में इस प्रकार शराब की अनधिकृत दूकानें हैं उनके बारे में जांच करके आपको इत्तला करूंगा।

श्री रावतराम : आप अपने विभाग के जरिये जांच करवाइये। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं कि कहां कहां ठेका बना रखा है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं माननीय सदस्य से बात करूंगा।

श्री रावतराम : आप अपने महकमे से जांच करवाइये।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा उसमें तथ्य है। कई जगहों से ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। गारन्टी सिस्टम की वजह से शराब की खपत पूरी हो, इसलिये विभाग वाले कई दफा ढिलाई कर देते हैं; एक दूकान के बजाय चार-पांच दूकानें खुलवा देते हैं। यह स्थिति इस प्रकार की है या नहीं, कृपा करके आप इस बारे में जांच करें।

(विराम)

नैक्स्ट।

सांभर झील के कैचमेन्ट एरिया में तालाबों के निर्माण का प्रभाव

६८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सांभर झील के कैचमेन्ट एरिया में तालाब बना दिये गये हैं जिस कारण सांभर झील जितनी भर जानी चाहिये अब भरती नहीं ?

(२) यदि हां, तो कितने तालाब बने ?

(३) इन तालाबों के कारण सांभर झील में कितना पानी कम आया ?

Page No. 10

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(४) क्या सरकार ने अध्ययन किया है कि इन तालाबों के बनने से कितने अन्न का अधिक उत्पादन हुआ और नमक के उत्पादन में कितनी कमी हुई ?

(५) इससे राष्ट्रीय आय को हानि पहुंची या लाभ मिला ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) कैचमेन्ट एरिया में कुछ रपट व एक उटड़ा बांध बनाया गया है, मगर इनके कारण झील के भरने पर कोई असर नहीं पड़ा है ?

(२) कुछ रपट और एक बांध।

(३) इनके कारण पानी के आने में कोई कमी नहीं हुई है।

(४) जी नहीं, ऐसा अध्ययन नहीं किया गया है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अभी आपने बताया, तालाब कैचमेन्ट एरिया में बनाने पर भी पानी के आने में फर्क नहीं पड़ा; मुझे यह समझा दीजिये कि पानी की कमी कैसे नहीं हुई ?

श्री चन्दनमल वैद : दो साल से कम वर्षा होने के कारण सांभर झील में कम पानी आया। इस बांध के बनने से पहले सॉल्ट डिपार्टमेन्ट से पूछ लिया गया था; उन्होंने कहा कि बांध बना लीजिये। वर्षा की कमी होने के कारण बांध नहीं भरा है। बांध बनने के कारण सांभर झील में कम पानी आया हो, यह बात नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जब आपने कैचमेन्ट एरिया में बांध बना लिया तो पानी की कमी नहीं होगी ?

श्री चन्दनमल वैद : सांभर झील में पानी बहुत दूर दूर से आता है। किशनगढ़ और अजमेर के आसपास जो नदियां हैं उनसे पानी आता है। उसमें पानी आने देने के लिये हजार क्वायर मील का एरिया है। रपट और तालाब बनने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या उस एरिया में तालाब बनाने के लिये सॉल्ट डिपार्टमेन्ट ने मन्जूर कर लिया था ?

श्री चन्दनमल वैद : यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि सॉल्ट डिपार्टमेन्ट से पूछा गया था, उनकी अनुमति के बाद बनाया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त की है कि और क्या इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि सांभर झील का कैचमेन्ट एरिया कितना है और जो यह बांध बनाया गया उसका कैचमेन्ट एरिया कितना है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह टेक्निकल सवाल है। फिर भी यह जो बांध बना है इसको सांभर झील के कैचमेन्ट एरिया में कहा जा सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस बात की रिपोर्ट आई होगी। उसमें कहीं इस सम्बन्ध में उल्लेख है कि सांभर के अन्दर जो पानी जाता है उसमें इससे कुछ कमी होगी। आपने कहा कि इसकी कोई आशंका नहीं थी। तो यह तो सीधा-सादा प्रश्न है कि जब कैचमेन्ट एरिया में वह बांध पड़ता है तो आप यह बताएं कि सांभर का कैचमेन्ट एरिया कितना था और उसमें बने बांध का कैचमेन्ट एरिया कितना है। इस बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं तो फिर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास ही क्या करेंगे ?

Page No. 11

श्री चन्दनमल वैद : मैं बता चुका हूं कि बांध बनाने से पहले सॉल्ट डिपार्टमेन्ट से पूछ लिया गया था। उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह कहा कि बना लीजिये; इसलिये बनाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : वह कहेगा तो और भी बांध बना दिये जावेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : वे अनुमति देंगे और हम आवश्यकता समझेंगे तो और बनाये जावेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह टैक्निकल प्रश्न है, सॉल्ट डिपार्टमेन्ट इसमें एक्सपर्ट नहीं है; इसके लिये इरीगेशन के टैक्निशियन्स चाहियें। इसे इरीगेशन के टैक्निकल एक्सपर्ट ही सोल्व कर सकते हैं। अगर सांभर लेक का और इसका कैचमेन्ट एरिया एक ही है तो फिर यह प्रश्न टैक्निकली एस्टेब्लिश होना चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद : जी हां। इसको बनाने से पहले चीफ इन्जीनियर, इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट से पूछ लिया गया था। इससे सांभर झील में पानी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप उस चीफ इन्जीनियर, इर्रिगेशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने को तैयार हैं ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इससे कितने भाग में सिंचाई करने की योजना है ?

श्री **चन्दनमल वैद** : यह इर्रीगेशन विभाग बता सकता है।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(विराम)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : इस प्रश्न नम्बर ७० को पूछने की इजाजत दी जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ७०।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : यह फलां महकमा से पूछने की बात बार बार कही जाती है। हम यह मान कर चलते हैं कि जो उत्तर दिया जाता है वह सरकार की तरफ से दिया जाता है, चपरासी की तरफ से नहीं दिया जाता। अब आप जो उत्तर दे रहे हैं वह सरकार की ओर से दे रहे हैं या और कोई दूसरी स्थिति है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। यह छोटे मोटे बांध का भी प्रश्न नहीं है। यह जो इन्टरस्टेट इम्पोर्टेन्स का प्रश्न है। आप यह कह कर मोयरली इसे यों ही डिस्पोज ऑफ करना चाहें और गम्भीरता से इसे नहीं लेते हैं तो मेरे ख्याल से यह उचित नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : मैं नम्र शब्दों में अर्ज करना चाहता हूं कि सॉल्ट डिपार्टमेन्ट को बांध बनाने से पहले पूछ लिया गया था और उनकी अनुमति से ही बनाया गया था। यह प्रश्न साफ है और स्पष्ट है। इसके अनन्तर कोई वाद उठना नहीं चाहिये।

Page No. 12

श्री **मानिकचन्द सुराना** : उनकी अनुमति होने के बावजूद क्या अब आपने प्रेक्टिकली अनुभव के आधार पर यह महसूस किया है कि बांध बनाकर आपने उचित नहीं किया और इससे कोई फायदा नहीं हुआ ?

श्री **चन्दनमल वैद** : जी नहीं। हमारी मान्यता है कि सांभर लेक में पानी जाने में बाधा नहीं हुई है। यही सॉल्ट डिपार्टमेन्ट का मानना है और चीफ इन्जीनियर, इरिगेशन का भी मानना है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : इरिगेशन के पर्पज से जो आपने बनाया उसमें फायदा हुआ कि नहीं, यह बताएं ?

प्रश्न संख्या ६९।

श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न संख्या ७०।

श्री **हीराभाई** (कुशलगढ़) : इसमें तो नुकसान हुआ, यह कहना चाहिये।

कपड़ा उद्योग द्वारा विद्युत् का उपयोग

७०. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गांधी सागर विद्युत् परियोजना के कुल विद्युत् प्रदाय का लगभग ४० प्रतिशत देहली क्लोथ मिल्स उपयोग कर रहा है ?

(२) इस संस्था की कुल नियोजन क्षमता क्या है ? श्रमिकों के अंक बताएं ?

(३) इतनी बड़ी मात्रा में केवल एक ही व्यापारिक संस्था को जिसकी नियोजन क्षमता कम है तथा जो राज्य की अर्थ व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सहायक नहीं है, विद्युत् वितरण को सरकार किस प्रकार वांछनीय समझती है ?

(४) क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि एक ही व्यापारिक संस्था को इतनी अधिक विद्युत् देने के परिणाम स्वरूप विद्युत् प्रदाय असंतुलित हो गया है ?

(५) राजस्थान में कपड़ा उद्योग द्वारा विद्युत् का कुल कितना उपभोग किया जाता है तथा उसकी कुल नियोजन क्षमता कितनी है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां।

(२) इस संस्था में करीबन १४३० व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

(३) अब हमारे पास काफी मात्रा में बिजली उपलब्ध होती है और उसका कोई उपभोक्ता बिजली के लिये प्रार्थना-पत्र पेश करता है तो हमें अनिवार्य रूप से उसे बिजली देनी पड़ती है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) राजस्थान में कपड़ा उद्योग द्वारा १९६४-६५ में ३,२३,३७,१९८ यूनिट का उपयोग किया गया था। राजस्थान में कपड़ा उद्योग में करीब १२,००० व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जा रहा है।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या यह बताने का मन्त्री महोदय कष्ट करेंगे

Page No. 13

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
कि यह जो बिजली आप दिल्ली क्लॉथ मिल्स को दे रहे हैं यह कुल राजस्थान की बिजली का कितना प्रतिशत है जो इस एक ही संस्थान को दी जा रही है ?

श्री चन्दनमल वैद : गांधी सागर का प्रतिशत पूछा वह बता दिया । अब सारे राजस्थान के मुकाबले में उनको क्या पड़ता है, इसके आंकड़े मैं लेकर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : कपड़ा उद्योग में जितनी बिजली खर्च हुई है उसका कुल का मेजर पोर्शन क्या इस एक संस्थान को दिया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां । गाधी सागर का चूंकि मेजर पोर्शन यही कन्ज्यूम करती है, तो इस अनुपात से भी इसे अधिक मिलती है दूसरों से ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जब कि इतना बड़ा पॉवर फेमीन राजस्थान में है तो क्या सरकार ने इस बात को एग्जामिन किया है कि इस संस्थान को जितनी बिजली दी जा रही है और उससे जितना राजस्थान को लाभ हो रहा है वह अगर दूसरे उद्योगों को दी जा सके तो उससे क्या अधिक लाभ नहीं हो सकता ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जहां तक कटौती का प्रश्न है, उन पर भी उतनी ही कटौती लगाई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कटौती का प्रश्न यहां नहीं है । राजस्थान की सारी पॉवर का बीस प्रतिशत आपने इनको दे दिया, क्योंकि पचास प्रतिशत पर गांधीसागर डैम आ जाता है और इससे १,४३० आदमियों को इसने एम्पलॉयमेन्ट दिया । अब अगर यही बिजली मीडियम और माइनर इन्डस्ट्रियों को अधिक देकर क्या एम्पलॉयमेन्ट पोटेन्शियेलिटी पर इसका जो इम्पेक्ट होगा, उस पर भी सरकार ने विचार किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या राजस्थान में बिजली की कटौती की आवश्यकता आप को पड़ी, तो आप इस अकेले एक ही संस्थान को बिजली देना बन्द कर देते तो उद्योगों पर और उपभोक्ताओं पर और अनेकों छोटी मोटी इन्डस्ट्रियों पर बिजली की कटौती करने की आवश्यकता पड़ती ?

श्री हरिश्चन्द्र : बन्द करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता । बन्द कैसे करते ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात अलग है कि आपके उनसे क्या कमिटमेन्ट्स हैं ? पर राजस्थान के हित में क्या अधिक अच्छा है, इस दृष्टि से अगर विचार करके एक को बन्द भी यदि करना पड़े और उससे और सारी अन्य इन्डस्ट्रियों को पूरा पूरा लाभ मिले, एम्पलॉयमेन्ट पोटेन्शियेलिटी बढ़े तो क्या गवर्नमेन्ट इस बात को करना उचित नहीं समझती कि उस एक को बन्द कर दिया जाता ? इस बात की पहले भी बहस आ चुकी है कि आपने इससे गलत एग्रीमेन्ट किया । इतना बड़ा परसेन्टेज इसको देकर आपने सारे राजस्थान में पॉवर का फैमीन कर दिया । आप अब भी सोचिये, आप उस एग्रीमेन्ट से लीगली भी निकल सकते हैं । बिजली की कमी नेचुरल थी ; beyond your control. कानूनी तौर से यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कन्ट्राक्ट आप रिवोक कर सकते हैं । आप अपने लीगल एक्सपर्टों से पूछिये और इस बुनियाद पर जिससे केवल १,४०० को ही आधी पॉवर कन्ज्यूम होने पर भी एम्पलॉयमेन्ट मिल रहा है तो उसका पॉवर पूरा कट कर दीजिये और दूसरे उद्योगों को ज्यादा दीजिये; उससे राजस्थान का ज्यादा फायदा होगा, अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेन्ट मिलेगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें लीगल एक्सपर्ट से राय लें; जैसा रामानन्द जी ने कहा. यह अलग प्रश्न है । पर एक बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आपने प्रत्येक कन्ज्यूमर को परेशान कर दिया है और मजबूर कर दिया है कि वह अपना कन्ज़म्प्शन रोज देखे । आज ६ यूनिट हो गया, अब १२ हो रहा है । आप इस तरह से प्रत्येक छोटी-मोटी इन्डस्ट्री का गला घोंट रहे हैं, यह कह कर कि २५ परसेन्ट कटौती करिये । आपने आटे की चक्कियों को भी कटौती से नहीं छोड़ा । तो क्या आप यह चाहते हैं कि अनाज नहीं पीसा जावे ? वैसे ही देश में अन्न की कमी है और फ्लोर मिलों को भी कहना कि तुम भी कम करो तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में ऊन का उद्योग है, यह कहना कि आप ऊन की गांठों का प्रेसिंग कम करिये, बिजली का कम उपयोग करिये; तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हाथ से गांठें बांधना शुरू कर दें ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी बिजली की कटौती राजस्थान भर में हुई है वह रुक सकती है, अगर इस एक उद्योग को थोड़े समय तक बन्द कर दिया जाता । इससे कोई राजस्थान का नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी एक कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तो ३॥ लाख का फायदा प्रत्येक वर्ष में राजस्थान को होगा तो इतना बड़ा फायदा हो एक तरफ तो बन्द करने से और दूसरी तरफ राजस्थान भर के सारे उद्योग धन्धे तेजी से चल सकें तो दोनों तरफ इससे लाभ ही लाभ हैं। लेकिन एक उद्योग को फीड करने के लिए आप १ करोड़ रुपये का गैस टरबाइन मंगा लें और उसके जरिये क्योंकि इस बड़े उद्योग को तो बिजली देनी ही है यह एक करोड़ या सवा करोड़ रुपया यदि आप माथुर साहब को दे देते तो शायद ये कुछ पॉवर्स जो पलाना की खान का ओपन कास्ट का प्रोजेक्ट है वह कुछ शक्ल में आ सकता था या फिर यह कर दिया जाये कि यह पलाना का प्रोजेक्ट इनके हाथ से ले लिया जाये और इसको बिजली के प्रोजेक्ट में ले लें, ताकि यह बिजली का संकट हमेशा के लिए खत्म हो ।

अध्यक्ष महोदय, इस बिजली के संकट से ऑर्डिनरी कन्ज्यूमर इतने परेशान हैं कि उनकी आज हालत खराब है । रोज डिस्कनेक्शन के नोटिस, रोज १० रुपये की पैनल्टी और आम आदमी का जीवन परेशानी में है । रात को वह सो नहीं सकता । उसको यही चिंता रहती है कि कहीं बिजली खुली तो नहीं रह गई है । इस तरह की परेशानी पैदा कर रखी है; इन चरतराम और भरतराम की दोस्ती को खत्म कीजिए । मुख्य मंत्री महोदय को तो जाना ही है, ४-६ महीने में चले जायेंगे । इसलिए इस दोस्ती को खत्म कीजिए और इस बिजली की आम कटौती को बन्द कीजिए ।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,...

Page No. 15

श्री रामकिशन (वैर) : काहे का ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : That you will know. I am now addressing the Chair.

कुछ माननीय सदस्य : आप हिन्दी में ही बोल लीजिए ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही जरूरी चीज है कि हिन्दी बोलें माननीय सदस्य क्योंकि जब राज्यपाल महोदय ने घोषणा की है कि हिन्दी का प्रयोग ६८ तक बिल्कुल हो जायेगा तो माननीय सदस्य उनकी घोषणा का पालन तो करें । अंग्रेजी भी बोलते हैं तो गलत बोलते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि प्रश्नों के लिए आपकी व्यवस्था है और आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी है कि कैसे प्रश्न किये जा सकते हैं, क्या प्रश्न अलाऊ हो सकते हैं ।

यहां पर यह चाहिये कि हमको कुछ कन्ट्रोल आप कीजिये....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या हुआ, यह तो पोइन्ट ऑफ एडवाइस है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): यह चेयर के लिये गाइडेन्स कर रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा -(रायसिंहनगर) : This is a point of guidance to the Chair.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बड़े सुन्दर !

अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं और रूलिंग को रिपीट करवाना चाहता हूं । जो प्रोसीजर दिया हुआ है और जो हमारे नियम हैं, जिनकी दुहाई हमेशा लेते रहते हैं जिन रूल्स को कोट कर करके ११९ और १८२ में अधिकार नहीं है चेयर को, तो इस तरह की उनके लिये दुहाई देते हैं और यहां जो कुछ होता है उसके लिए हमें कन्ट्रोल कीजिये और उन रूल्स में जो है स्ट्रिक्टली वह लागू होना चाहिये । हमको और कई मौके मिलते हैं डिस्कशन करने के तब कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं । मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : पहले अपने मंत्रिमण्डल को तो ट्रेनिंग दिला कर लाइये । वे प्रश्नों की भाषा ही नहीं समझते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं रूलिंग चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपने बात कही, मैंने सुनली । रूलिंग की क्या जरूरत है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने सुनली, ठीक है; लेकिन हमको गाइडेन्स चाहिये रूल्स के माफिक । यदि आप नहीं रोकते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, चाहे जो कुछ कहें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मंत्री जी कहदें, जो कुछ कहना चाहते थे ।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि डी० सी० एम० की हमने एम्प्लॉयमेन्ट पोटेन्शियल बढ़ाई नहीं है, लेकिन डी० सी० एम० का जो मेन है वह फोरिन एक्सचेन्ज अर्न करता है और उसकी कैपेसिटी काफी है । डी० सी० एम० दो चीजें बनाती हैं; एक तो पी० वी० सी० और

(श्री हरिश्चन्द्र)
दूसरे कास्टिक सोडा । यह फैक्टरी फोरिन एक्सचेन्ज कर रही है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितना ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह फिगर नहीं है, लेकिन वह अर्न कर रही है पी० वी० सी और कास्टिक सोडा बनाकर । उसका रॉ मेटीरियल पॉवर है इसलिये नेचुरल है कि पॉवर की खपत ज्यादा होनी चाहिये । अब यह कहना कि इस इन्डस्ट्री को यहां क्यों लगवाया तो मैं समझता हूं कि सब माननीय सदस्य इसको चाहते हैं कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिये

श्री हीराभाई : किसी ने नहीं कहा ।

श्री चन्दनमल वैद : सबने कहा । आप उस समय नहीं थे ।

श्री हरिश्चन्द्र : सब चाहते हैं; आप चाहते हैं या नहीं, लेकिन majority of the people want it. इसके तहत फैक्टरी भी कोटा में लगी है और यह फोरिन एक्सचेन्ज अर्न कर रही है और इस संकटकालीन स्थिति में जब कि पॉवर की शॉर्टेज है उनके साथ कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ है । उनकी भी इतनी ही कटौती करनी पड़ी है जितनी कि औरों के ऊपर लगी है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने गैस टर्बाइन लगाने के बाद कोटा की इन्डस्ट्री में जितनी कटौती थी वह अब भी चालू है ?

श्री अध्यक्ष : वह तो अभी शुरू नहीं हुआ है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या मंत्री महोदय! आपकी जानकारी में है कि कास्टिक सोडा अब कोई फोरिन एक्सचेन्ज अर्न नहीं करता क्योंकि दुनियां में ऐसे कन्ट्रीज हैं जहां कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हमारे देश से कहीं ज्यादा है....

श्री हरिश्चन्द्र : वह पी० वी० सी० और कास्टिक सोडा दोनों बना रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन कास्टिक सोडा कोई फोरिन एक्सचेन्ज अर्न नहीं कर रहा है क्योंकि एटोमिक प्लान्ट के बाद और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन आपके इंडिया में सबसे कम है, दूसरे कन्ट्रीज में बहुत चीप रेट पर बिजली मिलती है और बिजली बहुत है । आप एक्सपर्ट की ओपिनियन पढ़िये और छोटी-मोटी कम्पनीज का मेसेकर रथलेस हो गया है । फोरिन एक्सचेन्ज का आप बहाना मत बनाइये ।

श्री माणिकचन्द सुराणा : यह जो आपने आटे की चक्कियों पर प्रतिबन्ध लगाया है कि बिजली की खपत को कम करें, इसका क्या कोई जस्टीफिकेशन हो सकता है ? आखिर क्या आटा नहीं पीसा जायगा ? यदि आटा नहीं पीसा जायगा तो लोग किस तरह से आटा खायेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बल्क कन्ज्यूम करते हैं तो इसके परसेन्टेज का कोटा दूसरों के अनुपात में होना चाहिये । आप कह रहे हैं, उतना ही हो रहा है; हमारा कहना है कि अनुपात में इसका ज्यादा कीजिए ।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : आसाम फ्लोर मिल चल रही है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, हां पक्ष में मोहरसिंह जी कह रहे हैं कि आसाम फ्लोर मिल बोल रही है । मैं कहता हूं कि

Page No. 17

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उसको बन्द कीजिये लेकिन जहां पांच पांच हजार की चक्कियां लगी हुई हैं इनको तो बिजली दो। आज आटे के पीसने की रेट्स बढ़ गई हैं क्योंकि वे कहते हैं कि हमको भी तो अपना जीवन-निर्वाह करना है। पहले जहां वह १०० मन पीसते थे आज उनके पास ५० मन के करीब ही रह गया है और इसलिए उन्होंने २ पैसे प्रति सेर की पिसाई की रेट कर दी है—इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आपको आटा खाने की आदत ही बहुत कम है। आपका काम दूसरी चीजों से चल सकता है। इसलिये मेरा कहना है कि आटे की चक्कियों से कटोती को हटाइये, यह हमारी मांग है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने १२ करोड इनवेस्ट करके डी० सी० एम० को लगवा दिया। आप १ करोड़ इन्वेस्ट करके खुद का गैस टरबाइन इन्सटाल कर सकते हैं और १२ करोड और १३ करोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है; लेकिन इससे लोग २० परसेन्ट कट से तो बच सकते हैं और उनको परेशानी नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष ; श्री मयुरेशविहारी माथुर। नेक्स्ट।

रोडवेज की बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट

७१. **श्री मयुरेश बिहारी माथुर** (बांदो-कुई) [श्री मूलचन्द चौवरी (दौसा) द्वारा पूछा गया]: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वर्ष १९६५ में जयपुर से भरतपुर, बयाना व दौसा रूट्स पर चलने वाली रोडवेज की बसें कितनी बार रास्तों में खराब हो गईं और उनकी जगह दूसरी गाड़ियां मुसाफिरों के लिये भेजी गई ?

(२) क्या ये ब्रेकडाउन अधिक संख्या में थे ? यदि हां, तो क्या अधिक होने के कारणों की जांच की गई ?

(३) रोडवेज की बसों का सालाना फिटनेस सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जयपुर, भरतपुर, बयाना, दौसा व आगरा मार्गों पर कुल २८ सर्विसें रोजाना चलती हैं। इस प्रकार सन् १९६५ की कुल १०,१९२ सर्विसों में से १२२ सर्विसें रास्ते में खराब हो गईं, जिनके स्थान पर दूसरी गाड़ियों को लगा कर यात्रियों को गन्तव्य स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई।

(२) कुल गाड़ियों की संख्या को देखते हुए ब्रेकडाउन अधिक नहीं हैं।

(३) सन् १९६५ तक निगम की गाड़ियों का फिटनेस मेकेनिकल निरीक्षक, जयपुर द्वारा किया जाता था, लेकिन अब विभिन्न जिला-स्तरीय फिटनेस कमेटियों द्वारा किया जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो बसें आपके रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाती हैं उनकी बजाय दूसरी बस की व्यवस्था कितनी देर में कर देते हैं ?

श्री भीमसिंह : यथाशीघ्र; जितनी जल्दी हो सकती है।

श्री जयनारायण सालोदिया: "यथाशीघ्र" का मतलब दस घण्टा, पन्द्रह घण्टा, आखिर सवारियों को भी दिक्कत होती है, किसी को सर्विस पर जाना होता है या कोई और काम होता है।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद ।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : क्या इस मोटर एक्ट के मातहत अगर कोई गाड़ी फेल हो जाय, उनके टाइम मुकर्रर से, तब उस एक्ट के मातहत दूसरी गाड़ी उसी वक्त लगाने का प्रोविजन है या नहीं ? उसी वक्त दूसरी गाड़ी लगाना जरूरी है या नहीं ? पहले तो इण्डीविजुअल्स की बसें चलती थीं, तो एक गाड़ी फेल हो जाती तो तुरन्त दूसरी गाड़ी पहुंच जाती थी । आपने अजमेर में ४१ गाड़ियां लगा रखी हैं लेकिन एक दिन केवल १७ गाड़ियां ही छूटी हैं । मैंने इसकी रिपोर्ट भी लिखी है, तो इस एक्ट के तहत भी लिखी है । आपके कितनी बार तो चालान हुए और कितनी दफा आपको सजा दी गई ? कृपया बतावें ।

श्री भीमसिंह : अगर आप कहते हैं कि आपने रिपोर्ट की है तो उसकी सारी इन्क्वायरी कराई जाएगी और आपको जानकारी दी जावेगी और जहां जहां खामी है उसकी पूर्ति की जावेगी ।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह । अभी और भी प्रश्न हैं, ये बातें आप और समय भी रख सकते हैं ।

प्रश्न संख्या ७२

श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित—उत्तर आगे देखिये)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय ।

गाड़िया लुहारों का लोहे का कारखाना

७३. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ खास में गाड़िया लुहारों का कोई लोहे का कारखाना है ? अगर हां, तो यह कब से प्रारंभ हुआ और राज्य सरकार द्वारा कितनी रकम इसे अनुदान एवं ऋण के रूप में दी गई है ?

(२) इस कारखाने का प्रबन्ध कौन करता है और इसका वार्षिक बजट क्या है और कितने रुपये का उत्पादन किया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि इसे लोहे का कोटा भी मिलता है ? अगर हां, तो कितना वार्षिक और यह कारखाने की क्षमता के आधार पर काफी है या नहीं ?

(४) क्या यह सही है कि यह कारखाना घाटे में चल रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(५) क्या इसको उन्नत करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो वह क्या है व कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

उप-मंत्री उद्योग (श्री चन्दनमल बैद) :

(१) जी हां । यह केन्द्र ६-८-१९५६ से प्रारंभ हुआ । इस केन्द्र को अनुदान व ऋण के रूप में कोई धनराशि नहीं दी गई ।

(२) यह केन्द्र उद्योग विभाग द्वारा चलाया जाता है । सन् १९६४-६५ के बजट में इस केन्द्र का ११,१००) रु० के खर्चे का प्रावधान था । इस केन्द्र में ६४-६५ में २०,५००) रु० का उत्पादन किया गया ।

(३) जी हां । लोहे का कोटा जो इस केन्द्र को दिया गया इसका विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	सन्	किस्म कच्चा माल	तादाद
१	२	३	४
१	६३-६४	काली चद्दरें	३-१ मे० टन
२	६४-६५	सी. आर. सोट्स	३-९ मे. टन

Page No. 19

(श्री चन्दनमल वैद)

३. ६४–६५ जी. पी. शीट्स ५·० मे. टन

४. ६४–६५ बी. पी. शीट्स ०·५ मे. टन

५. ६४–६५ एम. एम. प्लेट्स १·५ मे. टन

चूंकि यह केन्द्र सन् १९६१ में सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में चल रहा था इसलिए क्षमता के अनुसार कोटा देने व उत्पादन करने का प्रश्न नहीं उठता।

(४) क्योंकि यह केन्द्र सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में चलाया जा रहा है अतः इसमें नफे या नुकसान का प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) इस केन्द्र को सामान्य सुविधा केन्द्र के अतिरिक्त उत्पादन केन्द्र के रूप में भी कार्य करने की योजना है जिसके अन्तर्गत कृषि व पी. डब्ल्यू. डी. और सिंचाई विभाग के लिये आवश्यक सामान तैयार किया जावेगा।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : यह कब तक लागू की जावेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है, अभी निश्चित तारीख तो नहीं बता सकता।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : इन कारखानों में कितने गाडुलिया लुहार काम करते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : अलग अलग साल में में अलग अलग संख्या है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस साल में कितने हैं ?

श्री जोधसिंह : मैं समझता हूं कि वहां कोई गाडुलिया लुहार काम नहीं करते, दूसरे ही लोग काम करते हैं।

श्री चोसरसिंह बाबेल (वेंगू) : मैं चित्तौड़ में रहता हूं, मैं जानता हूं कि वहां कोई गाडुलिया लुहार काम नहीं करते। मैं चित्तौड़ में महीने में दस दिन रहता हूं।

श्री चन्दनमल वैद : यह तो गाडुलिया लुहारों के लिये ही है। अब अगर माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा। मैं तो समझता हूं कि यह गाडुलिया लुहारों के लिए ही बना हुआ है, वे ही लोग काम करते हैं, उनके बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। अब माननीय सदस्य इतने जोर से कहते हैं कि वहां पर वे लोग नहीं हैं तो मैं इसकी जांच कराने को तैयार हूं।

श्री चोसरसिंह बाबेल : मैं कहता हूं कि वहां गाडुलिया लुहार नहीं हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : आपको स्वयं मालूम है, आप जांच क्या करवा लेंगे ?

जांच का नाम लेकर आप सदन का समय फालतू खराब करते हैं।

श्री रामकिशन : इसमें प्रश्न यह है कि . .

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : वहां पर गाडुलिया लुहार वे व्यक्ति हैं जिनको श्री माणिक्यलालजी वर्मा कहें, वे ही गाडुलिया लुहार हैं या गाडुलिया लुहार जैसा कोई मनुष्य वहां पर रहता है, इसकी आपने जानकारी प्राप्त की है या नहीं ? वहां के संचालक का क्या नाम है, यह तो बतावें।

श्री चन्दनमल वैद : गाडुलिया लुहार तो वे ही लोग हैं, मेरे या आपके कहने से नहीं हो सकते।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बड़े जो लोकनायक लोग हैं वे कह दें वही गाडुलिया लुहार हैं।

श्री चन्दनमल बैद : बड़े तो आप भी है, आप बना सकें, तो आप मुझे भी हरिजन बना दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): हरिजन की गोद बैठ जाइये, हरिजन हो जावेंगे। हरिराम धारू की गोद में जा सकते हो।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

पाली व जोधपुर जिलों के ग्रामों को कृषि कार्य हेतु बिजली

७४. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली एवं जोधपुर जिलों के कौन २ से गांवों को कृषि कार्य हेतु वर्ष १९६५–६६ में बिजली देने की योजना थी व उक्त योजना के अन्तर्गत कौन २ से गांवों को बिजली दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त गांवों में से किस किस गांव से मांग कृषि के लिये बिजली देने की प्राप्त हुई व कब ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त गांवों में कितने कनेक्शन दिये गये ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल बैद) : (१) जिला पाली के २८ गांवों व जोधपुर के २५ गांवों को सन् १९६५–६६ के कृषि विकास योजना के अन्तर्गत बिजली देने की योजना है जिसमें से जिला पाली के १५ गांवों को और जोधपुर के २ गांवों का अब तक विद्युतिकरण करा दिया गया है जिसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) किसी को भी कनेक्शन नहीं दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : आपने जिन गांवों की सूची दी है जिनको कि इस वर्ष कनेक्शन नहीं दिए हैं तो क्या इन गांवों के अन्दर अगले वर्ष कनेक्शन दे दिए जावेंगे इस योजना के अन्दर ही ?

श्री चन्दनमल बैद : अभी पाकिस्तान हिन्दुस्तान कनफ्लिक्ट के समय में सामान की तंगी हो गई थी, इसके कारण कनेक्शन नहीं दे सके। अब हम तुरन्त ही आदेश जारी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जिन गांवों में बिजली पहुंच गई है वहां कनेक्शन दे दिए जावें।

श्री दलपतसिंह (आबू) : जोधपुर में रेवदर तहसील की क्या पोजीशन है ?

श्री चन्दनमल बैद : आप अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री हरिश्चन्द्र : पॉवर हाउस खड़ा हो गया है।

श्री दलपतसिंह : कब तक बिजली पहुंच जावेगी क्योंकि कुओं पर बिजली पहुंचने से प्रोडक्शन बढ़ेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने तो यह आफ हैण्ड बात बताई है। वहां पर पॉवर का सैट भी भेजा जा रहा है। वहां पर दिक्कत यह है कि पानी नहीं है और पानी का कोई कुआ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वहां डीजल सैट भेजा

(श्री हरिश्चन्द्र)

जा रहा है, जो पोर्टेबल हो और जिसमें पानी के इस्तेमाल की जरूरत भी न हो।

श्री अध्यक्ष : यह पॉवर हाउस बनाने से पहले नहीं देखा कि पानी है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह कहा गया था कि वहां पर कुआ मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष : और कहने पर ही बना दिया बगैर देखे हुए ही ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसीलिए वहां पर डिजल सैट लगा रहे हे क्योंकि पानी नहीं है।

श्री दलपतसिंह : क्या यह सही है कि आपने बोम्बे गवर्नमेन्ट से बात की है कि वहां पर २१ मैगावाट बिजली प्राप्त हो जाय उनसे और इसके लिए वे तैयार भी हो गए हैं ? अगर यह सही हैं तो आप बता दीजिये कि रेवदर तहसील में हाइड्रो इलेक्ट्रिक कब तक पहुंच जाएगी ताकि लोगों को बता सकें कि उन्हें कब तक बिजली मिल जाएगी।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तो इस वक्त ऐसी बात उठाई है जिसका मेरे पास जवाब नहीं है और जिसके आधार पर में यहां इसी वक्त जबाब अर्ज कर सकूं। राज्य सरकार ने भारत सरकार को इस बात के लिए लिखा है कि सिरोही और रेवदर तहसील जहां पर कि एग्रीकल्चरल लैण्ड काफी मिल सकता है, वहां पर इस वक्त बिजली कम है इस वास्ते पालनपुर से एक लाइन का कनेक्शन मण्डार के लिए दे दिया जाय ताकि मण्डार पर सब-स्टेशन बन जावे और वहां से मण्डार, रेवदर आदि जितने भी इलाके हैं, रानीवाड़ा वगैरह इनको फीड किया जा सके। हमको इसके लिए पैसा मिल गया ओवर एण्ड अबव दी सीलिंग तो हम इस प्लान्ट को कम्पलीट करने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा है और मुझे जानकारी आज ही प्राप्त हुई है कि शायद उन्होंने उस प्रोजेक्ट को मन्जूर भी कर लिया है। वहां से फण्ड रिलीज होने पर हम अगले साल में ही इस प्रोजेक्ट को कम्पलीट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

पंचायत समिति सांचोर द्वारा टेप रिकार्डिंग मशीन तथा मेगा माइक की खरीद

७५. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति सांचोर ने एक टेप रिकार्डिंग मशीन एवं मेगामाइक खरीदे ? अगर हां, तो वे कुल कितने रुपयों में एवं कब खरीदे गए ? और उनकी समिति में ऐसे यंत्र खरीदने की क्या उपयोगिताएं थीं ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त यंत्र खरीदने की स्थाई समिति प्रशासन एवं कलेक्टर जालौर ने मनाई की थी ? अगर हां, तो फिर ऐसे यंत्र किसने एवं क्यों खरीदे ?

(३) टेप रिकार्डिंग मशीन एवं मेगा-माइक खरीदने के बाद उनसे समिति में क्या काम लिया गया है ? इन यंत्रों को ठीक कराने में अब तक समिति का क्या खर्चा हुआ है ?

(४) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त टेप रिकार्डिंग एव मेगामाइक खरीदने का आर्डर कुछ और था और माल दूसरा खरीदा गया ?

Page No. 22

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

अगर हां, तो ऐसा करने के लिए जिम्मेदार कौन है और इस विषय में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

विकास मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, क्रमशः २००० और ४४५ रु० में माह जनवरी, १९६४ में खरीदे गये। आधुनिक श्रव्य यंत्र होने के कारण प्रचार की दृष्टि से उपयोगी समझे गये।

(२) यंत्र खरीदने की स्वीकृति स्थाई समिति वित्त करने दी थी और उसके अनुसार विकास अधिकारी ने खरीद की।

(३) इन यंत्रों का अब तक जो उपयोग किया गया है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इनकी मरम्मत पर अभी तक कुल १४५-२० पैसा खर्चा हुआ है।

(४) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने जानकारी दी है वह उसी विकास अधिकारी के द्वारा आपको दी गई है जिसने खरीद की है। यह बिल्कुल सही है कि कलैक्टर जालोर और समिति ने इसके लिए मना कर दिया था, इसके उपरान्त उसने खरीद की है क्योंकि उसने पहले सैटिलमेंट कर लिया था और इसी जिद् के कारण उसने खरीद की है आप इसकी जांच करेंगे महरबानी करके।

श्री दामोदरलाल व्यास : जरूर, अगर आप कोई वाकियात लिख कर देंगे तो उनकी जांच अवश्य कराई जावेगी।

श्री रामकिशन (वैर): अगर आपको लिख कर न भी दें तो आप जैसे पंचायत मंत्री के लिए यह जरूरी है कि आप जांच करें। जो कुछ विभाग ने लिख कर आपको दे दिया उसको ही आप पढ़ देंगे, ऐसी आशा तो आप जैसे मंत्री से नहीं की जा सकती। आप तो यह तोता रटंतू बन्द करेंगे। आप देखिए कि पंचायत समिति में टेप रिकार्डिंग की उपयोगिता क्या रहती है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : २३२ पंचायत समितियां हैं, उनमें कहीं पर भी मेगामाइक नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको भी यह जानकारी नहीं है कि मेगामाइक किसको कहते हैं, यह कौनसी मशीन होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेप रिकार्डिंग मशीन तो कई पंचायत समितियों में हैं। मेगामाइक क्या होता है, यह तो मैंने अभी इनसे ही समझा है। बाकी यह है कि खुद विकास अधिकारी ने ही अपने अख्तियार से ही खरीद की हो, यह बात गलत है। इसके लिए फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी का डिसीजन है और उनकी मंजूरी से खरीदा है। कलैक्टर ने इन्कार कर दिया हो, यह मेरी जानकारी में नहीं है। माननीय सदस्य कहते हैं तो उसकी इन्क्वायरी करवा लूंगा कि कलैक्टर ने इन्कार किया था क्या और उसके बाद भी अगर खरीददारी की है तो क्यों की है ?

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : स्टैंडिंग कमेटी से पहले मंजूरी नहीं ली थी, बाद में मंजूरी ली। पूर्व मंजूरी लेनी चाहिये थी, यह बात मैं आपकी जानकारी के लिये बता रहा हूं।

Page No. 23

प्रश्न संख्या ७६

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७७

पंचायती राज्य संस्थाओं की आडिट रिपोर्ट

७७. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने यह नीति निर्धारित कर दी है कि पंचायती राज संस्थाओं की आडिट रिपोर्ट विधान सभा के सामने न रखी जावे ?

(२) यदि नहीं तो पंचायत समिति दूदू की पंचायतें आकोदा, गिदानी व बिचून की नवीनतम (Latest) आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री अमरसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका जबाब देने में टालमटोल कर रहे हैं। कई बार यह प्रश्न आया, एक मंत्री पधार गये हैं दूसरे पधार रहे हैं; मेरा भी जाने का समय आ रहा है, फिर भी टालमटोल कर रहे हैं.........

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जोर से बोलिये, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अमरसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह आडिट रिपोर्ट पंचायतों में आती है तो इसको हाउस की टेबल पर रखने में क्या ऐतराज है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कहा था कि सरकार के विचाराधीन है, यह नहीं कहा कि इसको रिजेक्ट कर दिया है, पेश नहीं करेंगे। सरकार इस पर विचार करके निर्णय लेगी कि इसे पेश करना चाहिये या नहीं।

श्री गंगासिंह (जायल) : क्या सरकार को अधिकार है कि पंचायत समितियों और पंचायतों की आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखें ? हाउस सुप्रीम है, उसकी ओथोरिटी है जिसके कारण कोई भी आडिट रिपोर्ट सदन के सामने लाई जानी चाहिये। क्या सरकार हाउस की सुप्रीमेसी खत्म करके यह कह सकती है कि आडिट रिपोर्ट हाउस के सामने नहीं रखी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : जो बात मंत्री महोदय ने कही उसमें और इसमें फर्क है। अमरसिंहजी चाहते थे कि अमुक पंचायत समिति की रिपोर्ट सदन में रखी जाय। मंत्रीजी ने कहा कि यह विचाराधीन है कि जिस तरह से सारे विभागों की आडिट रिपोर्ट जो ए. जी. द्वारा दी जाती है, वह सदन के समक्ष आती है उसी प्रकार पंचायत विभाग की आडिट रिपोर्ट भी सदन के सम्मुख आनी चाहिये या नहीं, लेकिन जहां तक कुछ निश्चित पंचायत समिति की रिपोर्ट पेश करने का प्रश्न है, मंत्री महोदय चाहें तो पेश कर सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने प्रश्न में लिखा है कि नीति के तहत सदन में पेश करने को तैयार हैं क्या, इस बारे में मैंने निवेदन किया कि नीति निर्धारित नहीं हुई है; लेकिन अगर स्पेसिफिकली किसी पंचायत

(श्री दामोदरलाल व्यास)
समिति की रिपोर्ट चाहें तो उसे पेश करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय ने एक महत्वपूर्ण तथ्य का संकेत किया है कि जिस प्रकार ए. जी. की रिपोर्ट हाउस के समक्ष पेश होती है उसी प्रकार सरकार पंचायत समितियों की आडिट रिपोर्ट भी सदन में पेश करे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): पेश करने का फर्ज है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया कि यह प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन है। सैकिण्ड पोइन्ट, किसी खास पंचायत की आडिट रिपोर्ट चाहे तो मुझे पेश करने में ऐतराज नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि पंचायतों की आडिट रिपोर्ट हाउस में पेश की जाय, इसकी सिफारिश पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने की है? जिन पंचायतों को १५ करोड़ की ग्रांट सरकार से दी जाती है उसकी आडिट रिपोर्ट हाउस के सामने आनी चाहिये। चाहिये तो यह था कि पंचायतों का आडिट भी ए. जी. से करवाया जाता, लेकिन आप लोकल फंड आडिट से आडिट करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी हाउस के सामने आनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि आपका हुक्म ऐसा है, लेकिन हम इस बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री जोरसिंह बाहेल (बंगू) : पंचायतों में हजारों रुपयों का गबन घोटाला हो रहा है और आप उनको बचाना चाहते हैं। इसलिये आपको चाहिये कि आप इस पर शीघ्र विचार करके सदन के सामने रखें। आपकी पंचायतों में हजारों रुपयों का गबन हो रहा है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि हाउस के सामने आडिट रिपोर्ट पेश करने का प्रश्न कब से सरकार के सामने विचाराधीन है?

(हीयर हीयर)

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास तारीख नहीं है लेकिन विचाराधीन जरूर है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): प्रश्न के सैकिंड पार्ट में तीन पंचायतों के अलग अलग नाम दिये हैं, उनकी आडिट रिपोर्ट पेश करने में क्या अड़चन है? मंत्रीजी कानूनी दाव-पेच में उलझा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आडिट रिपोर्ट सदन के सामने पेश करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है या आडिट रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि सारे राजस्थान की पंचायतों की आडिट रिपोर्ट सदन के सामने पेश करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है या आडिट रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष : क्या ऐसा प्रावधान है कि पंचायत समिति की ऑडिट रिपोर्ट होती है

Page No. 25

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
उसको पंचायत समिति के सदस्यों के समक्ष पेश किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : समिति के सदस्यों के समक्ष तो ऑडिट रिपोर्ट पेश की ही जाती है और उनकी उस पर टिप्पणी होती है। सदन के समक्ष पेश करने का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : पंचायत समिति के समक्ष पेश हो सकती है। वहां पेश करना अनिवार्य है तो मैं समझता हूं उसको सदन के समक्ष पेश करने में एतराज नहीं होना चाहिये।

(हियर-हियर)

श्री फूलचन्द जैन : यह प्रश्न बहुत गंभीर है, बहुत वर्षों से चल रहा है। सरकार ने कई बार आश्वासन भी दिया है कि इस पर विचार करेंगे। इतना लम्बा अर्सा बीत जाने के बाद भी कहते हैं कि विचाराधीन है। इसकी गंभीरता को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि रिपोर्ट सदन के सामने पेश करने का निर्णय शीघ्र लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

श्री अमरसिंह : मंत्री महोदय जब मानते हैं कि स्पेसिफिक पंचायतों की रिपोर्ट पेश की जा सकती है तो इन तीन पंचायतों की रिपोर्ट उनको सदन में पेश करदेनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये भी प्रोसीजर है। रूल्स आफ बिजनेस में पढ़ें कि किस तरह से पेश कराई जाती है। प्रश्न या सवाल के जरिये पेश नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि जिस समिति की रिपोर्ट है उस समिति के सदस्यों के सामने यदि आने का प्रावधान है तो उसको यहां मंगाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर इसको चुपचाप नही रखना चाहिये। समिति के सारे सदस्यों के समक्ष यह आनी चाहिये और वहां पर इस पर डिस्कशन होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : पंचायत समिति के सामने नहीं रखी जाती है, सभी मेम्बर्स कहते हैं।

(शोरगुल)

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (त्रिलाड़ा) : पंचायत समिति के सामने रखी जाती है, वहां पर मेम्बरों के सामने पढ़ी जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑडिट रिपोर्ट को पंचायत समिति के समक्ष पेश करते हैं, मेम्बर्स के सामने पढ़ी जाती है, मेम्बर्स उसको डिस्कस करते हैं। कोई मेम्बर वहां नहीं जावे तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है, पंचायत समिति के लिये इसकी मुमानियत नहीं है। पंचायत समिति में जाती है और इस पर डिस्कशन होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

टोडाभीम मेंहदीपुर सड़क पर घाटी काट कर रास्ता बनाने पर व्यय

७८. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) टोडाभीम से मेंहदीपुर के रास्ते पर जो रास्ता घाटी काट कर तैयार किया

Page No. 26

(श्री श्रवणलाल)
गया था उसके लिये सरकार की ओर से कितना रुपया कब स्वीकृत हुआ था ?

(२) इस कार्य को करने के लिये ठेका किसको दिया गया था और कार्य कब पूरा हुआ ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त घाटी का रास्ता अब पुनः खराब हो गया है ।

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) १,४०,५०० रु० १९५९-६० में स्वीकार हुआ ।

(२) गंगाप्रसाद को। यह कार्य ३-८-६५ को पूरा हो चुका था ।

(३) जी हां ।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सच है कि जो कार्य पूरा हुआ है वह अब भी वैसा ही पड़ा है जैसा पहले था । सड़क फिर से खराब हो चुकी है; रुक चुकी है ।

श्री परसराम मदेरणा : ३ मील सड़क थी, वहां पर रोक होने से बड़े बड़े कंकड़ बरसात में रोड पर आ जाते हैं और वह रुक गई है। भरतपुर की तरफ से फ्लड होने की वजह से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसके डिवीजन में हैं वे व्यस्त रहे, इसलिये नहीं हो सका; अब जल्दी ही व्यवस्था की जायगी ।

लेबोरेटरी में टेस्टों की फीस

७९. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अलवर के अलेक्जेण्डरा अस्पताल की लेबोरेटरी में टट्टी, पेशाब, थूक एवं खून के विभिन्न प्रकार के टैस्टों की अलग-अलग फीस क्या क्या ली जाती है ?

(२) प्रिंस विजय मैंन्स अस्पताल, बीकानेर में उपरोक्त टैस्टों की फीसें अलग-अलग क्या क्या ली जाती है ?

(३) क्या यह सही है कि बीकानेर के मुकाबले में अलवर के अस्पताल की दरें बहुत ऊंची हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(४) क्या सरकार अलवर अस्पताल की इन दरों को बीकानेर के समान करने का विचार रखती है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) अलवर में अलैक्जेण्डरा अस्पताल में लेबोरेटरी में टट्टी, पेशाब, थूक एवं खून के विभिन्न प्रकार के टैस्टों की ली जाने वाली फीस-तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) प्रिंस विजय सिंह अस्पताल, बीकानेर में उपरोक्त टैस्टों की वसूल की जाने वाली फीस की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी हां, राजस्थान में रियासतों के एकीकरण से पूर्व रियासतों में जो उपरोक्त टैस्टों की फीस वसूल की जाती है वही अब भी वसूल की जाती है ।

(४) जी हां, राजस्थान सरकार ने अपने एक नोटीफिकेशन विज्ञप्ति संख्या एफ० २ (१४) एफ० डी० (ए) रूल्स।६१-११ दिनांक २३-१०-६४ द्वारा ये दरें समस्त राजस्थान के लिये समान कर दी हैं । इसमें विभाग द्वारा उठाये कुछ प्रश्नों पर आगे

(श्री दामोदरलाल व्यास)
विचार किया जा रहा है। यह तय होने पर समान रेट सब जगह लागू हो जावेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह रेट, नोटिफिकेशन्स जो हुई हैं उनको नोटिफिकेशन होने के साथ लागू नहीं किया गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : नोटिफिकेशन के बाद डाइरेक्टर ने अपने कुछ एतराजात गवर्नमेन्ट को लिखे थे; अब उन एतराजात का फैसला हो चुका है और डाइरेक्टर ने अभी तीन-चार दिन पहले एक ऑर्डर इश्यू कर दिया है कि नोटिफिकेशन की दरें राजस्थान के प्रत्येक हॉस्पीटल में लागू कर दी जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गजट नोटिफिकेशन होने के बाद लीगली चार्जेबल फीस वह रहती है तो क्या डाइरेक्टर को डिस्क्रिशन था कि नोटिफिकेशन दरों के अलावा कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में कोई फीस चार्ज कर सकता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज कर दिया है कि नोटिफिकेशन तुरन्त लागू कर देना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है कि गलती हुई है कि वह लागू नहीं किया गया; लेकिन अब ऑर्डर इश्यू कर दिया गया है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, एक ८२ प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति कामां के ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालय

६६. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति कामां के ग्राम बडोलोआऊ, सबलाना सहसन, धोलेट पापड़ा, सावरेव और नोनहरा ग्रामों की जनसंख्या तीन हजार तक की है और वहां पर कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर औषधालय खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

१४,००० की जन संख्या के दायरे में एक औषधालय खोले जाने का प्रावधान है। इसके अनुसार जिला परिषद् आयुर्वेद विभाग को अपनी सिफारिश भेजती है। बजट प्रावधान के अन्तर्गत प्रायः उस सिफारिश के अनुसार औषधालय खोले जाते हैं। जिन स्थानों का उल्लेख प्रश्न में किया गया है उनमें से किसी भी स्थान की सिफारिश जिला परिषद् ने नहीं की है इसलिए औषधालय नहीं खोला जा सका।

चरागाह में आग लगने की जांच

६९. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चम्बल-भूमि-संरक्षण विभाग के अन्तर्गत जो चरागाह (पेडॉक्स) बनाये गये हैं, उनमें से कितने हिस्से के चरागाह में कब २ आग लगी? और इसके कारण अनुमानित कितना नुकसान हुआ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(२) क्या आग लगने के कारणों की जांच की गई ? अगर हां, तो क्या परिणाम आए ?

उत्तर

(१) चम्बल-भूमि-संरक्षण योजना के अन्तर्गत बनाये गए जिन २ पेडॉक्स में आग लगी उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

(क) गोपरनाथ पेडॉक में माह नवम्बर, १९६४ में करीब ७०० एकड़ क्षेत्र में आग लगी और करीब ४,०००-५,००० मन घास का नुकसान हो गया।

(ख) सूखा खोह पेडॉक में आखिर माह दिसम्बर, १९६४ में ४०० एकड़ क्षेत्र में आग लगी जिससे करीब १०० मन लापला घास जल गया। इस क्षेत्र से घास पहले काटा जा चुका था। सिर्फ लापला घास जो काटा नहीं गया था वह जल गया।

(ग) नया गांव पेडॉक में दिसम्बर, १९६४ में करीब ५० एकड़ क्षेत्र जल गया। इस क्षेत्र से भी घास पहले ही काटा जा चुका था; लापला घास था जो जल गया।

(घ) अकेलगढ़ पेडॉक्स में नवम्बर, १९६५ में ३०० एकड़ क्षेत्र में आग लगी; करीब १०० मन लापला घास जो काटा नहीं गया था जल गया।

(ङ) सकतपुर पेडॉक में नं. ४ में नवम्बर, १९६४ में २५० एकड़ क्षेत्र जल गया जिसमें करीब २०० मन घास का नुकसान हुआ।

(२) जी हां। इन पेडॉक्स में आग लगने के कारणों की जांच की गई किन्तु सिवाय सकतपुर पेडॉक्स के अपराधियों का कोई पता नहीं चला। इन अपराधियों को मवेशी चराने व घास काटने से उस वर्ष के लिए वंचित कर दिया गया। आग लगने के कारण घास काटने जाने वालों की लापरवाही मालूम हुई।

सकतपुर में आग मिलीट्री द्वारा उनके क्षेत्र में झाड़ी जलाने के कारण लगी।

आयुर्वेदिक औषधालय के स्थान

७२. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार के ध्यान में है कि राज्य में गत पांच वर्षों में ऐसे स्थानों पर भी आयुर्वेदिक औषधालय खोल दिये गये हैं जहां डिस्पैन्सरी या हॉस्पिटल पहले से उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे औषधालयों को ऐसे स्थानों पर स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर विचार करेगी जहां १०-१० मील में न तो कोई डिस्पैन्सरी या हॉस्पिटल है और न कोई आयुर्वेदिक औषधालय है ?

उत्तर

जिन गांवों में औषधालय और डिस्पेन्सरी दोनों हैं वहां एक ही संस्था रहे, इस पर सरकार विचार कर रही है।

आबू रोड–भटावा सड़क

७६. **श्री अब्दुलजब्बारखां** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अब्दुलजब्बारखां)

(१) आबूरोड से भटावा तक की सड़क कितनी लम्बी है और इस लम्बाई में पक्की सड़क कितनी बनी हुई है तथा बाकी कच्ची सड़क को सरकार कब तक पक्की बना देगी? अभी तक इसे नहीं बनाने के क्या कारण हैं?

(२) क्या यह सही है कि भटावा के लोग बारिश में कच्ची सड़क के कारण बड़े परेशान रहते हैं और उन्हें आवागमन की सुविधा नहीं रहती है? क्या सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान देने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) २३ मील लम्बी है जिसमें १५ मील पक्की सड़क है बाकी ८ मील कच्ची सड़क का कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है?

(२) जी हां, किन्तु यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बांस के ठेकों की नीलामी

१३. **श्री उदयलाल बोदिया** (लसाड़िया) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर डिवीजन में वर्ष १९६४ में वन विभाग द्वारा जनरल नीलामी में बांस के ठेके कब नीलाम हुए थे और बासों को काटने की अवधि किस महीने तक की एग्रीमेन्ट में दर्ज की गई है?

(२) क्या यह सही है कि बांसी रेन्ज में उमरकोटा के बांस के ठेके जनरल नीलामी में नीलाम हुए थे? क्या यह भी सही है कि उक्त जंगल की कीमत ठीक आने से ठेकेदार की पैरवी पर वन विभाग ने उक्त जंगल की स्वीकृति नहीं देकर डिपॉजिट लौटा देने के आदेश मार्च, १९६४ माह में दे दिये? यदि हां, तो इस ठेकेदार का नाम भी बताया जावे।

(३) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ठेकेदार को ही लाभ पहुंचाने की दृष्टि से धरियावद के जंगल आम्बारेठी का ठेका रिऑक्शन करवाया गया और उसकी स्वीकृति भी मार्च, १९६४ के दूसरे सप्ताह में दी गई? यदि हां, तो इस जंगल के बांस काटने की अवधि कितने समय तक की है?

(४) क्या यह भी सही है कि इसी जंगल आम्बारेठी के एक हिस्से को वन श्रमिक सहकारी समिति ने काटा था और नीलामी से ठेकेदार ने आज जो रकम दी उससे अधिक रकम दी थी? यदि हां, तो दोनों की रकमें बताई जावें।

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त जंगल आम्बारेठी का दूसरा हिस्सा जो ठेकेदार को दिया गया वह जनरल नीलामी के समय उसी समिति को देने के लिये नीलामी से रोका गया था क्योंकि समिति से साठ हजार मांगते रहे और समिति ५५ हजार देने को कहती रही है और जनरल ठेके के समय इसके नीलामी में ७५) हजार आने वाले थे?

(६) क्या सरकार अब भी उपरोक्त जंगलों की कटाई को रोकने का विचार रखती है जिससे सरकार को होने वाला नुकसान रोका जा सके?

उत्तर

(१) सन् १९६४ में उदयपुर डिवीजन के जनरल नीलामी में बांस के ठेके २४-८-६४

(श्री वन मंत्री)

से २९-८-६४ तक नीलाम हुए थे। बांस के ठेकों में कटाई की अवधि ३१ मार्च तक दर्ज रहती है।

(२) जी हां, ठेकेदार से इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर कि वह अपनी ऑफर वापस लेना चाहता है विधि विभाग की राय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा डिपॉजिट की रकम वापिस देने के आदेश मार्च, १९६४ में दे दिये गये। इस ठेकेदार का नाम श्री योगेन्द्रसिंह था।

(३) जी नहीं।

(४) आम्बारेटी जंगल के एक हिस्से को १९६३-६४ में नीलाम किया गया था; उसमें सबसे ऊंची बोली श्री सोहनसिंह ठेकेदार की ४५,००१) रु. की प्राप्त हुई। इसके बाद इसी रकम पर यह ठेका जवाहर नगर समिति को दिया गया।

(५) यह सही है कि यही कूप वन श्रमिक सहकारी समिति मुगाना के लिए रोका गया था इस जंगल की त्रिवार्षिक औसत ६०,००० रु. होती थी, अतः उक्त सोसाईटी को ६०,००० रु. में देने के लिए स्वीकृति दी गई लेकिन समिति ने लेने से इन्कार कर दिया। समिति ने जंगल को ५५,००० रु. में लेने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया और न इस विभाग ने इस जंगल के ७५,००० रु. आने का अनुमान लगाया था।

(६) जी नहीं, सरकार का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है।

खारोलिया खेडा सेवा सहकारी समिति के सदस्यों पर ऋण की बकाया

१४. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की खारोलिया खेडा सेवा सहकारी समिति के प्रबन्धकारिणी समिति के कितने सदस्य हैं?

(२) क्या यह सही है कि इस समिति की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों में अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण बकाया है? यदि हां, तो कुल कितनी रकम कितने सदस्यों में बाकी है?

उत्तर

(१) बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में खारोलिया खेडा सेवा सहकारी समिति के नाम से कोई समिति नहीं है बल्कि खारोलिया खेडा बहुद्देशीय सहकारी समिति (अन लिमिटेड) के नाम से समिति है जिसकी प्रबन्धकारिणी में सात सदस्य हैं।

(२) जी हां, प्रबन्धकारिणी समिति के पांच सदस्यों में अल्पकालीन ऋण योग १३३८.७५ पैसे एवं दीर्घकालीन ऋण ४०००) कुल रु. ५३३८.७५ पैसे ऋण मूल राशि बकाया है। रु. २५५६.३५ पैसे ब्याज भी बकाया है। इस प्रकार मूलराशि व ब्याज कुल रु. ७८९५.१० पैसे हैं।

सड़क की मरम्मत

१५. **श्री नाथूलाल करोल** (चाकसू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 31

(श्री नाथूलाल करौल)

क्या यह सही है कि ग्राम गोनेर से व वाटिका से जो सड़क के टुकड़े बने हुए हैं और जो टोंक रोड में जयपुर से १२ मील पर मिलते हैं, उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों सड़कों की मरम्मत व इन पर डामर कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

सड़क की दशा साधारण है; वार्षिक मरम्मत प्रतिवर्ष की जाती है। डामर कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

उदयपुर डिवीजन में कृषि कार्य हेतु बिजली

१६. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वर्ष १९६६ में उदयपुर डिवीजन में कौन से गांवों में कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली दी जायेगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

यह विषय अभी विचाराधीन है; अतएव सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत अध्ययन केन्द्र

१७. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत अध्ययन केन्द्र किस-किस प्रकार के भिन्न-भिन्न स्थानों पर कब से चलाये जा रहे हैं और उनमें किस-किस प्रकार के प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं ?

(२) अब तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी रही और समस्त अध्ययन केन्द्रों पर अब तक कुल कितना खर्चा हुआ ? जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि पंचायतों के सचिव, पंच, सरपंच तथा न्याय पंचायत के सदस्यों व चेयरमैनों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

(४) विभिन्न केन्द्रों में ट्रेनिंग की अवधि कितनी है ? क्या उसी में पूर्ण योग्यता प्राप्त मान लिया जाता है ?

(५) क्या यह ट्रेनिंग अनिवार्य है ? यदि हां, तो अब तक ट्रेनिंग नहीं लेने के कारण कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) वर्तमान में जयपुर, बीकानेर जोधपुर, कोटा, डबोक, सवाई माधोपुर, पाली, सरदारशहर, अजमेर व उदयपुर में पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं, इनमें क्रमशः पहले पांच केन्द्र सन् १९६० से व शेष पांच केन्द्र सन् १९६२ से चालू हैं। इन केन्द्रों पर पंचायत समितियों के सदस्यों, न्याय पंचायतों के सदस्यों व अध्यक्षों, पंचायत सचिवों, ग्राम सेवक, पंचायत सचिवों, उप-सरपंचों व पंचों का पंचायती राज संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है।

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(श्री विकास मंत्री)

(३) जी हां। प्रश्न के भाग २ के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका विवरण भी है।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस प्रशिक्षण के फलस्वरूप आवश्यक योग्यता प्राप्त मान लिया जाता है।

(५) यह प्रशिक्षण केवल पंचायत समिति सदस्यों के लिए अनिवार्य है। ५६ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(१२.१३ म० प०)

क्रूड आॅइल के अभाव के कारण कृषकों पर प्रभाव सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, क्रूड आॅइल का जो अभाव है और जो काश्तकारों पर उसका असर पड़ता है, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य, श्री नाथूलाल करोल ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी, जिस पर निर्णय दे दिया गया था और मंत्री महोदय से निवेदन किया गया था कि इस पर एक वक्तव्य दे दें। मंत्री महोदय आज इस पर एक वक्तव्य देंगे।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, चन्द समय से एल० डी० ओ० की कमी महसूस होने लगी थी। इसका मुख्य कारण यह था कि कृषि की मांग काफी बढ़ गई थी और पॉवर शार्टेज होने के कारण एल० डी० ओ० अधिकतर डीजल सेट में भी इस्तेमाल हो रहा था। इसके अलावा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष के कारण कमी होने लगी थी। एल० डी० ओ० का एलॉटमेन्ट भारत सरकार के द्वारा होता है। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को राजस्थान की दिक्कत और कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी एवं पॉवर की कमी से अवगत कराया है। अब राजस्थान का एलॉटमेन्ट बढ़ा है; उसकी तफसील इस प्रकार है :—

जयपुर १९६५ में	..	४,००० टन
जनवरी, ६६ में	..	४,५०० टन
फरवरी, ६६ में	..	८,००० टन

पिछले वर्षों में करीबन ३,००० टन एल० डी० ओ० की खपत इस राज्य में होती थी। राज्य सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा एल० डी० ओ० कृषि को मिले और इस तरह से आदेश भी जारी किये हैं। समय पर टेंकेज उपलब्ध नहीं होने के कारण दिक्कत अधिकतर बढ़ गई थी और इस ओर राज्य सरकार ने भारत सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है। अब उपलब्धि में इतनी तंगाई महसूस नहीं हो रही है। जयपुर में ७,००,००० लिटर्स पिछले तीन महीनों में एलॉट किया है। वितरण कलेक्टर के द्वारा परमिट के जरिये किया जाता है। जहां तक बर्मा शैल के एजेन्ट द्वारा एल० डी० ओ० का ज्यादा दामों पर बेचने का प्रश्न है उसके लिए जिलाधीश, जयपुर को लिख दिया गया है कि वे जांच करके अपनी रिपोर्ट भेजें। राज्य सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत पहले नहीं आई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इस बारे में, अध्यक्ष महोदय...

(श्री नाथूलाल करोल बोलने के लिए खड़े हुए)

ये माइक ठीक कर रहे हैं तब तक मैं कह दूं।

श्री नाथूलाल करील (चाकसू) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष होने के कारण तंगाई आई। लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान का जब समझौता हो गया, उसके बाद तो इस क्रूड ऑइल की सप्लाई करते, यानि नवम्बर के अन्दर हम फसल की काश्त करते हैं। उसके बाद दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च-चार महीने जौ और गेहूं की काश्त के लिए हमें क्रूड ऑइल चाहिए। इस टाइम पर आप लोगों ने हमें क्रूड ऑइल नहीं दिया तो आप मान कर चलिये कि उत्पादन किसी तरह नहीं बढ़ सकता है। आप जहां भी जाते हैं, जहां भी उद्घाटन करते हैं, चाहे आप हों या चाहे केन्द्रीय मंत्री महोदय हों, सबके सब यही कहते हैं कि देश की समस्या जब ही हल हो सकती है जब हम कृषि उत्पादन बढ़ा सकेंगे। देश की आर्थिक स्थिति का सुधार तब ही होगा जब हम देश में खाद्य समस्या को हल कर लेंगे। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि खाद्य समस्या का हल आप खाली भाषणों में करते हैं, या कि आप अपने कागजों के अन्दर कर लेते हैं, लेकिन खेतों की आज हालत यह है कि जो खेती लहलहा रही थी, वह फरवरी के महीने में बिल्कुल सूख गई है।

आपने पिछले आठ-दस दिनों में देखा होगा कि कितने जोरों से हवा चली, उस हवा के कारण खेतों में बिल्कुल नमी नहीं रही और इसके बाद जब क्रूड ऑइल नहीं मिला तो उसके कारण हमारे पम्प बिल्कुल ठप्प हो रहे हैं। इन सब कारणों से खेती झुलस गई है। एक तरफ आप कहते हैं कि कृषि के अन्दर उत्पादन बढ़ाना है और दूसरी तरफ स्थिति है, यह कोई आपके लिए सौभाग्य की बात नहीं है। मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, आपने कृषि उत्पादन के ऊपर एक प्रकार से कुठाराघात किया है। खाली आप अपने भाषणों में या कागजों में यह बतलाते हैं कि देश के अन्दर खाद्य की समस्या को हल करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरे साथ माननीय मंत्री महोदय को भेज दें, मैं सांगानेर पंचायत समिति, जो कि जयपुर के पास ही पंचायत समिति है वहां पर चल कर बता सकता हूं कि आज खेतों की क्या हालत है। मैं निवेदन करूं कि करीब २५ प्रतिशत काश्त बिल्कुल सूख चुकी है। इस स्थिति में आज भी बर्मा शैल के ऊपर सौ काश्तकार जमे हुए हैं लेकिन उनको क्रूड ऑइल नहीं मिल रहा है। हमने बार बार निवेदन किया जिलाधीश को कहा, तब उन्होंने बर्मा शैल को कहा। अब उसने दो सौ लिटर एक महीने के लिए देने को कहा है। आप मान कर चलिये कि किसी काश्तकार के पास चार एकड़ की काश्त है, किसी काश्तकार के पास दस एकड़ की काश्त है और किसी काश्तकार के पास चालीस एकड़ की काश्त है। इन सब काश्तकारों के लिए दो सौ लिटर क्रूड ऑइल देने की बात है। आप इस पर विचार कीजिये कि क्या चार एकड़, दस एकड़ और चालीस एकड़ के लिए दो सौ लिटर क्रूड ऑइल देना न्यायसंगत बात है? यह आवश्यक था कि वे यह देखते कि जितनी सिंचाई जिस पम्प के नीचे है, उतना ही क्रूड ऑइल आदमी को मिलना चाहिए।

इसके अलावा उसकी रेट फिक्स नहीं की है। पहले चालीस पैसे पर-लीटर बर्मा शैल देती थी लीटर प[illegible] के हिसाब से देता था। फिर बाद में क्या किया कि ४५ पैसे पर [illegible] दिया।

(श्री नाथूलाल करोल)

फिर मन माना पैसा लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा बाजार में जो क्रूड ऑइल मिला उसकी यह हालत थी कि हमारे इंजिन के पार्ट खराब हो गये, नोजल खत्म हो गया या फिर पम्प खराब हो गया अब हम बराबर लोगों के पास जाते हैं और पम्प और नोजल को ठीक कराते कराते थक गये हैं। इस तरह की काश्तकारों की समस्या यदि हल नहीं की जाती है तो चाहे सरकार कितने ही नारे लगाये कि हमें देश के अन्दर कृषि उत्पादन बढ़ाना है, हमें आर्थिक समस्या को हल करना है, मेरा निवेदन है कि न तो उत्पादन बढ़ सकता है और न आर्थिक समस्या हल हो सकती है।

मैं आपको निवेदन करूं कि आप कहते हैं कि उत्पादन बढ़ायें और उत्पादन बढ़ाने के लिये आप नये नये तरीके खेती में चालू करने के लिए कहते हैं—आप ट्रेक्टर खरीदो, पम्प लगाओ, नई खाद दो, इसके लिये आवश्यक है कि नई खाद देकर अच्छी खेती करने के लिये आप साधन जुटायें। अगर कोई साधन नहीं जुटाने के लिए तैयार होता है तो हम जो पहले बैल, हल और चड़स से खेती करते आ रहे थे। दुबारा फिर बैल, हल और चड़स से खेती करना चालू करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री दलपतसिंह (आबू): अध्यक्ष महोदय, क्रूड ऑइल के बारे में हमारा निवेदन है कि आपके पास पॉवर की कमी हो, चाहे एमर्जेन्सी का टाइम हो, चाहे आपके सामने कोई और मुश्किल आई हो, इसके पहले से रबी क्रॉप की शुरूआत हुई है। उस समय भी क्रूड ऑइल के लिए काश्तकार को पाल के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के चक्कर लगाने पड़ते थे। मैं इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि खेती के लिए क्रूड ऑइल की जरूरत है लेकिन इसके बारे में हर वक्त कमी की बात सुनते हैं तो लगता है कि क्या कोई अच्छा तरीका नहीं निकल सकता है। क्रूड ऑइल के बारे में देखा गया है कि जो लोगों को वितरण होता है, उनको पचास या सौ लीटर मिलता है। लेकिन उन काश्तकारों को तीस-चालीस मील आबू रोड मन्डी जाना पड़ता है जो क्रूड ऑइल सेन्टर है या फिर सिरोही में मिलता है। वहां तीन-चार दिन लग जाते हैं एक ड्रम को भरने के लिए और इतने समय तक वह खेत से एबसेन्ट रह जाता है। आप जानते हैं, उसकी अनुपस्थिति का खेत के प्रोडक्शन पर खराब असर पड़ता है और फर्क पड़ता है। आज जो कन्डीशन है कि वितरण के इस तरीके और क्रूड आइल न मिलने से और तेज हवा चलने से गेहूं और जौ की क्रॉप के ऊपर असर पड़ा है और क्रॉप बिल्कुल सूखने के काबिल है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वितरण के तरीके को जल्दी से जल्दी सुधारिये, और क्रूड ऑइल की सप्लाई की ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दीजिये ताकि सबको आसानी से सुलभ हो सके ....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, यह क्रूड ऑइल की समस्या भयंकर रूप से काश्तकारों के सामने आई है। जालौर जिले में, विशेषकर जहां पर ४००-५०० के करीब नये पम्पिंग सैट्स लगाये गये हैं। हमने हमारे यहां जहां जहां पर वैल्स हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पम्पिंग सैट्स लगाये हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप वहां पर पम्पिंग सैट कितने हैं, उनकी संख्या का मुलाहिजा करें और उनको कितना क्रूड ऑइल मिलता है। पहले तो १००-१०० लीटर एक एक काश्त-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कार को देते थे और दो सौ लीटर का एक ढोल होता है। इसलिये दो काश्तकार मिलकर एक ढोल ले जाते थे। मगर उनमें भी यह दिक्कत रहती थी कि वे उस ढोल को कैसे बांटें। और जब अधिक कोटा आया तो आपने २०० लीटर देना तय किया। आप देखेंगे कि जालौर और सिरोही में पम्पिग सैट ज्यादा हैं। इसलिये यह सरकार को देखना है कि कितने हार्स पॉवर का एंजिन कहां पर है और कितना एरिया है। जिसमें पानी दिया जाता है और वह एंजिन कितने घण्टे चलता है; २४ घण्टे चलता है या १० घण्टे चलता है या ६ घण्टे चलता है। इस तरह से घण्टों के हिसाब से और कितने हॉर्स पॉवर का एंजिन है उस हिसाब से क्रूड आइल मिलना चाहिये। अगर आपने यह नहीं किया तो इससे काश्तकार को बहुत सैट बैक पहुंचता है। आपके, उनको क्रूड ऑइल सप्लाई समय पर न करने से वे बहुत नाराज हो गये हैं और कहते हैं कि हम इन पम्पिग सैट्स को उखाड़ कर फेंक देंगे; हमें इनसे क्या फायदा है ? हमें तो इनको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। उन्होंने पम्पिग सैट्स मनीलेण्डरों से रुपया उधार लेकर लगाये हैं और वे यह समझते थे कि खेती की उपज से जो आमदनी होगी, उससे इसकी कीमत निकाल लेंगे। लेकिन क्रूड ऑइल न मिलने की वजह से उनको बहुत नुकसान हो रहा है और उनकी फसलें सूख रहीं हैं। मेरे पास टेलीग्राम आया कि फसलें सूख रही हैं इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जितना भी आपको क्रूड ऑइल देना है उनको इन्हीं दिनों में दे देना चाहिये। एक या दो ढोल, जो भी देना चाहें, उनको दे दिया जाए, जिससे काश्तकारों की फसलें बरबाद न हों। अगर आप उनको १५ या २० दिन के बाद क्रूड ऑइल देते हैं तो उसका कोई फायदा उनको नहीं होगा और न उनको उसकी आवश्यकता होगी। इस साल जो क्रूड ऑइल की दिक्कत पेश आई है, उसको देखते हुए सरकार को कोई प्रबन्ध करना चाहिये। जिससे उनको भविष्य में दिक्कत न हो। गुजरात स्टेट ने जो प्रबन्ध किया है, उससे काश्तकारों को फिरने की जरूरत नहीं होती है। वे कार्ड लेकर गये और उनको क्रूड आइल मिल जाता है। उसी तरह से अगर यहां पर भी क्रूड ऑइल का सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो लोगों में असंतोष होगा और किसान लोगों को जो बात हम उनको कहेंगे, वे हमारी बात नहीं मानेंगे। इसलिये, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जाए कि काश्तकार को क्रूड ऑइल मिल जाए और यह प्रबन्ध ५-७ दिन में ही होना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रूड ऑइल का प्रश्न सदन के सामने आया। इस बारे में, मैं थोड़ी सी जानकारी माननीय सदस्यों को जो कुछ सरकार ने इस संबंध में किया है, और कितनी मेरी जानकारी है, देना चाहता हूं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की, जिसको सभी माननीय सदस्य अहमियत को महसूस करते हैं, सरकार भी इसकी अहमियत को महसूस करती है और जिस कमी के वक्त में सरकार ने हर जिले में क्रूड ऑइल से चलने वाले इंजिन हैं, उसकी सर्वे करवा कर आंकड़े इकट्ठे किये, और वे इस दृष्टिकोण से कि जितने पम्पिग सैट्स हैं और जो क्रूड ऑइल से चलने वाले हैं, उनको उस हिसाब से क्रूड ऑइल दिया जा सके। उस हिसाब से ३ हजार या ३।। हजार टन के लगभग कोटा था। एक तरफ सूखा था और बिजली की कमी हो गई और बहुत

Page No. 36

(श्री नाथूराम मिर्धा)
से बिजलीघरों को जो सेंट्स हैं उनको चलाने के लिये ज्यादा क्रूड ऑइल की जरूरत थी। मगर फिर भी हमने इस कमी के होते हुए भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिये दी और इसीलिये ३।। हजार टन के करीब जो कोटा था, उसमें से २,५०० टन कोटा क्रूड ऑइल से चलने वाले पम्पिंग सेंट थे, उनको दिया गया और वह पम्पिंग सेंटों को ध्यान में रखते हुए अलॉटमेन्ट हुआ। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के सेक्रेटरी ने इस संबंध में मीटिंग बुला कर हर महीने का कोटा बनाया, जो उस काम में लाना चाहिये। पंचायत समितियों को और दूसरी जगह पर कितना कोटा उपलब्ध हो सकता था, उस हिसाब से दिया गया। हालां कि फिर भी जितना कोटा चाहिये था, उसको हम मीट नहीं कर सकते। कई लोगों को कहा गया कि डीजल ऑइल में केरोसीन मिला कर चलाने की कोशिश की जाए। मगर फिर भी हाइएस्ट प्रायोरिटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन्स के लिए दी गई और पम्पिंग सेंट्स चलाने के लिये दी गई। क्योंकि सूखे की साल है इसलिये इसका कोटा बढाया जावे और उसके लिये सेंट्रल मिनिस्ट्री से बातचीत की और इस महीने में आठ हजार टन क्रूड ऑइल हमें मिला है और एक या दो पानी फसल को देने के लिये कर रहे हैं। इसलिये हम काश्तकारों की इससे ९० प्रतिशत तक जरूरत को मीट कर सकेंगे जिसके लिये आप चिन्ता जाहिर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उनको जितने ढोल डीज़ल ऑइल के चाहिये, हमने उसके लिये व्यवस्था कर दी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको अभी मालूम ीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुझे मालूम है। पूरी उनकी डिमाण्ड के माफिक नहीं किया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप चार दिन पहले की बात कर रहे होंगे। मैं कल की ही बात कर रहा हूं। महीने डेढ महीने के लास्ट क्रॉप को पानी देने के लिये उनकी ९० परसेंन्ट रिक्वायरमेंन्ट को हम मीट कर लेंगे।

(एक माननीय सदस्य : बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मुझ पहले कहने दें फिर आप कह लेना। इस वजह से काश्तकार के लिये जैसा आपने क्रूड आॅइल की बात कही कि कार्ड बना दिये जावें, जो हम नहीं कर सकें। इसके लिये में यह कहूंगा कि यह व्यवस्था भी हम अगले साल में जब जरूरत होगी, हम इसको भी लागू करने आ रहे हैं। इसलिये में यह कहूंगा कि इस दिशा में हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को टॉप प्रायोरिटी दी है। हमने सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दी है, उसके बाद में बिजली घर जो क्रूड आॅइल से चलते हैं उनको प्रायोरिटी दी है और थर्ड प्रायोरिटी उनको है जो इन्डस्ट्रीज क्रूड आॅइल से चलती है। इसलिये पिछले तीन महीनों में हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ही टॉप प्रायोरिटी दी है। इसकी सारे देश में कमी है और भारत सरकार ने इसको पूरा करने के लिये कोशिश की है। फिर भी मैं नहीं कहता कि सब जरूरत पूरी कर दी गई है। माल कम था और मांग ज्यादा थी लेकिन फिर भी हमने निश्चित तौर से हमने इस लक्ष्य को ध्यान में रखा है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और वह यह है कि एक ढोल की कीमत क्या है और उसको जब खरीदा जाता है तो उसकी पर्ची क्यों नहीं दी जाती है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : ब्लेक मार्केटिंग ही इसका आधार है ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : बर्मा शैल वाले जब ढोल सप्लाई करते हैं तो पर्ची नहीं देते ।

श्री दयाचन्द सोन (बारां- सु.) : सितम्बर का कोटा क्यों नहीं मिला ? आपने वितरण का तरीका क्या अपनाया है ?

श्री दलपतसिंह (आबू) : आपका वितरण का तरीका है उसके लिये यह होना चाहिये कि पंचायत समिति का हैड क्वार्टर हो वहां पर इसका प्रबन्ध कर दिया जाना चाहिये ताकि जिस काश्तकार को जरूरत हो वह जाकर ले आये । जैसे किसी को १०० लिटर का कोटा है उसको बहुत दूर जाना पड़ता है । इसलिये आप कुछ न कुछ ऐसा प्रबंध करें कि जिससे पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर आकर अपनी जरूरत का कोटा ले जा सकें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना था कि जो क्रूड आइल दिया जा रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइन्ट किये गये हैं वे जिन लोगों को दिया जाना चाहिये उनको न देकर ब्लेक करने के लिये अपनी मोटरें जगह-जगह फेरते हैं । जहां ९७ रु० का भाव है वहां ११० रु० का ढोल देते हैं । इसलिये क्रूड ऑइल के वितरण की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए । जहां कोटा दें वहां ठीक तरह से वितरण हो, इसकी पूरी देख-रेख रखी जाय ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा । मंत्रीजी ने कहा कि क्रूड ऑइल की देश व्यापी कमी है, मैं खुद जानता हूं कि कमी है पर आज क्या हो रहा है, इस सम्बन्ध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । बी. डी. ओज- ब्लॉक्स में जाते हैं और जगह जगह लोगों के सामने पम्पिंग सैट्स की तारीफों के पुल बांधते हैं, लोग खरीदते हैं पर उनको क्रूड ऑइल नहीं दिया जाता, यदि ये लोगों को दिये जाते रहेंगे इनकी ब्लेक सप्लाई होगी तो क्रूड ऑइल की ७५ परसेंट तक आप उनकी डिमान्ड फुलफिल नहीं कर सकेंगे, और मैं कहता हूं यह काश्तकारों के साथ बड़ा भारी धोखा होगा । बहुत से काश्तकारों ने कर्जा ले ले कर पम्पिंग सैट्स लगाये हैं । अगर क्रूड ऑइल के वितरण की आप ठीक तरह से व्यवस्था नहीं करेंगे और इसी प्रकार डिस्ट्री- ब्यूटर्स को ब्लैक करने देंगे तो दो-तीन महीने का कोटा एक साथ गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से प्राप्त नहीं कर सकते, एक महीने में जितना कोटा आया दूसरे महीने में उससे आधा कोटा आया तो जैसा कि श्री नाथूलालजी करील ने कहा, फसलें सूख जायेंगी और इससे उत्पादन की हानि के साथ-साथ जनहानि भी होगी । इससे तो बहतर है कि उन लोगों को जो पुराने मैथड्स हैं उन्हीं को अपनाने दीजिये ।

अगर ए.पर्क बी. डी ओज. पम्पिंग सैटस की तारीफों के पुल बांधते हैं और काश्त-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कारों को पम्पिग सेट्स देते हैं तो सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उन्हें तेल दिया जाय। यह कोटा-परमिट राज है, इसमें अगर ब्लैक मार्केटिंग होता है तो इस बारे में सरकार का फर्ज है कि वह समुचित व्यवस्था करे। जिन काश्तकारों को पम्पिग सेट्स दिये गये हैं उनको तेल की सप्लाई इन-अबन्डेन्स होनी चाहिये, नहीं तो आप विचार करें बोसियों ऐसे लोग तैयार हो जायेंगे जो कहेंगे कि भले ही सरकार इन पम्पिग सेट्स को वापिस ले ले। तो आप उनको कीमत देकर वापस ले लीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी यहां असेम्बली में डिस्कशन हुआ, उसके बारे में मुझे निवेदन करना है। वैसे डीजल आॅइल की. एल. डी. ओ. की कमी का कारण मैंने स्टेटमेंट में बता दिया, उसको में दोहराना नहीं चाहता। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रेल्वे वैगन्स टाइम पर नहीं मिलते, इस कारण पोर्ट से ट्रान्सपोर्ट करने में दिक्कत आती है। इसके लिये राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को अनेकों बार लिखा है, उसका नतीजा यह है कि पहले से अब मूवमेंट अधिक [illegible] लगा है। जैसे कि जनवरी में ३३८५ टन आया, इस महीने में फरवरी, ६६ में ३९१४ टन १५ दिनों के अन्दर आया। तो मूवमेंट को जरा स्पीड अप किया है। और में समझता हूं कि अनकरीब दिक्कत नहीं आनी चाहिये। इसका डिस्ट्रीब्यूशन परमानेंट थ्रीन एजेंसीज के जरिये होता है, आइ. ओ. सी. बर्मा शैल कम्पनी और एसो और कितनी मात्रा में इन तीनों एजेन्सीज को दिया जाय यह भारत सरकार डिटरमिन करती है इन कम्पनीज से बातचीत करने के बाद। कहां पोर्ट है, ट्रान्सपोर्ट फैसीलिटीज हैं या नहीं, इन सब चीजों को देख कर भारत सरकार डिस्ट्रीब्यूशन का कोटा बांधती है। भारत सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के सम्बन्ध में बड़ी अड़चनें पहुंचती हैं; जो अलॉटमेंट हमें किया गया है वह हमें मिल जाय तो कोई दिक्कत हमें नहीं आयेगी।

यहां यह प्रश्न उठा कि एग्रीकल्चर को प्रिफरेंस देना चाहिये और मेरे कलिग ने बताया कि एग्रीकल्चर को प्रिफरेंस दिया है। जब राजस्थान में पॉवर की कमी हुई तो लोगों ने, इन्डस्ट्रियलिस्ट्स ने डीजल सेट्स लगाये, कहीं ५०० के, कहीं एक हजार के डीजल सेट् लगाये, उनको भी एल. डी. ओ. मिलता रहे, इस बात की निगरानी भी राजस्थान सरकार को करनी पडती है। इससे क्वन्टम ऑफ इनटेक बढ गया। जैसा नाथूरामजी ने कहा साढे दस हजार का हमारा अनुमान है, वह बढ सकता है।

माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समितियों में ऐसा सिस्टम किया जाय कि वहां मिल जाय। हम पंचायत समितियों को देने को तैयार हैं, पर वहां स्टोरेज की बड़ी दिक्कत आयेगी, फाइनेंन्सेज की समस्या खड़ी होगी, वे लेना चाहें तो मुझे इसमें ऐतराज नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जिला वाइज करें।

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे ऐतराज नहीं होगा मार्केटिंग सोसाइटीज के जरिये पंचायत समितियां इस कोटे को लें।

I will certainly request the Companies to give them the facilities of distribution.

(श्री हरिश्चन्द्र)

मगर आपको स्टोरेज करना पड़ेगा इनीशियल इन्वेस्टमट करना पड़ेगा, इसका प्रावधान आप कहां से करेंगे ? जहा तक केरोसीन का सवाल था मैंने प्रयत्न किये कि हर पंचायत समिति ठेका ले ले, पर किसी पंचायत समिति ने नहीं कहा कि हम इस काम को करेंगे। अगर पंचायत समिति यह करे कि एल. डी. ओ. का डिस्ट्रीब्यूशन वह करेगी तो हम इसके लिये तैयार हैं पर उनके सामने स्टोरेज की, फाइनेंसेज की डिफिकल्टीज आयेंगी।

जालोर के माननीय सदस्य ने कहा कि उनके यहां नहीं पहुंचा ; I will make enquiry immediately and will see that movement is made to your district.

मगर अब वहां पहुंच गया होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कम्पनियों पर भाव की पाबन्दी तो लगा सकते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक भावों का सवाल है, ब्लेक मार्केट अगर कोई करता है तो आप ध्यान में हो मुझे बतादें कि यह हो रहा है पर अभी तक कोई माननीय सदस्य न कभी मेरे पास पधारे और न कभी कुछ कहा, चिट्ठी लिख दें या आकर कह दें कि फलां-फलां एजेन्ट इस प्रकार कर रहा है तो मैं फौरन कार्यवाही करूंगा लेकिन आप केवल यह कहदें कि हो रहा है तो इनसे तो कोई सवाल हल होने वाला नहीं है।

श्री मधनलाल (हिन्डोन-सु०) : कीमत तो बताइये।

श्री अध्यक्ष : कीमत मंत्री महोदय को मालूम नहीं। एक बात मैं पूछना चाहूंगा। क्या कुछ कानूनी नियन्त्रण है इन कीमतों पर, काननी स्थिति क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्राइस कन्ट्रोल है, जहां तक मेरे को खयाल है, ८० पैसे लीटर के दाम हैं क्रूड ऑइल के, एक ढोल के दाम १६० हैं........

(शोरगुल)

विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्य : गलत गलत।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, अपनी याद-दाश्त पर इतना भरोसा नहीं करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कुछ दिनों पहले की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अनिश्चित बात न करें।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक दाम का सवाल है मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरा अनुमान है कि इस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : क्यों साहब ? एक मंत्री कहते हैं कि कन्ट्रोल है, दूसरे कहते हैं कि कन्ट्रोल नहीं है, एक ही सांस में कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं फिर मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि निश्चित् जानकारी नहीं है तो यह आवश्यक नहीं है कि अभी दे दें, बाद में दे दें, कि वैधानिक स्थिति क्या है; लेकिन जो वितरण का प्रश्न उठाया गया है वह वाकई गंभीर है क्योंकि जो कम्पनियां हैं उन्होंने अपने ढंग से वितरक बना रखे हैं पुराने तरीके से से; अगर उनकी लिस्ट देखेंगे

(श्री अध्यक्ष)
तो सैंकड़ों मीलों का इलाका ऐसा होगा जहां एक भी वितरक नहीं है। पहले उनको बाध्य कीजिए कि कम से कम हर समिति क्षेत्र में इसकी कमी है तो एक-दो क्षेत्रों के पीछे जो स्वयं निश्चित कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग पोइन्ट्स कौनसे सूटेबल हैं, वह कायम कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो समिति जिसको रिकमंड करे उसको एपोइन्ट करें। तो अगर वितरण की तरफ आप ध्यान दें तो सुविधा हो जायगी। जो भी चीज मिले उसका एक न्यायोचित तरीके से वितरण हो जाय, इसके लिए अवश्य ध्यान दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : स्पेयर पार्ट्स के बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिए। जब इतने पम्पिंग सैट्स पंचायत समितियों द्वारा वितरित होते हैं और स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलें तो फिर क्या होगा ? कई जगह पट्रोल और डीजल ऑइल की कमी हो गई है। टके सेर मूली टके सेर खाजा।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां भी इस तरह की हरकतें पंचायत समितियों के नोटिस में आती हैं कि कोई ज्यादा पैसा ले रहा है या वाउचर्स नहीं दे रहा है उसके लिए अगर मुझे बताएं तो मैं कम्पनीज के एजेन्ट्स से बात कर सकता हूं, उनको पाबन्द कर सकता हूं इसके लिए कि वे इस बात को देखें कि उनके जो एजेन्ट्स हैं वे इस तरह की हरकतें करते हैं। उसके लिए जो भी कार्यवाही हो सकती है वह करने के लिए तैयार हूं।

अगर कम्पनीज पर छोड़ा गया तो फिर वही हिसाब चलेगा। इसमें जब तक पंचायत समिति खुद न करे तब तक मुश्किल है। मैंने कई बार कम्पनी वालों को बुलाकर उनसे कहा है कि आपके सब-एजेन्ट्स की शिकायतें आती हैं और इनको आपको देखना चाहिए और शिकायत इस बात की है कि उच्च दाम चार्ज करते हैं कन्ज्यूमर्स से इसके वे इतना जरूर आश्वासन देते हैं कि कोई ऐसी चीज होगी तो बदल देंगे, लेकिन उसका निराकरण तभी हो सकता है जब पंचायत समितियां उसके एजेन्ट्स बन कर खुद डिस्ट्रीब्यूटर का काम करें तो जो इसमें दिक्कत है उसमें सुविधा हो सकती है। वे किस तरह से काम करें कहां से फण्ड्स रेज करें, यह ऐसा मामला है जिसका विचार किया जा सकता है। लेकिन जब तक आप इसके लिए दूसरी एजेन्सी नहीं खड़ी करेंगे तब तक दिक्कतें आती हैं। मैं फिर भी इतना अर्ज करता हूं कि अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे पास लाएं, जितना भी मेरे पावर्स में हो सकता है मैं करूंगा।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : अब इस पर बहस नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : कीमत बताइए।

श्री हरिश्चन्द्र : कीमत लिख कर आपको भेज दूंगा।

(१२.४५ म. पू.)

श्री मोहन पुनमिया की भूख-हड़ताल विषयक स्थगन प्रस्ताव

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैंने एक एडजोर्नमेन्ट मोशन श्री मोहन पुनमिया की भूख हड़ताल के संबंध में दिया था और मुख्य मंत्री जी ने यह वायदा किया था कि आज या अधिक से अधिक आज इस बारे में अवश्य वक्तव्य देंगे। २१ तारीख से भूख हड़ताल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चल रही है उसकी स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। लगातार तार आ रहे हैं और इस बारे में सरकार को अपनी नीति घोषित करनी चाहिए। आज उप-मंत्री से वक्तव्य आ जाना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): मैं कल वक्तव्य दूंगा। उनका स्वास्थ्य संतोषजनक है। कुछ आपके मित्र भी उनसे मिलने के लिए गए हैं, वे फर्स्ट हैण्ड इन्फोर्मेशन लेकर आयेंगे। उनका २०० पाउन्ड का वजन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): उनका ५०० पाउंड वजन है। लेकिन घटा कितना है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर २४ घंटे में कुछ होता है तो जिम्मेवारी आपकी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्वास्थ्य अच्छा है आज की तारीख में; सैटिस्फैक्टरी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह एड्जोर्नमैन्ट मोशन दो दिन पहले दिया गया था और वे सेशन के मिलने से इतने पहले भूख हड़ताल पर हैं। जो प्रश्न इन्वोल्व्ड है वह भी सरकार के सामने है। यह सवाल लोक सभा में उठा है। दो दिन के बाद भी सरकार के पास इन्फोर्मेशन नहीं आए, क्या सरकार चाहती है कि वास्तव में सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाए या उनकी जान को बहुत नुकसान हो तब सरकार वक्तव्य देगी। आखिर जो प्रश्न उन्होंने उठाए हैं वे सैद्धांतिक हैं। केवल उन्होंने ही नहीं की है बल्कि हिन्दुस्तान के पैमाने पर जितने बड़े से बड़े जूरिस्ट्स हैं उन लोगों ने भी सरकार को कन्डेम किया है। अब ताशकन्द घोषणा के बाद तो कम से कम एमर्जेन्सी को कायम रखने की कोई बात नहीं ....

श्री अध्यक्ष : जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया और विस्तार से दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो दूसरा प्रश्न जोड़ा है उसके लिए मंत्री महोदय चाहते हैं कि कल आपके प्रस्ताव में जो बातें हैं, उल्लिखित थीं और जो श्री पूनमिया ने उठाई हैं उनके बारे में सरकार जवाब दे वह महत्वपूर्ण बात है। स्वास्थ्य के बारे में मंत्री महोदय ने जानकारी दी है। मैं आशा करता हूं कि जब वे उत्तर देंगे तो सारी बातें जो प्रस्ताव में हैं और जो बातें श्री पूनमिया ने उठाई हैं उनका अधिकृत रूप से सरकार की ओर से जवाब आ जायगा।

(१२.४८ म. प.)

कोटा स्ट्रा बोर्ड, कोटा विषयक स्थगन-प्रस्ताव पर शासकीय वक्तव्य

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : श्रम मंत्री, स्ट्रा बोर्ड, कोटा के बारे में जवाब देने को तैयार हैं।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : कोटा स्ट्रॉ बोर्ड, कोटा के मालिकों ने दिनांक १६-१२-६५ को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा २५ एफ. एफ. के अन्तर्गत एक नोटिस लगाया कि मिल का समस्त कार्य नोटिस के एक माह के बाद अर्थात् १५-१-६६ से बन्द कर दिया जायेगा। उस नोटिस में यह भी बताया गया कि जो मुआवजा कानूनी बनता है वह श्रमिकों को दिया जायगा। उस नोटिस के उपरान्त कोटा स्ट्रॉ बोर्ड मजदूर संघ द्वारा यह आपत्ति उठाई गई कि यह नोटिस गैर कानूनी है क्योंकि इस संघ में फैक्टरी बन्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

सहायक श्रमआयुक्त, कोटा ने इस संबंध में समझौता वार्ता प्रारंभ की, लेकिन फैक्टरी की ओर से कोई अधिकृत व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने समझौता असफल होने

(श्री भीखाभाई)

की रिपोर्ट दिनांक १०-१-६६ को प्रस्तुत कर दी।

सरकार ने इस पर विचार कर १३ जनवरी, १९६६ को आज्ञा संख्या डी. २५७। ६६ द्वारा उक्त विवाद को लेबर कोर्ट के सुपुर्द कर दिया जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस निम्नलिखित हैं :—

"How far the act of closing down of the factory by Kota Strawboard Private Ltd., Kota, with effect from 15th January, 1966, without assigning any reasons for such closure is legal and justified, and to what relief, if any, the workmen employed by the factory are entitled."

उसके पश्चात् भी उक्त यूनियन द्वारा ७ फरवरी, १९६६ से एक व्यक्ति को भूख-हड़ताल पर बिठाया गया और उसके बाद कुछ अन्य व्यक्ति भी भूख हड़ताल पर बैठते रहे। यह व्यक्ति एक या दो दिन भूख हड़ताल पर रहते और फिर उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति बैठ जाते। अब यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति ने दिनांक २५ फरवरी से आमरण अनशन आरंभ कर दिया है। इस संबंध में यह निवेदन है कि सरकार लेबर कोर्ट को यह मामला सुपुर्द कर चुकी है और यह प्रश्न सब-जुडिस है। श्रमिक संघ को यह बात समझा दी गई है, फिर भी उन्होंने आन्दोलनात्मक रुख अपना रखा है। चूंकि सरकार कानूनी कार्यवाही कर चुकी है और मजदूरों की भूख हड़ताल का प्रश्न उचित नहीं है इसलिये स्थगन प्रस्ताव को स्थगित कर दिया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव की गंभीरता इसी से प्रकट है जिसके कारण मजदूरों ने भूख हड़ताल की, एक मजदूर तो २५ फरवरी से ही अनिश्चित काल के लिये भूख-हड़ताल पर है, उनकी बातों को स्वीकार न करते हुए, उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए श्रम मंत्री ने यहां अभी जो स्टेटमेन्ट दिया है, मैं सोचता हूँ, इससे अधिक शर्म की बात इस सरकार के लिये और कोई नहीं होगी। मिल मालिक ने मिल को बन्द करने के लिये एक महीने का नोटिस दिया और कारण नहीं बताये कि इन कारणों से फैक्टरी बन्द करनी पड़ रही है, उसके बाद लगातार मजदूरों के द्वारा रिप्रेजेन्टेशन्स पेश करना और मुख्य मन्त्री के पास बराबर मांग लेकर जाना और जहां आज ५०० मजदूर बेरोजगार हो गये हैं और कोई धन्धा नहीं है उस पर कोई एक्शन न लेना और लेबर कोर्ट को एक्टिव बनाने के लिये, फोर्स करने के लिये और कोई कदम न उठाना यह कह कर कि क्लोजर रिपोर्ट लेबर कोर्ट को भेज देते हैं इस कानून के अनुसार तसल्ली कराना चाहते हैं कि हमने उसको सौंप दिया है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार मजदूरों के साथ खिलवाड़ करना, यह सरकार के लिये लज्जास्पद विषय है। मजदूर भूख हड़ताल कर रहे हैं और एक मजदूर अनिश्चित काल तक के लिये भूख हड़ताल पर बैठ गया है, चौबीसों घण्टे धूप और ठंड में खड़े हैं और यह कहना कि लेबर कोर्ट में भेज दिया है इसलिये मामला सबजुडिस है।

(विराम)

यह बहुत ही लज्जाजनक बात है। आप इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत क्यों नहीं बढ़ना चाहते हैं? वास्तव में मालिक ने फैक्टरी बन्द की है तो वाजिब है या नहीं? फाइनेन्शियल स्थिति इस लायक है कि नहीं कि वह

Page No. 43

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उसको चलायें या नहीं ? सरकार समाजवाद का नारा लगाती है; सरकार समाजवाद का नारा लगा कर दुनिया को गुमराह करना चाहती है। सरकार मजदूरों की रक्षक बनना चाहती है, मैं उस सरकार से कहना चाहता हूं कि उस फैक्टरी में सरकार का पैसा लगा हुआ है, उसके मालिक को लोन दे रखा है, फाइनेन्शियल, कार्पोरेशन से उस फैक्टरी को लोन दिलवाया, सरकार के पास क्या मजबूरियां हैं ? फौरन क्यों नहीं नेशनलाइज कर लेते, क्यों नहीं सरकार फौरन उसको हाथ में ले ले ? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि श्रम मंत्री का यह कहना कि लेबर कोर्ट के मामला सुपुर्द है इसलिये सबजुडिस है, इससे अधिक लज्जा की बात और कोई नहीं है। इसलिये श्रम मन्त्री को बाध्य किया जाय कि वे शीघ्र से शीघ्र कदम उठायें। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंन्ट एक्ट के तहत शीघ्र कार्यवाही करें कि वस्तुस्थिति क्या है और जब तक यह न हो जाय फैक्टरी को सरकार अपने हाथ में लेकर उस फैक्टरी को सरकार चलाये और मजदूरों को धन्धा दे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, कोटा में स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी में भूख-हड़ताल हो रही है। अध्यक्ष महोदय, लेवर ट्रिपर्टाइट कॉन्फ्रेंस में जो निर्णय हुये हैं, मैं समझता हूं कि मिल मालिक का यह कदम उस निर्णय के बिलकुल विरुद्ध है। क्लोजर का कदम जो उठाया गया है, यह ताला-बन्दी, जिसको कि वह अपनी ओर से इस तरह की बातचीत ट्रिपर्टाइट लेवल पर किए बगैर नहीं की जानी चाहिये थी, क्लोजर का कोई कारण नहीं बताना, यह सिद्ध करता है कि दरअसल क्लोजर नहीं है, लोक आउट है। क्लोजर उस हालत में किया जा सकता है जब कि उसकी फाइनेन्शियल कन्डीशन्स इस प्रकार की हों। इस हालत में क्लोजर किया जा सकता है जबकि उसकी आर्थिक स्थिति इस तरीके की हो कि माल के उत्पादन को देखते हुए मजदूरों को जो वेतन देता है उसको आगे चलाना उसके लिये श्रेयस्कर न हो। आज एमर्जेन्सी की हालत में यदि मिल मालिक को मुनाफा न हो या हो तो वह क्लोजर का कारण नहीं बन सकता। प्रोडक्शन के दौरान कुछ घाटा करके भी चलाना पड़े तो चलाना पड़ता है। जब कोई क्लोजर का कारण नहीं दिया तो गवर्नमेन्ट को उसको तालाबन्दी मान कर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये था। उन्होंने इस प्रकार ट्रिपर्टाइट एग्रीमेन्ट्स की अवहेलना की, मैं कहूंगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत गवर्नमेन्ट उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है और माननीय सदस्य ने कहा कि उस एक्ट के तहत कारखाने को अपने अधीन ले सकती है। गवर्नमेन्ट ने खुद इस बात का आश्वासन दिया था। इतिहास इस बात का साक्षी है। श्रमिकों ने, हर जगह उस त्रिदलीय सम्मेलन में निर्णय हुए उसका अक्षरशः पालन किया है। मिल मालिकों ने, चाहे वे गंगानगर के हों, चाहे जयपुर के हों, चाहे और जगह के हों उस त्रिदलीय सम्मेलन के फैसलों को लागू नहीं किया है। पता नहीं सरकार में क्या कमजोरी है कि मालिकों के सामने सरकार घुटने टेक देती है, यह कह कर कि लेबर कोर्ट को मामला दे दिया है उस चीज को टालने की कोशिश करती है। मैं निवेदन करूंगा कि यह सही रुख नहीं सरकार का इस एमर्जेन्सी में जबकि देश के अन्दर प्रोडक्शन बढाना है। मजदूरों के प्रति सरकार का इस एमर्जेन्सी में यह सही रुख नहीं है। इस तरह औद्योगिक शान्ति कायम नहीं रह सकती।

Page No. 44

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मजदूर जिस तरीके से शान्ति रखते हैं उसका रैस्पोन्स मालिकों की ओर से न मिले और गवर्नमेन्ट भी मालिकों को एक्सक्यूज दे देती है, इस तरह रास्ते निकालने का श्रमिक विरोधी दृष्टीकोण है और पूंजीपतियों का साथ देने की बात है और अफसोस यह है कि श्री भीखाभाई जो एक एक्सप्लोइटेड क्लास से आते हैं उनको मोलिटरियेट के रहनुमा बनना चाहिये था, इस सरकार में कठपुतली की तरह काम करें और बजाय उस वर्ग के प्रति काम करने के जिसमें से वे आते हैं वे मालिकों का साथ देते हैं। इसलिये सरकार फैक्टरी के मालिक का प्रोसिक्यूशन करेगी और कब्जे में लेकर फैक्टरी को सरकार चलायेगी।

(१.०० म.प.)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह कहना कि मजदूरों की सरकार को फिक्र नहीं है, यह कहना गलत होगा। हम लोग जो इधर बैठे हुए हैं वे भी सरकार पर यह दबाव डालना चाहते हैं कि इस तरह से मालिक लोग जो मजदूरों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करें उनको सबक सिखाना चाहिये। हम बहुत जोरों से यह महसूस करते हैं कि इस सिलसिले में कोई कानून की आड़ नहीं ली जाय, यह मजदूरों की जिन्दगी का सवाल है, इसमें क्लोजर और लोक आउट में फर्क करना चाहिये। जिस किसी भी प्रकार से इस फैक्ट्री को चालू करके पूरी तरह से मजदूरों को बेकारी से रोका जाना चाहिए।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि मजदूर जब कभी हड़ताल करते हैं तो तुरत मजदूरों की उस हड़ताल को इल्लीगल करार दे दिया जाता है और उसके अन्तर्गत उनको दो-दो मास की सजा तक दे दी जाती है। दूसरी तरफ लोग सारा का सारा घास खा जाते हैं, घास इधर से उधर कर देते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो मालिक लोग मजदूरों को भूखा मारने में लगे हुए हैं, उस फैक्ट्री में जो गवर्नमेन्ट का रुपया लगा हुआ है वैसी हालत में कोई कारण नहीं कि उस रुपये की वसूली के लिये जो भी सामान उस फैक्ट्री में है उसको कब्जे में किया जाय, उसके मालिक की जो सारी जायदाद है उसको कब्जे में लेकर सरकारी रुपये को वसूल किया जाय। उस सारी कोस्ट पर इन तमाम ५०० मजदूरों को रोजी दी जाय। मैं सरकार से अपील करूंगा कि हम सब कॉंग्रेस वाले इस बात को महसूस करते हैं, इन मजदूरों को बेकार नहीं होने देना चाहिये और जो सरकार का रुपया लगा हुआ है उसको वसूल किया जाना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): आपके कितने शेयर्स हैं, कितना लोन है, आपका कितना बकाया है, यह आप बता सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): माननीय अध्यक्ष....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य...

(श्री हरिप्रसाद शर्मा) अनवरत घंटी बजाने पर भी बोलते रहे; अध्यक्ष द्वारा घंटी देने पर व्यवधान--अश्रव्य)

श्री हरिप्रसाद शर्मा: सरकार चाहती है कि वहां के मजदूर इन्टक के झण्डे के नीचे आ जायें।

Page No. 45

(पुनः अनवरत घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य · ·

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सरकार पूंजीपतियों का पक्ष ले रही है, मजदूरों को भूखा मारा जा रहा है ····

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य को बार बार कहा जा रहा है। वे स्थान ग्रहण करें। जब मैंने मंत्री महोदय को जवाब देने के लिये कहा है तो आप स्थान ग्रहण कर लीजिये। आप बोलते ही रहे, लेकिन कुछ लिखा गया नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैंने अध्यक्ष महोदय, स्थगन-प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन-प्रस्ताव दस आदमी देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि दस आदमी ही उस पर बोलें। एक पार्टी का एक माननीय सदस्य बोलता है, फिर दूसरी पार्टी के सदस्यों को अवसर दिया जाता है। आपकी पार्टी से एक सदस्य बोल चुके हैं; अब आप मंत्री महोदय का उत्तर सुन लीजिये। अगर आपका इसी तरह का रुख रहा तो हमें सोचना पड़ेगा कि स्थगन-प्रस्ताव पर विचार करें या न करें।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैं एक्सप्लोइटेड क्लास से आता हूं इसलिये मेरी सिम्पेथी मजदूरों के साथ होनी चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती। मेरी सहानुभूति मजदूरों के साथ है और उनसे बार बार मिला हूं········

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप इस बारे में कभी कोटा आये क्या ? आप तो वहां आये और एक लड़की को साथ लेकर घूमते रहे। आपके एक पंडितजी आये और मजदूरों को कहने लगे कि आप इन्टक के झण्डे के नीचे आवो तब हम देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप शुरू से ही इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं। आपने अभी उत्तर ही नहीं सुना और कहने लग गये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : लड़की को साथ में लेकर घूमना अपराध है क्या ?

श्री भीखाभाई : अपनी नेतागिरी पकाने के लिये इस प्रकार की बातें उड़ा रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वहां से हमारी नेतागिरी आपके मुख्य मंत्री भी खतम नहीं कर सकते। कोटा डिवीजन का एक एक पत्थर हम बजा देंगे।

श्री भीखाभाई : जहां तक मजदूरों का सवाल है, वे हमारे साथ आयेंगे; वे इन्टक के झन्डे के नीचे ही आकर रहेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हम झन्डे के भूखे नहीं हैं, हमें तो मजदूरों के अधिकारों की भूख है।

श्री अध्यक्ष : (श्रम मंत्री से) आप कृपया बैठें नहीं, उत्तर जारी रखें।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी पूरी हमदर्दी मजदूरों के साथ है। मेरे से मजदूरों के नेता मिले, उनके कहने पर मैंने डिप्टी लेबर कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर समझौते के लिये भेजा, उनको फैक्टरी को

(श्री भीखाभाई)

रिपोर्ट हमारे पास आयी। मैनेजमेन्ट का रुख अच्छा नहीं, यह मैं मानता हूं। हम इसको बरदाश्त नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो भी कार्यवाही हम करेंगे वह कानून को बलाये ताक रख कर नहीं कर सकते। यहां कानून का सवाल है, मैनेजमेन्ट का कोई सवाल नहीं।

श्री अध्यक्ष : उस कारखाने के बन्द करने के क्या कारण बतलाये हैं मैनेजमेन्ट ने ?

श्री भीखाभाई : मैं इसके बारे में कानून की धारा पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष :आप तो एक बात बता दें जो सरकारी डाइरेक्टर इसमें हैं वे इसके बन्द करने में सहमत हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड कन्सर्न में सरकारी डाइरेक्टर हो सकता है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :आपके उसमें शेयर्स हैं या नहीं; लोन है, सिक्योरिटी है या नहीं ?

एक श्री माननीय सदस्य :He is the Labour Minister.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट रेगुलेशन एक्ट की तहत उसको आप लेने की बात क्यों नहीं करते ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बड़ी चिन्ताजनक बात है, आपके इसमें शेयर्स है; शादूल टैक्सटाइल में आपके शेयर्स हैं; वहां आपके आदमी है।

श्री अध्यक्ष :यह तो उद्योग मंत्रीजी से पूछिये, वे बतायेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : गवर्नमेन्ट की तरफ से वहां कोई डाइरेक्टर नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :जहां आपका इतना पैसा लगा हुआ है वहां आप अपना एक डाइरेक्टर नहीं रख सकते ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो बातें कही जा रही हैं वे काफी पुरानी हो चुकी। मैं इस फैक्टरी के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें फाइनेन्स कोर्पोरेशन का जो पैसा लगा हुआ है, जिन जिन मदों के लिये मिला है, उस सारे पैसे का एम्बेजलमेन्ट पूरी तौर से कर लिया गया है, उसका कोई हिसाब तक नहीं। सरकार इस बात को देखे कि जो पैसा उनको दिया गया है उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं ? मनोहरलालजी सारे पैसे को हजम कर गये हैं दूसरे डाइरेक्टर्स के नाम पर, लेकिन छींटे आप पर उछाले जा रहे हैं। इसमें डाइरेक्टर्स का कोई हाथ नहीं, सारी कार्यवाही मनोहरलालजी द्वारा की गई है। यह पहला ही काम नहीं है। जहां कहीं भी मनोहरलालजी रहे हैं डाइरेक्टर्स के नाम पर अपना पेट भरा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The position should be clarified by the Chief Minister because in these pamphlets you have been tagged with this problem in the factory. Unfortunately Mr. Kamtaprasad, who happened to be Director is dead and you are being dragged in this.

श्री कृष्णकुमार गोयल :जो पर्चेबाजी इस सम्बन्ध में हो रही है उसमें आपके नाम को उछाला जा रहा है, सरकारी कर्मचारी उसके आड़ में कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकते। इन पर्चों में कामताप्रसादजी और आपका नाम उछाला जा रहा है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सरकारी कर्मचारी भी इस नाम की ओट लेकर कहते हैं, इसकी वजह से मजबूरन वे कुछ नहीं कर सकते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, अध्यक्ष महोदय, कि मेरा नाम इसमें इन्क्लूड करते हैं, वह तो दुर्भाग्य की बात है।

लेकिन इसके अन्दर कानूनी कार्यवाही गवर्नमेन्ट की तरफ से जो कुछ हो सकती है, डिपार्टमेन्ट इसे एग्जामिन करा ले कि जिसकी वजह से जो एम्बेजलमेन्ट है या और कोई ऐसी बात है तो उसको ठीक किया जा सके। हमारे सामने मनोहरलालजी का कोई मोह नहीं है। जो कार्यवाही की जा सकती है की जावेगी, यह मैं आपसे कह सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अब तो कह दीजिये कि स्थिति साफ हो गई। कार्यवाही कीजिये, मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया है।

श्री भीखाभाई : जहां तक इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेन्ट का सवाल है जो कानूनी कार्यवाही की जा सकती है वह करेंगे और आगे के लिये जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि एम्बेजलमेन्ट है तो जो भी नियमानुसार होगा करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो तरह की कार्यवाही करने का अधिकार होता है। जहां इफेक्टिवली कुछ करना हो वहां उनके खिलाफ वे चालान करके क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन भी कर सकते हैं। नहीं करना हो, ढिलाई बरतना हो, रस्मी तौर पर ही कुछ करना हो तो समझौता अवार्ड इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में मामला देकर अपनी गैल छुड़ाने की बात होती है।

श्री भीखाभाई : आप कोई धारा बतावें; किस धारा के अन्तर्गत कर सकते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनको बलोअर आउट करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान सरकार औद्योगिक प्रगति की दृष्टि से इसको हाथ में ले। अपना मनी, लोन शेयर को सिक्योर करने के लिये जैसे आपने एडवर्ड मिल और भीलवाड़ा मिल का मैनेजमेन्ट टेक ओवर किया है, वैसे कोटा की स्ट्रॉ बोर्ड फैक्ट्री को भी टेक-ओवर कर सकते हैं। यह रास्ता है। अगर नाइलोन की साड़ी नहीं पहुंची है तो मैनेजमेन्ट ले लीजिये और अगर पहुंची है तो मत लीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह नाइलॉन की साड़ी की क्या बात है?

(१.१२ म.प.)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय हुई घटनाओं विषेयक प्रस्ताव (अग्रेतर विचार-विमर्श एवं स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, पिछले दो दिनों से श्री रामप्रसाद लड्ढा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बहस हो रही है और उसमें १० माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और जिन १२ का नाम प्रस्ताव में उल्लिखित है उसमें से कुछ माननीय सदस्य बोले हैं। बाकी सदस्य भी इस अवसर पर अपने विचार रखें; इस बात को ध्यान में रखते हुए, कल-परसों भी मैंने संकेत किया था और आज भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर वे चाहें तो उसमें अवश्य भाग ले सकते हैं।

Page No. 48

(श्री अध्यक्ष)

इस प्रस्ताव पर आज विचार करके, आज उस पर मतदान किया जावेगा ।

दो दिन बहस हो गई है और उस दौरान में कुछ समय इत्यादि की पाबन्दी नहीं रक्खी गई; इस ध्यान से कि जो माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहें, जो हालांकि इससे सम्बन्धित नहीं थे, पर कानूनी तौर से संवैधानिक स्थिति को बताने के लिये सारी अपनी बातें रख सकें, उसके लिये पूरा समय दिया गया। पर आज मैं निवेदन करूंगा कि काफी सदस्य बोलने हैं और सरकार की तरफ से भी सम्भवतः एक-दो मंत्री महोदय बहस में भाग लें, इसलिए बहुत ही संक्षेप में कृपया बोलें; ताकि बहस में ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को अपने विचार सदन में रखने का अवसर मिल सके ।

इसलिये पहले मैं उन्हीं सदस्यों के नाम के लिये निवेदन करूंगा कि वे जल्दी जल्दी जहां तक हो सके पहले भाग ले लें बहस में और सरकारी पक्ष से भी जवाब देना चाहें तो वे भी जल्दी से जल्दी बहस में हिस्सा ले सकें ताकि बाद में समय के भीतर दूसरे सदस्य भी भाग ले सकें जो लेना चाहें ।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं · · · ·

श्री **मानसिंह महार** (आमेर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं निवेदन करूंगा कि कल सुबह जिस समय इस तरफ बैठने वाले सदस्यों ने अपना भाषण अधूरा रखा और बोलने खड़े हुए तो आपने व्यवस्था दी कि जो पहले दिन बोल लेंगे वे दूसरे दिन बोलेंगे नहीं। हम ज्वालाप्रसादजी के भाषण में वैसे बहुत रस रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनको सुनना नहीं चाहते, पर मैं चाहता हूं कि व्यवस्था सबके लिये एक होनी चाहिए । मैं तो चाहता हूं कि ज्वालाप्रसादजी दिन भर बोलें, वे कल ४५ मिनिट बोल चुके हैं; आप समय देख लीजिये । इसलिये निवेदन करूंगा कि अब किसी माननीय सदस्य को जो कि इस मामले से अटैच्ड हैं उनमें से किसी को बोलने दिया जाय । कल की आपकी रूलिंग क्लीयर कट टर्म में मौजूद है । अब उस रूलिंग को न बदला जावे । यह मेरी अर्ज है, आगे आपकी मरर्जी ।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग शिरोधार्य है । मगर कल जिस वक्त कि सदन की कार्यवाही खत्म हुई थी ज्वालाप्रसादजी बोल रहे थे और समय समाप्त होने पर उस वक्त प्रस्ताव रखा गया था कि सदन का समय बढा दिया जावे और पांच-सात मिनट में वे खत्म कर दें । उस वक्त सदन में उपाध्यक्षजी प्रिसाइड कर रहे थे । उन्होंने कहा था कि समय बढ़ा दिया जावे । उस पर माननीय सदस्यों ने ऐतराज उठाया कि नहीं बढाया जावे, क्योंकि काफी समय हो गया है तो उस पर उन्होंने कहा था कि सदन की इच्छा को देखते हुए कल ज्वालाप्रसादजी को बोलने की इजाजत दे दी जावेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह नहीं कहा ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं फैक्ट रख रहा हूं क्योंकि आप कल नहीं थे । उस समय आपको पूरे फैक्ट मालूम नहीं होंगे । सदन की भावना थी कि समय बढ़ाया जावे । बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया गया । पर बाद में सदस्यों द्वारा ऐतराज करने पर सदन स्थगित

Page No. 49

(श्री मथुरादास माथुर)

कर दिया गया, पर यह कहा गया कि कल बोलने की उनको इजाजत दे दी जावेगी। तो सदन की इच्छा को रखना इसलिये जरूरी हो गया है, अगर सदन की सेंस हो, इच्छा हो तो मेरे ख्याल से इसका ख्याल रक्खेंगे, पहले इसके कि आप इस पर कोई निर्णय लें। मेरा ख्याल है कि वे पांच-सात मिनट और लेना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पोइन्ट ऑफ ओर्डर के बारे में कह दूं।

श्री अध्यक्ष : बहस की आवश्यकता नहीं है। जो आपत्ति उठाई है उसे में स्वीकार करता हूं। माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास अपना भाषण देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन अर्ज करना चाहता हूं। जो आपत्ति उठाई और उस पर जो निर्णय आया वह शिरोधार्य है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि कल स्वयं आपके रूलिंग के साथ यह भी लगा हुआ था कि ११ आदमी ये ही बोलेंगे। पर इन्टरवीन करके, रूलिंग को तुड़वा करके ये इर्रिलेवेन्ट और गलत चीजें बोल चुके हैं। ये ग्यारह आदमी जिस अधिकार के लिये लड़ना चाहते हैं, जिसकी दुहाई देते हैं, जिन अधिकारों की देते हैं वे इस प्रकार का एतराज उठाते हैं। उनका एक ही कर्त्तव्य है। लीडर महोदय की सूरत देखी है और मैं उस कीचड़ में पत्थर फैंकना नहीं चाहता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : सूरत में क्या खराबी हो गई है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के आगमन के बाद में यहां कुछ घटनाएं हुई। उसको लेकर यहां बहुत लम्बा वाद-विवाद चल रहा है।

उस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो घटना उस दिन हुई उसके पहले किस किस प्रकार के क्या तथ्य थे और बाद में क्या क्या घटनाएं हुईं। उन सब के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। जो कुछ बात है और जिस प्रकार से हमने सोचा वही मैं उसी तरह से आपके सामने रखना चाहता हूं।

विरोधी पक्ष के कुछ लोग मिले और मिल कर विचार किया कि जो ये बजट सैशन के पहले विशेष घटनाएं हुईं उन पर क्या किया जाय ? जो ऑर्डिनेन्सेज निकाले गये उससे हम क्षुब्ध थे। उनके प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया थी, जो विचार थे उनको हम गवर्नर साहब के सामने प्रकट करना चाहते थे, इसको भी प्रकट करने का निर्णय हमने लिया। सोचा जब इस प्रकार से ऑर्डिनेन्सों के द्वारा लोकतन्त्र की हत्याएं हों, सैशन होने वाला है, यह जानते हुए भी आर्डिनेन्स निकाले जाते रहें, मनमाने तरीके से टैक्स लोगों पर बढ़ाये जाते रहें, जो हम कहना चाहें उसके लिये मौका न दिया जाय; इस प्रकार की नाना प्रकार की घटनाएं हमारे सामने थीं और उनको लेकर हमने विचार किया। और वह विचार इतना ही था कि राज्यपाल महोदय जो स्वयं आवें उनके सामने अपनी ये बातें रक्खी जायं। इसमें कोई दो रात नहीं है। अगर हमने कोई योजनाबद्ध तरीके से ऐसी बातें उठाईं तो ऐसा कुछ नहीं था। निर्णय इतना जरूर था और वह स्पष्ट था कि

Page No. 50

(श्री मुरलीधर व्यास)

राज्यपाल आवेंगे तो उनके भाषण के पहले जो इस प्रकार की बातें हुई हैं उनको रक्खेंगे। और उसमें हो सकता था कि हम उसके बावजूद अपनी बात कहते तो हम वाक-आउट करते और यह हमारा अधिकार था।

प्रश्न यह है कि जब इस प्रश्न को लेकर राज्यपाल महोदय आये और सबने उनका स्वागत किया और बैठे और बैठने के बाद रामानन्दजी उठे और रामानन्दजी ने अपनी बात कही और उसके बाद में जब उनके साथ में दूसरी ऐसी घटना, जिसकी कोई कल्पना नहीं थी और जिसके लिए सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की घटना हो जायेगी क्योंकि इन्होंने भी आपको सम्बोधन किया और दूसरे लोग भी स्पीकर महोदय को सम्बोधन करते रहे और उनको उम्मीद थी कि स्पीकर महोदय जो कुछ कहेंगे उस पर वे विचार करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। स्थिति यह हुई कि हम लोग समझ कर अपनी बात कहते गये।

अब सवाल इस बात का है कि आखिर इसके पीछे भी एक मूलभूत सिद्धान्त है। हम इसको मानने वाले हैं कि जब सदन के बाहर जो कानून आम जनता के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाये हुए हैं और सरकार को चाहिए कि सरकार उन लोकतांत्रिक कानूनों के जरिये, चाहे विपक्षी हों या उनके पक्ष के सदस्य हों, हर पक्ष को न्याय मिले। परन्तु हम अनुभव कर रहे थे कि पंचायतों और दूसरे क्षेत्रों में और आम जनता में होने वाली गड़बड़ियों के अन्दर और यहां तक कि अकाल सहायता और दूसरे कामों में भी हम महसूस करते थे कि इस मामले में हम सारी बातें स्पष्ट रूप से रखें।

श्री रामकिशनजी ने भी एक उदाहरण आपके सामने रखा था और वह स्पष्ट था कि एक मंत्री पंचायत विभाग के हैं उन्होंने किस प्रकार से मनमाने तरीके से सिर्फ अपने क्षेत्र में एक कानून के राज्य को बिल्कुल अलग रख कर अपनी इच्छा के अनुसार ऑर्डिनेन्स मनमाने तरीके से निकलवाया और किस तरह से विरोधी पक्ष के लोगों को कुचलने की कोशिश की। इसी प्रकार की घटना मथानिया के अन्दर एक सरपंच की है, उनको भी सस्पेन्ड करने के लिए दूसरे मंत्री महोदय के दबाव के कारण प्रयत्न किया। इतने अच्छे योग्य आदमी जो कि एक कवि हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, उनके खिलाफ भी कदम उठा कर उनको सस्पेन्ड किया। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ पंचायतों में विरोधी दल पहुंच जायें और कुछ म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर विरोधी दल पहुंच जाए वह भी आपकी सरकार को पसन्द नहीं आये और आप वहां की राजनीति को लेकर अपनी पार्टी तक सीमित कर देंगे तो वह पंचायती राज्य नहीं रहेगा, लोकतांत्रिक राज्य नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं बीकानेर से आया और बीकानेर से आने से कुछ समय पहले मैंने देखा कि देशनोक में बड़ी भयंकर स्थिति थी। हमने देखा कि वहां पर दो व्यक्ति नायक, एक मेघवाल और एक ब्राह्मण था उनकी मौत हुई, ४ व्यक्तियों की मौत हुई। हमने इसकी जांच की और देखा कि इनकी मौतें क्यों हुई। बाद में मालूम पड़ा कि ब्राह्मण इसलिये मरा कि उसके पीछे दो बच्चे थे और बस जहां जाती थी वहां मन्दिर है, इसलिए वे वहां पर भीख मांग रहे थे। भीख इसलिए मांग रहे थे कि उनके घर में खाने के लिए नहीं कुछ

(श्री मुरलीधर व्यास)
था, और मरे भी इसलिए कि उनके पास खाने के लिए नहीं था। इसी तरह से दो नायक और एक मेघवाल औरत के पास भी खाने के लिए नहीं था, इसलिए वे मरे। वहां पर मैंने देखा कि उस समय १ रुपये का १ सेर और ३ छटांक बाजरा मिल रहा था.......

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपका मतलब यह है कि उन्होंने सुसाइड किया।

श्री रामकिशन (बैर) : भूख से मर गए।

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं उन सबको लेकर कलैक्टर साहब के पास गया। मेरे साथ देशनोक के म्युनिसिपैलिटी के प्रेसीडेण्ट थे। कुछ दूसरे प्रतिष्ठित लोग और नागरिक थे और वहां पर करीब १५–२० आदमियों के हस्ताक्षरों से सारी बातें रखीं कि यहां पर कोई राहत कार्य नहीं है और लोग मर रहे हैं। मैंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में आधे से ज्यादा मेघवाल, नायक और शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं और इनके लिए कोई भी यहां पर राहत कार्य नहीं है और उसमें मैंने कारण दिए कि ये आदमी इन इन कारणों से मरे हैं। वहां पर भी जब कलेक्टर साहब के पास हम गये तो कलैक्टर साहब ने उन आदमियों को जो कि मेघवाल और नायक थे उनको हमारी आंखों के सामने अपने चपरासियों के द्वारा धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है ....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसकी आपने किसी को सूचना दी कि इनको लेकर आप कलैक्टर साहब के पास गये और वहां यह हुआ ? जहां तक राहत कार्यों का संबंध है वे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में बहुत चल रहे हैं। राजस्थान में इतने राहत कार्य चल रहे हैं कि यदि कोई आदमी काम करना चाहे और उसको काम नहीं मिले और काम जहां करना चाहे तो कर सकता है। यह प्रश्न आज राजस्थान की परिस्थिति में नहीं है कि किसी को रोजी नहीं मिले। आप इसको राजनैतिक दृष्टिकोण दे रहे हैं...

श्री मुरलीधर व्यास : उसमें तो २५ आदमियों ने हस्ताक्षर किये हैं। आप इसकी जांच करवा लीजिये। आप वहां की हालत को देखें। बिना देखे कैसे कह सकते हैं ? इस सिलसिले में जैसा आप कहते हैं कि राहत कार्य हैं तो वे व्यक्ति अपनी गाय और बकरियों को छोड़कर दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं...

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके राजस्थान कैनाल का काम चल रहा है, जिसमें लाखों आदमी काम कर रहे हैं ...

श्री मुरलीधर व्यास : कैनाल वहां से सैकड़ों मील दूर है और वे अपनी बकरी और गाय को छोड़कर कैसे जा सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : काम करने के लिए क्यों नहीं जा सकते ? भूखों मरने वाला अपने आप काम करने के लिए कहीं भी जा सकता है। यह राजनैतिक बात करने से क्या फायदा ?

श्री मुरलीधर व्यास : आप इसकी जांच करवा लीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : करा ली हमने।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि राजस्थान कैनाल में काम करने के लिए एक आदमी १०० मील दूर नहीं जा सकता।

Page No. 52

श्री नाथूराम मिर्धा : अब तो १०० मील भी दूर हो गया और पहले पांच पांच हजार मील भी जाते थे ।

श्री मुरलीधर व्यास : कोई भी आदमी जिसके पास दो-चार जानवर होंगे वह उनको लेकर इतनी दूर नहीं जा सकता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मरेगा नहीं, अपने जानवरों को बेचेगा और खायेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह आपके दिमाग की सूझ है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, आपके दिमाग की सूझ है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): ये आदमी मरे कैसे हैं, मुझसे मांगते हैं, मैं डिटेल मंगाऊं कि कैसे हुआ ? कहीं ऐसा तो नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : अकाल से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है । कलैक्टर साहब के पास जो हमने कहा है उस पर सबके दस्तखत हैं । कलैक्टर साहब ने कहा कि हम जांच करवायेंगे, लेकिन वह जांच आज तक नहीं हुई है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह हो चुकी है और आप गलत प्रचार कर रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप अपने आपको गुमराह मत करिये । अगर यह बात है कि जांच करवा ली है तो लाइये उसकी रिपोर्ट दीजिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब कहते रहिये आप ।

श्री मुरलीधर व्यास : दुर्भाग्य से उस समय भी यहां पर गवर्नर महोदय के आदेश के मुताबिक हमें भी बाहर जाना पड़ा । मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो कुछ बुनियादी सवाल है कि इन सवालों को लेकर कोई अपनी बात को कहता है तो मैं नहीं समझता कि सरकार उस पर इस प्रकार की कार्यवाही करने की बात करे, यह उचित परम्परा नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल सच्चाई से परे बोल रहे हैं, बनावटी बात है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कह दो कि ये आदमी नहीं मरे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आदमी तो हिन्दुस्तान में और राजस्थान में रोज मरते हैं; लेकिन काम नहीं मिले और भूख से मरे, यह बात नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप आज ही देख लें और बता दें कि वहां पर कोई राहत कार्य चल रहे हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बीकानेर जिले में १० काम चल रहे हैं राहत कार्य के ।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस दिन हम वहां पर गये उस दिन भी १ सेर ३ छटांक का बाजरा था । मैं दावा करता हूं कि वहां पर आपने कोई अनाज नहीं भेजा है और उस दिन वहां पर कोई सस्ते अनाज की दूकान नहीं थी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज धान की कमी नहीं है; गेहूं है, बाजरा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : होगा, वहां पर उस दिन कोई दूकान होगी तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा, वर्ना आप दे देना ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके त्याग-पत्र देने से मसला हल नहीं होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं लिख कर देता हूं कि आप जांच कराइये कि वहां पर १ सेर ३ छटांक से ज्यादा बाजरा मिल रहा था क्या एक रुपये का। वहां पर आपकी सस्ते अनाज की दूकान नहीं है और कहें कि हमने इंतजाम कर दिया। आपको दूकान खोलनी चाहिए थी। आप अपने तरीके से बात कहे जाते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : क्या आप यह चाहते हैं कि एक मजदूर यहां पर रहते हुए दुनिया भर की खाक छानता रहे, अपना पेट भरने के लिए; यह क्या कि वह सैकड़ों मील दूर जाये। आप उसको जगह की जगह रोजगार नहीं दे सकते। आप कहते है कि ३०० मील, चार सौ मील दूर चले जाओ काम करने के लिए, यह एक गरीब मजदूर के लिए कैसे संभव है?

श्री नाथूराम मिर्धा : हर गांव में काम चले, यह संभव नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यहां का कोई आदमी बाहर जाता है, क्या राजस्थान सरकार इसमें अपनी बढ़ौतरी समझती है?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो राजस्थान की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रस्ताव पर आगे बोलें।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इन सब बातों की ओर सरकार का ध्यान खींचने की दृष्टि से ये बातें कही हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि हमारे मिनिस्टर साहब के पास हरएक का जबाब ऐसा ही है कि अनाज नहीं मिलता है तो मच्छी खाओ, अण्डा खाओ अनाज नहीं है तो। ये तो इसी तरह से अपने जवाब देते रहेंगे। गरीबों की आज क्या हालत हो रही है . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : आप ऊल-जलूल बातें कहेंगे तो उसका जबाब देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहते हैं कि काम नहीं मिलता है तो राजस्थान नहर पर जाओ, लेकिन आप जानते नहीं है कि राजस्थान नहर पर जाना कोई आसान काम नहीं है, उस पर कितना खर्चा होता है, एक गरीब आदमी कैसे उसको बर्दाश्त कर सकता है? वहां लोगों की क्या हालत है, आप वहां जाकर देखिए . . .

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप यह गलत कह रहे हैं कि सस्ते अनाज की दूकानें नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां सस्ते अनाज की दूकानें हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर उस दिन सस्ते अनाज की दूकान थी जिस दिन मैंने दरख्वास्त दी थी तो मैं त्याग-पत्र दूंगा; नहीं तो माननीय मंत्री दें ....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको जो राजनैतिक तौर पर नाटक करना है तो करते रहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहते हैं कि वहां पर सस्ते अनाज की दूकान उस दिन थी तो हिम्मत से आगे क्यों नहीं आते हैं? आज जो कुछ हो रहा है वह सब आपकी लापरवाही का नतीजा हो रहा है। एक तरफ तो

Page No. 54

(श्री मुरलीधर व्यास)
आप लोकतान्त्रिक तरीके से सोचने की बात करते हैं लेकिन जब जब भी क्रांतियां हुई हैं; जैसा कि एक महाशय ने कल भगतसिंह की थाती से तुलना की। भगतसिंह जो क्रांतिकारी था और जिसने पार्लियामेन्ट में बम फेंका था तो उसके साथ में वहां पर पर्चे भी बांटे गए थे उस समय गैलेरी में; विट्ठल भाई पटेल भी वहां पर थे, साइमन आदि भी उस समय वहां पर थे और उनके खिलाफ उन्होंने चेतावनी दी थी। जो उनकी रिपब्लिक पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी थी उसमें भगत सिंह के साथ उनका एक साथी बलराज था जिसने पर्चे फेंके हैं, जिसमें यह था कि तुम्हारे अन्याय के खिलाफ यह बम फेंका गया है . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे मित्र हिस्टोरिकल फैक्ट को डिस्टोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यह कहा कि वहां कोई पीपुल गवर्नमेन्ट नहीं थी, वहां अंग्रेज बैठे हुए थे और उनके ही नोमीनेटेड लोग बैठे हुए थे, उनके साथ किसी तरह का व्यवहार करने का तरीका नहीं था, उन तक जनता की सोवरेन्टी की बात नहीं पहुंचाई जा सकती थी, उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने उनको चेतावनी देने के लिए यह किया था, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। ये बड़े बड़े लफ्ज कह कर भगतसिंह नहीं बन सकते, यह सब करके आप भगतसिंह नहीं बन सकते।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां उस दिन विट्ठलभाई पटेल जो कि सरदार पटेल के भाई हैं. . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : फिलोसोफी और बम्ब नाम का पर्चा बांटा गया था।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं, यह तो नहीं था, आप गलत बात कह रहे हैं; सरकार को चेतावनी थी।

श्री अध्यक्ष : आप उनसे बहस नहीं करें, अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामकिशन (वैर) : मंत्रीजी जो बार बार जो जवाब दे रहे हैं तो पहले वे सुन लें फिर जवाब दे दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप गलत बात कहते हैं तो हर एक बात का जवाब देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह संसदीय पत्रिका है; इसमें अपनी संसद के उप-सचिव हैं नरसिहन् उन्होंने लेख लिखा है। इसमें जो बम्ब फेंका गया उसकी चर्चा की गई है, वह मैं आपको बताता हूं और यह कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा है :—

"दीर्घा से छपे हुए पैम्पलेट सभा भवन में फेंके गये। इन पैम्फलेटों में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन मुनामीं की ओर से चेतावनी दी गई थी और उन पर बलराज नामक किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर थे . . ."

यह संसदीय पत्रिका में है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप क्या जानते हैं बलराज को? कौन था? मैं उसका मेम्बर था। मैं जानता हूं कि बलराज कौन था और भगतसिंह कौन था। और क्या पर्चा बांटा गया था? वह फिलोसोफी ऑफ बम्ब था।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं थी, चेतावनी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज

(श्री मुरलीधर व्यास)

करना चाहता हूं कि वहां पर जो कुछ हुआ और उसके बारे में आप जो कुछ कहते हैं कि भगतसिंह के नाम पर क्या हुआ, और क्या नहीं हुआ तो इसके लिये मैं आपको विधान सभा की और पार्लियामेंट की जो पुस्तक छपती है, मैं उसमें से आपको पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपको मालूम हो कि क्या हुआ था:--

"यह सभा इस महीने की ८ तारीख की सुबह को सभा में हुई दुर्घटना के प्रति निन्दा तथा त्रास की भावना अभिलिखित करती है। सरदार सर बामनजी दलाल तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति जिन्हें चोटें आईं, संवेदना प्रकट करती है और संतोष प्रकट करती है कि सौभाग्य से इस दुर्घटना के परिणाम बहुत अधिक गम्भीर नहीं हुए। यह सभा इस घटना की कठोर निन्दा करती है और अधिकारियों को आश्वासन देती है कि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाहियों में अपना पूर्ण समर्थन देगी।"

तो यह सब कुछ जो हुआ वह उस समय हुआ था जब कि हम गुलाम थे और उसी तरह से सोचा भी गया था, आज मैं आपसे कहता हूं.....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो कुछ किया गया वह आजादी के लिए किया गया था, किसी की गुलामी के लिये नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने माननीय सदस्य को पत्रिका में से पढ़ कर सुनाया है, अब इसको भी वे नहीं मानते हैं तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वे मनमानी करना चाहते हैं तो करें, इसका मेरे पास कोई खास असर होने वाला नहीं है।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन जो घटना हुई उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले के अन्दर एक विचार था हमारा कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करें और वह हमने की। अब सवाल इसके ऊपर यह है कि जो हमारे माननीय सदस्य लड्ढा साहब ने जो कि कांग्रेस के व्हिप हैं उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है और जिन परिस्थितियों में वह एडमिट हो चुका है, मैं कहना चाहता हूं कि उसकी जो दलीलें थीं उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में जो यह कहा है कि उस दिन असेम्बली की कोई सिटिंग ही नहीं थी तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको कहना चाहता हूं कि जो गुरुमुख-निहालसिंहजी का भाषण हुआ था एज ए राज्यपाल, तो अगर वह कोई सिटिंग नहीं थी तो उसकी यह प्रोसिडिंग कैसे छपी ? हमारे कानून के मुताबिक राज्यपाल के भाषण की सिटिंग को मीटिंग माना जाता है, और उस सिटिंग की प्रोसीडिंग विधान सभा के द्वारा छपवाई जाती है। अगर वह सीटिंग नहीं होती तो उसकी प्रोसीडिंग नहीं छपती। यह पुस्तक राजस्थान विधान सभा के द्वारा छपवाई गई है जिसमें गुरुमुखनिहालसिंहजी का भाषण छपा है, यह छपने का मतलब ही यह है कि सिटिंग थी। ये गुरुमुखनिहाल-सिंहजी अपना भाषण शुरू करते हुए कहते हैं, "अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य गण" ! वे कहते हैं "अध्यक्ष महोदय," इसका मतलब यह हुआ कि वे भी स्पीकर को मानते हैं कि स्पीकर नाम की कोई चीज वहां पर है। और यह हमारे लड्ढा साहब कहते हैं कि वहां कोई इस प्रकार की चीज ही नहीं थी और यह सिटिंग ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

आता है कि जब सिटिंग की प्रोसीडिंग छपती है, उसमें अगर 'अध्यक्ष महोदय' न हो तो ऐसी परिस्थिति के अन्दर गुरुमुखनिहालसिंहजी उस तरीके से सम्बोधन ही क्यों करते ? फिर उसके बाद आपके राज्यपाल सम्पूर्णानन्दजी के भाषण की प्रोसीडिंग सन् ६४ की छपी है उसमें भी आता है "मिस्टर स्पीकर एण्ड ओनरेबल मेम्बर्स।" तो स्पीकर का उल्लेख वे भी करते हैं। उन्होंने भी "स्पीकर" कहा है; परन्तु हमारे जो प्रस्तावक हैं, जो प्रस्ताव रखने वाले हैं वे कहते हैं कि यह तो कोई सीटिंग ही नहीं थी और न कोई स्पीकर ही था। इस तरह की बातें कह कर वे अपने विचारों को लादना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा की जो भी सिटिंगें होती हैं और इन सिटिंग्ज के मामले में जो हमको पत्रिका मिलती है उसमें कहा जाता है कि इस साल में इतनी सिटिंग्ज हुई, उस सीटिंग में गवर्नर का जो भाषण होता है, उस सीटिंग को भी शामिल गिनते है भाषण की सिटिंग कहते हैं। हमारी यह समझ में नहीं आता कि लड्ढा साहब इन सब कार्यवाहियों को सदन की कार्यवाही नहीं मानते हैं जब कि सब जगह लिखा गया है कि सदन की सीटिंग हुई और स्पीकर महोदय उसके मुखिया थे।

अब मैं इस सिलसिले में भी अर्ज करना चाहता हूं। पंडित जवाहरलालजी नेहरू जो हमारे देश के प्रधान मंत्री थे उन्होने १७ अप्रेल, १९६२ को द्वितीय आम चुनाव के बाद जब सरदार हुकमसिंहजी अध्यक्ष चुने गये उस समय उन्होंने जो शब्द कहे उनको आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि मालूम पड़े कि हमारे प्रधान मंत्री लोक सभा के अध्यक्ष का किस प्रकार आदर करते थे और उनका दर्जा किस प्रकार मानते थे। उन्होंने उस समय कहा:

"अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और इस सभा की ओर से आपको अत्यन्त सम्मान के साथ अध्यक्ष का आसन ग्रहण करने पर बधाई देता हूं। आपको बधाई देते समय मुझे लग रहा है, इसके लिये शायद हमें अपने आपको बधाई देनी चाहिये, शायद वही अधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इस उच्च आसन के लिये आपका सर्व सम्मति से निर्वाचित होना हम सभी के लिये विशेष हर्ष का विषय है . ."

इसके बाद की चार पांच लाइनें और पढ़ कर सुनाता हूं:

"• • • हम भारतीय जनता की उसी सर्वोच्च और संपूर्ण प्रभुता की परम्परा का प्रतिनिधित्व यहां इस सभा में कर रहे हैं, उसी परम्परा के अनुसार हम सभा में बैठते हैं और इस प्रकार आप केवल इस सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा का ही नहीं, भारतीय जनता की सम्पूर्ण प्रभुता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।"

ये शब्द पंडित जवाहरलालजी नेहरू के हैं जो वे स्पीकर के सम्मान में कहते हैं। इसके साथ साथ और भी भाषण आगे चल रहा है। मैं कुछ और पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं :

"इसलिये आज आपके आसन ग्रहण करते समय, इस सभा के अधिकारों और इस प्रकार देश के करोड़ों के अधिकारों के संरक्षक का यह आसन ग्रहण करते समय, मैं इस सभा की ओर से आपका ही नहीं, आप जिस संस्था के आज प्रधान बने हैं उसका भी स्वागत करता हूं।"

फिर वे संसदीय प्रणाली के बारे में कहते हैं। अंत में कहते हैं कि संसदीय प्रणाली में हम काफी सफल रहे हैं। उनके शब्द हैं :

(श्री मुरलीधर व्यास)

"...और इस प्रकार हमने संसदीय सरकार को अपने हालात के मुताबिक बना लिया है, उसे एक ऐसा रूप दे दिया है जो भारत को अपनी परम्पराओं के अनुकूल है। आशा है कि हम भविष्य में भी इस बुनियादी प्रणाली पर अमल करते रहेंगे और अपने देश की परिस्थितियों के मुताबिक इसमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल करने से हिचकेंगे नहीं बुनियादी तौर पर इसका एक ही अर्थ होता है, जनता की संपूर्ण प्रभुसत्ता बनाये रखना..."

इसके आगे यह कहते हैं:

"अब हम केवल एक सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हैं जनता की संपूर्ण प्रभुता का, प्रत्येक नागरिक की वैयक्तिक गरिमा और प्रतिष्ठा का, उसके जाति या उसके किसी ऐसे विशेषाधिकार को नहीं जो उसे शक्ति और प्राधिकार प्रदान करता हो। अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी कुछ लोगों के पास विशेषाधिकार अभी हैं, और कुछ मामलों में कुछ ऐसे लोगों के पास भी हैं जिसका कतई कोई औचित्य नहीं है। मैं मानता हूं। पर हम उनके औचित्य को मान्यता नहीं देते और आशा है कि धीरे धीरे उनका लोप होता जायेगा। देश में व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ, उसकी चेतना बढ़ने के साथ साथ वे अनुचित किस्म के विशेषाधिकार खत्म होते चले जायेंगे"।

ये शब्द जवाहरलालजी नेहरू ने कहे हैं। अंत में माननीय सदस्यों के संरक्षण के बारे में कहा है कि कौन संरक्षण कर सकता है। इसके बारे में भी ५-७ पंक्तियां पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा:

"पहले के इतिहास की ये सभी बातें आज मुझे याद आ रही हैं। पूरा इतिहास संघर्ष और विजय से भरपूर रहा है, इस संघर्षपूर्ण इतिहास ने ही विभिन्न देशों में, हमारे अपने देश में भी, व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के संघर्ष में विजय पाई है। उस इतिहास के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिष्ठित किया है। और इन स्वतंत्रताओं, इन अधिकारों की रक्षा, उनके संरक्षण का भार आपको सौंपा जा रहा है, आपको इस उच्च आसन के लिये निर्वाचित करके। इसलिये विशेषाधिकारों के अनुचित हस्तक्षेप से अपनी रक्षा के लिये हम आपकी ही ओर देखते हैं।"

उन्होंने स्पीकर महोदय से कहा है कि हमारी रक्षा आप कर सकते हैं। हम जो अधिकार मिले हैं उसके सबसे बड़े रक्षक यदि कोई हैं तो आप हैं। पंडित जवाहरलालजी ने जो अपना भाषण पार्लियामेन्ट में दिया था वह मैंने आपके सामने रखा है।

अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि माननीय गवर्नर महोदय यहां पर आये। राज्यपाल आये, हमारा कर्तव्य था कि हम उनका सम्मान करें, सम्मान हम सब का करते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि वहां जो आसन था उसके पास आपका आसन था। आपका आसन इसलिये कि हम जो कुछ है आपके आधीन हैं। जो बात हमारे बीच होती है वह आपका नाम लेकर, आपको संबोधित करके करते हैं। आप जो कुछ फैसला करते हैं उसको हम मंजूर करते हैं। उस घटना में जो कुछ हुआ, राज्यपाल हमारे यहां पर पधारे उस समय जो लोग बोलने को खड़े हुए उनको किस प्रकार निष्कासित किया, यह सब जानते हैं। अब इस मामले में उनका कदम कहां तक उचित था

(श्री मुरलीधर व्यास)

या उचित नहीं था, यह सवाल सामने है। सवाल राज्यपाल का है, संपूर्णानंदजी के नाम का नहीं। यह विधान सभा है या पार्लियामेन्ट है, इसके कुछ अधिकार हैं। यहां पर हम गणराज्य की बात कहते हैं, झंडे की बात कहते हैं, राष्ट्रीय पताका की बात कहते हैं, मैं समझता हूं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो झंडे का अपमान करेगा। हर आदमी झंडे के लिये अपनी कुर्बानी देना पसन्द करेगा, उसका अपमान कोई नहीं करेगा। देश में गणराज्य या लोकतंत्र को समझने की बात है। लोकतंत्र की प्रतिष्ठा किसके हाथ में है और हमको जो बुनियादी अधिकार दिये हैं उसके बारे में स्पीकर लोक सभा ने कहा है उसका हवाला मैं देना चाहता हूं। उन्होंने इस सिलसिले में अपने जो विचार रखे हैं वे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में सरदार हुकमसिंहजी ने लिखा है:

"भारत के संविधान की प्रस्तावना उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग है क्योंकि प्रस्तावना में ही वह उच्च भावना, शक्तिशाली प्रेरणा और उच्च आदर्श सन्निहित है जिन पर कि संविधान आधारित है। प्रस्तावना में यह कहा गया है:

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गण-राज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये.."

यह बुनियादी चीज है। हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये। हम लोग चाहे लोक सभा में बैठने वाले हों, चाहे यहां इस सदन में बैठने वाले हैं, हमारे बुनियादी अधिकार दिये हुए हैं उन बुनियादी अधिकारों की तरफ सबकी दृष्टि जानी चाहिये, संविधान में दिये हुए मूल तत्व की रक्षा हम किस प्रकार कर सकते हैं। राज्यपाल संपूर्णानन्दजी हैं या और कोई हैं, यह बिल्कुल अलग चीज है। यह इस प्रकार की चीज है, पद है, पद बड़ा नहीं होता, पर पद की प्रतिष्ठा बड़ी चीज है। संविधान की तहत हम उसकी रक्षा करते हैं तो पद की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस मामले में मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल ने जो कुछ यहां किया उसके कारण हम यह महसूस करते हैं कि हमारे विशेषाधिकार जो हमें लोकतंत्रीय तरीके से मिले हैं उनका उल्लंघन हुआ। स्पीकर महोदय के सामने ही हमको वे हुक्म दे रहे हैं। हमको स्पीकर महोदय कुछ कहें तो हम उनके आदेश के मुताबिक काम करते हैं, पर गवर्नर महोदय ने जो कुछ किया उसके बारे में हम समझते हैं कि जो कुछ हुआ है वह गलत है, लेकिन फिर भी वे राज्यपाल हैं और हम विधान सभा के सदस्य हैं। इस मामले में यदि छोटे-बड़े का भेद न देख कर यह देखा जाय कि इसमें संविधान की दृष्टि से, लोकतंत्र की रक्षा की दृष्टि से हमको निर्णय क्या देना है।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि एक प्रस्ताव एडमिट कर लिया; इस मसले को या तो संविधान की तहत, ऐसा मसला हो गया है तो विधान सभा के जरिये संविधान की धारा १४३ के तहत राष्ट्रपति को ऐसा मसला सौंपा जाता है कि वैधानिक स्थिति क्या है, क्या नहीं। क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं,

Page No. 59

(श्री मुरलीधर व्यास)
आप यदि समझते हैं कि उनका संरक्षण हमें करना है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि संविधान की धारा १४३ की तहत सुप्रीम कोर्ट को यह मसला वे सौंप सकते हैं।

(२.०० म. प.)

तो आप कम से कम या तो उनको उस तरह से सौंप सकते हैं, और नहीं तो जो यह प्रस्ताव एडमिट हुआ है, क्योंकि हो चुका है और बहस इस पर चल रही है, साथ ही निर्णय की बात भी चल रही है। लेकिन में यह समझता हूं कि आज हमारी सुरक्षा का एकमात्र अधिकार आपको है, आप भी इसको कर सकते हैं। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि इसका नतीजा हमारे साथ में कोई यह हो। यह ठीक है कि सारी विधान सभा से, जैसा आप चाहें, चाहे एक महीने के लिए, चाहे जब तक आगे का सैशन नहीं आये तब तक के लिए निकाल सकते हैं। आपका अधिकार है और आपका बहुमत भी है। लेकिन में कहना चाहता हूं कि जो इस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है कि इन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है, इन्होंने राष्ट्र की गौरव-हीनता का काम किया है। इसे कोई भी आदमी स्वीकार नहीं कर सकता।

ठीक है, राज्यपाल बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम उनका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर ऐसा प्रस्ताव उन व्यक्तियों के जरिये हो, इस हुकूमत के जरिये हो जिन्होंने हमेशा इस राष्ट्र के सम्मान का हनन किया है, इसे कलंकित कर रहे हैं, वे मुख्य मंत्री इस मामले को लेकर राष्ट्र के सम्मान की बात करते हैं!

कल इस विधान सभा में सीमा के सम्बन्ध में एक सवाल आया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने इस विधान सभा के अन्दर २४ तारीख को एक स्पीच दी और २३ तारीख को सीज फायर होता है, उसके पहले और बाद में भी सीमा के ऊपर कुछ कब्जा होता है, लेकिन हमारे राज्य के मुख्य मंत्री इस विधान सभा में कहते हैं और उसके बाद बाहर भी कहते हैं कि राजस्थान की एक इंच भूमि भी दूसरों के कब्जे में नहीं है। उन्होंने इस सदन को गुमराह किया है। हमारी सीमा के ऊपर सड़कें नहीं बनें और उसके कारण से हमारी चौकियों पर पाकिस्तानी लोगों ने कब्जा कर लिया तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस राष्ट्र का अपमान किया है, राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचाई है और यदि राष्ट्र के सम्मान के मामले में किसी को दण्ड मिलना चाहिए तो उनको मिलना चाहिये। आज हम लोग जहां लोकतांत्रिक ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य! आपने काफी समय ले लिया है। आप जल्दी समाप्त कर दें और बहस को आगे न बढ़ावें।

श्री मुरलीधर व्यास: हमने लोकतांत्रिक परम्पराओं को जिन्दा रखने के लिए एक विचार रखा तो उस एक मामले को लेकर आप कहने लग जायं--इन्होंने इस प्रकार की बात कही है, इन्होंने राष्ट्र की गरिमा को, राष्ट्र के सम्मान को धक्का पहुंचाया है। मैं समझता हूं कि आपको कहने का अधिकार है, लेकिन यह एक बुनियादी सवाल है इसलिए इस पर आपको, हमको और सबको सोचना है। हमारे यहां पर राष्ट्र के सम्मान का कल एक सवाल आ गया था। हमारे जो डिप्टी मिनिस्टर कल बड़े जोर से कह रहे थे, उनका पी. ए., जिसने

(श्री मुरलीधर व्यास)
सारे रिकार्ड का दुरुपयोग किया, आज डी. आई. आर. में गिरफ्तार है।

श्री अध्यक्ष : आप सारी बहस इसमें न लायें और इस प्रस्ताव पर ही बहस करें। आप बहुत समय ले चुके हैं। मैंने आपको निवेदन किया था कि कम समय में अपनी बात कह दें। अब आप पांच मनट में समाप्त कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास : जब राष्ट्र के सम्मान का प्रश्न आया तो मैंने कहा कि राष्ट्र का सम्मान रखने की गवर्नमेन्ट की जो जिम्मेदारी है वे उसको नहीं निभाते हैं और इस प्रकार से देश के सम्मान को चोट पहुंचाते हैं। कल गवर्नर के बारे में एक प्रश्न मानिकचन्द जी सुराणा ने रखा था कि ६० हजार की शराब राजभवन के लिए खरीदी जाती है, उस पर ऑडिट ने ऐतराज किया और पूछा कि इसको किस तरह बांटा गया। लेकिन इसका जवाब नहीं आया। गवर्नर का कोई सम्बन्धी जवाहरात का धन्धा करे, गवर्नर के लड़के की पत्नी जवाहरात का धन्धा करे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह गवर्नर के कन्डक्टर के ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : गवर्नर के बारे में नहीं रख सकते, लेकिन गवर्नर से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा हो सकती है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं; हिन्दी विभाग . . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order !

श्री मुरलीधर व्यास : के हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के पद पर क्या कोई यहां का व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता था ? लेकिन एक बाहर से आने वाले व्यक्ति को इस हिन्दी डिपार्टमेन्ट के हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के पद पर इन्चार्ज बनाया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग का हवाला देते हुए मैं कहना चाहता हूं। एक-दो साल पहले आपकी रूलिंग हो चुकी है कि गवर्नर का कन्डक्ट जो है इस सदन में डिस्कस नहीं हो सकता है क्योंकि वे यहां पर प्रेजेन्ट नहीं हैं। जो कुछ हुआ है उसके बारे में जो रेफरेन्स हो उतना ही यहां हो सकता है। मैं समझता हूं कि उस रूलिंग की जितनी आज सुबह इज्जत की गई है उतनी ही मेरे सम्माननीय सदस्य, मैं समझता हूं, उसकी इज्जत करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : इज्जत की है और करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका समय हो चुका है। आप स्थान ग्रहण करें। काफी बोल चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक मिनट में अर्ज करता हूं।

जो कुछ मैंने आपके सामने रखा, मैं फिर निवेदन करता हूं कि इन मसलों पर मैं द्वेषवश या राजनैतिक दृष्टिकोण से बात नहीं कह रहा हूं। जो बुनियादी सवाल है वह इतना ही सवाल है कि इस पर आपस की भावना, परस्पर पक्ष-विपक्ष के दृष्टिकोण से सोचने के बजाय जनतंत्र की सुरक्षा की दृष्टि से सोचना चाहिए क्योंकि यह जनतंत्र में संसदीय

(श्री मुरलीधर व्यास)
प्रणाली का सवाल है और इसको इसी तरह हल करना चाहिए और इस पर बहुमत के दबाव से कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वैसे विचार करें तो करें, उनका अधिकार है और हुकूमत की पॉवर है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि आपसे मेरा निवेदन है, आप इस पर इस तरह अवश्य विचार करें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय...

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने एक प्रस्ताव..

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हमारे भरतपुर जिले से आये हुए माननीय सदस्य श्री रामकिशन जी ने कुछ बातें पंचायत विभाग के सम्बन्ध में रख कर इस बात को बताने की कोशिश की है कि जो ऑर्डिनेन्स पंचायत विभाग से जारी किया गया है, उससे जनतंत्र की हत्या होती है और उस वजह से उनके दिल को बड़ी ठेस पहुंची। इसमें कोई शक नहीं कि वे जिला परिषद् भरतपुर के प्रमुख हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है, ऐसा इत्तिफाक हुआ, वह उस वक्त जारी हुआ जब अविश्वास का प्रस्ताव उनके खिलाफ पेश हो गया, जिससे इसका उन पर असर पड़ता है। परन्तु यह कहना कि केवल उसी जिला परिषद् के प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के लिए यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया, बिलकुल गलत है। मैं अदब के साथ कहना चाहूंगा कि यह उनका बहुत ही गलत सोचना है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है उस ऑर्डिनेन्स के पीछे उद्देश्य क्या है और ऑर्डिनेन्स किस पृष्ठभूमि में जारी किया गया, क्यों जारी किया गया? इन फैक्ट्स को मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। ऑर्डिनेन्स के अन्दर जिस बात के ऊपर ऐतराज किया गया है वह यह है कि एम० एल० ए०, एम० पी० साहबान पदेन सदस्य हैं पंचायत समिति और जिला परिषद् के और हर एक पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्य के लिए यह अनिवार्य रखा गया है कि वह संविधान की शपथ ग्रहण करे परन्तु वे एम० एल० एज० या एम० पीज० बनते हैं तो वे संविधान के प्रति एलीजेन्स (निष्ठा) की शपथ ग्रहण करते हैं सदन के अन्दर, चाहे वह असेम्बली हो चाहे पार्लियामेन्ट। यह मुद्दा कोई नया नहीं है राजस्थान के अन्दर। पंचायत समिति और जिला परिषद् जब बनी थी उस वक्त १९६३ में आकर यह सवाल पैदा हुआ था कि एम० एल० एज० और एम० पीज० को शपथ लेना आवश्यक है या नहीं, वह सदस्य हैं या नहीं।

जो माननीय सदस्य रतनगढ़ से आये हैं सारस्वतजी, उन्होंने एक पत्र के द्वारा मुख्य मंत्री को लिखा था कि मैं शपथ ऑलरेडी ले चुका हूं असेम्बली के अन्दर, इसलिए दुबारा शपथ लेना अनिवार्य नहीं होना चाहिए और उनको पंचायत समिति या जिला परिषद् में भाग लेने से नहीं रोका जाना चाहिए। इस तथ्य को सरकार ने स्वीकार किया था और मुख्य मंत्रीजी ने अपना नोट देकर स्वीकार किया था कि दुबारा एम० एल० एज० या एम० पीज० को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पोइन्ट को एड्वोकेट जनरल और हमारे लॉ डिपार्टमेन्ट ने भी एग्जामिन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

किया था और कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर इसमें इस प्रकार का संशोधन कर दिया जाय, यदि डाउट के रिमूवल के लिए आवश्यक हो तो। इस मसले पर सिद्धान्ततः केबिनेट स्वीकार कर चुकी है अक्टूबर १९६३ में कि एम० एल० एज० और एम० पीज० के लिए शपथ दुबारा लेना जरूरी नहीं माना गया है। परन्तु उस वक्त किसी सदस्य को इस बात का भान नहीं था कि अत्यन्त जरूरी बात है और विधान सभा के सदस्य को पंचायत समिति के अन्दर नहीं बैठने दिया जा रहा है और अयोग्य घोषित किया जा रहा है। परन्तु यह मसला सितम्बर १९६५ में फिर उठा, जब कि महाराजा बीकानेर के सेक्रेटरी श्री प्रेमसिंहजी ने एक पत्र डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट को लिखा ११ सितम्बर, १९६५ को जब जिला परिषद् भरतपुर का अविश्वास के प्रस्ताव का नामोनिशान नहीं था और उन्होंने उस पत्र में लिखा कि सचिव, जिला परिषद्, बीकानेर ने उनको सूचित किया है कि चूंकि उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की इसलिए वे जिला परिषद् के सदस्य नहीं रह सकते।

(३.०० म. प.)

उन्होंने इस बात के लिये लिखा कि जब एक बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं तो दुबारा उनके लिये शपथ लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है; इस बात का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। उसके बाद में उनका रिमाइन्डर आया और इसके बाद में २८ सितम्बर, ६५ को डेवलपमेन्ट विभाग ने उन्हें सूचित किया कि इस पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निर्णय से सूचित किया जावेगा। मैंने जैसा अर्ज किया, उनकी चिट्ठी ११ सितम्बर को आई थी और २३ सितम्बर को उनका रिमाइन्डर प्राप्त हुआ था और २८ सितम्बर को डेवलपमेन्ट की तरफ से जवाब दिया गया। ये तारीखें इसलिये मैं आपको बताता हूं कि उस समय जिला परिषद् भरतपुर के प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं था। १७ अक्टूबर, १९६५ को विधि आयुक्त ने यह सिफारिश की कि अगर ऑर्डिनेन्स में अमेन्डमेन्ट नहीं किया गया तो एम० एल० एज० और एम० पीज० पंचायती राज संस्थाओं में काम नहीं कर सकेंगे। अतः उनकी राय में ऑर्डिनेन्स में संशोधन कर देना चाहिए। अतः १८ अक्टूबर, ६५ को मैंने उपरोक्त राय से सहमति प्रकट की और यह भी लिखा कि अगर और भी कोई आवश्यक संशोधन हो तो उसे भी इन्सर्ट कर दें। फिर १२ नवम्बर, ६५ को ड्राफ्ट ऑर्डिनेन्स मुख्य मंत्री महोदय के एप्रूवल के पश्चात् केबिनेट में प्रस्तुत करने की अनुमति दी। २१ नवम्बर को चीफ मिनिस्टर ने इसको एप्रूव किया और उसके बाद इसको केबिनेट में पेश किया गया उस वक्त तक माननीय रामकिशनजी ने अपने भाषण में जो बातें कहीं उनका नामोनिशान नहीं था।

मैं आपको तारीखें बता रहा हूं और तारीखें इसलिये बता रहा हूं कि उस पर एक दफा मेरा एप्रूवल हुआ और उसके बाद चीफ मिनिस्टर का एप्रूवल हुआ और ६ दिसम्बर को केबिनेट मीमो बन कर चला गया था। उस वक्त भी आपके खिलाफ अविश्वास के बारे में कोई बात पोथी-पानों में नहीं थी। ६ दिसम्बर को केबिनेट मीटिंग नहीं हो सकी और इसलिये यह १० जनवरी को पास किया गया और २२ जनवरी को जारी किया गया। वह ऑर्डिनेन्स आपके लिये नहीं बनाया गया। जैसा मैंने अभी कहा कि सारस्वतजी, उनका पत्र था, महाराजा बीकानेर का प्रश्न सामने आया कि जिला परिषद् ने लिख दिया। माननीय अध्यक्ष, आप चाहें तो मेरी फाइल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को देख सकते हैं और अपने आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो तारीखें में बता रहा हूं वे सही हैं अथवा नहीं। इसलिये यह कहना कि उनकी वजह से यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया में कहूंगा कि यह कहना बिल्कुल गलत है।

जब आप यहां पर जनतन्त्र की हत्या का आरोप हम पर लगाते हैं तो आप इस बात को न भूलिये कि राजस्थान ही ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज्य कायम करने में पहल की है और हम पंचायती राज्य की नींव और उसकी जड़ों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस पंचायती राज्य की नींव को कमजोर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक की इसमें निष्ठा रहे। पिछले चुनाव पंचायतों के हुए उसमें यह स्पष्ट बता दिया कि लोग पंचायतों में कितनी निष्ठा रखते हैं। क्योंकि यह एम० एल० ए० और एम० पी० के लिये कलंक था इसलिये यह ऑर्डिनेन्स बनाया गया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मथानिया के सरपंच को निलम्बित करने की कोशिश की गई। मैं यह कहूंगा कि दो-चार सरपंच होंगे जिन्होंने गबन या और कोई गलत काम किया होगा। अगर एक-दो सरपंच गलत काम करने की वजह से या कोई गबन करने की वजह से या और किसी कारण से सस्पेण्ड होते हैं तो होंगे। मैं यह कहूंगा कि ५० प्रधान और सरपंच हैं उनके खिलाफ तो आप आवाज नहीं उठाते हैं। मैं यह कहूंगा कि उनको सस्पेन्ड किया जाता है जो गलत काम करते हैं और जिनके खिलाफ आरोप होते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों न हों, हमें उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ती है। यदि हम ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो पंचायत राज्य की जड़ खोखली और नींव कमजोर हो जावेगी अगर हम उनके साथ किसी प्रकार की रियायत करते हैं।

मेरा तो यह मत है कि एम. एल. ए. और एम. पी. तो by virtue of their office जिला परिषद् के सदस्य होते हैं। अगर वे शपथ ग्रहण नहीं करते हैं तो भी उनका स्थान रिक्त नहीं माना जाना चाहिए। यह अन्य सदस्यों पर लागू हो सकता है, क्या यह एम. एल. ए. और एम. पी. पर भी लागू होगा? मैं कहूंगा कि जब स्थान रिक्त हो जावेगा तो दूसरे सदस्यों का तो स्थान बाई इलेक्शन भरा जावेगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब एम.एल.ए. और एम.पी. (by virtue of their office) मेम्बर होंगे तो उनका स्थान रिक्त होगा तो उस से एसेम्बली की सीट और पार्लियामेन्ट की सीट तो खाली नहीं होगी इसलिये यह जरूरी नहीं है कि वे शपथ-ग्रहण करें। चूंकि इस प्रकार का डाउट क्रिएट हो गया था इसलिये उस डाउट को रिमूव करने के लिये यह किया गया कि एम. एल. ए. और एम. पी. जिला परिषद् के सदस्य रहेंगे और उनका स्थान रिक्त नहीं हो सकता। इससे किसी नये आदमी को वोटिंग अधिकार नहीं दिये गए हैं, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि उनको वोट देने का अधिकार है; उसके सिवाय कोई चार नए वोटर्स बना दिये गये हों, यह बात तो नहीं है। रामकिशनजी के लिये कोई नया वोटर तैयार किया गया हो, ऐसी बात नहीं है। आलरेडी प्रोविजन है।

श्री रामकिशन (वैर) : आप वकील रहे हैं और बहस भी की है, लेकिन बड़े कमजोर वकील रहे हैं। मजबूरी से पांचों को साफ कर दीजिये तब है।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बात उन्होंने बहुत जोर से कही। मैं माननीय सदस्य की बहुत-इज्जत करता हूं और उनको इज्जत की नजर से देखता हूं। पर एक बात सुन कर मुझे दुःख हुआ कि उन्होंने इस सदन में यह कहा कि ८ सदस्यों में से ३ उनकी पार्टी के थे और ५ हमारी पार्टी के थे जो पांच मीटिंग्ज में गैर हाजिर रहे और जिला परिषद् से लिखा गया कि ये ८ व्यक्ति मीटिंगों में हाजिर नहीं रहे, इसलिये इनके बारे में शीघ्र निर्णय लेकर सूचना दी जावे। श्री रामकिशन जी ने यह भी कहा कि ५ मेम्बरों को जिला परिषद् के सदस्य बने रहने के लिए आदेश दे दिये गए, परन्तु उनकी पार्टी के तीन सदस्यों की स्वीकृति नहीं भेजी गई।

श्री रामकिशन : यह नहीं कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कहा गया है। यहां सदन के सभी सदस्य मौजूद थे जिसका सभी माननीय सदस्यों पर असर हुआ है। बिल्कुल उन्होंने यह बात कही।

श्री रामकिशन : यह कहा कि पांच के बारे में फैसला भेज दिया गया और दो के बारे में यह कहा गया कि यह विचाराधीन है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह कहता हूं कि यह बिल्कुल झूंठ है।

श्री रामकिशन : मुझे टेलीफोन से सूचना मिली है। अगर यह झूंठ हो तो मैं त्याग-पत्र देता हूं, वर्ना आप त्याग-पत्र दे दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं, आपने जो हाई कोर्ट में रिट की है उसमें जो आपने लिखा है वह आपको बताता हूं।

श्री रामकिशन : मुझे टेलीफोन से सूचना मिली है। आप एक ही पर चल रहे हैं। बड़े कमजोर वकील हैं। पांचों बातों पर बतावें।

एक माननीय सदस्य : आपको इनसे शिकायत है। आप डरते हैं।

श्री रामकिशन : मैं डरता नहीं हूं, मैं प्यार करता हूं।

श्री हरिकिशन (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सदन में मैं बहुत ही ग्रेव चार्जेज लगे हैं। अच्छा तो यह हो कि ये कागज सदन की मेज पर रख दिये जावें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पहले अर्ज कर दिया कि मैं माननीय अध्यक्ष के समक्ष यह पेश कर दूंगा। He can satisfy himself.

मैं आपसे अर्ज करता हूं जिस मसले पर माननीय सदस्य कहते हैं, जो चिट्ठी गई है, जवाब में यहां से लिखा है :

"आपका उपरोक्त संदर्भित पत्र प्राप्त होने पर आदेशानुसार सूचना दी जाती है है कि राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ (अधिनियम संख्या ३७, सन् १९५९) की धारा १६ (२) के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। जैसा कि उक्त धारा के परन्तुक में दर्शित किया गया है जब तक राज्य सरकार से डिक्लेरेशन न हो जाए तब तक ऐसे सदस्य जिला परिषद् के सदस्य बने रहेंगे और वे जिला परिषद् की बैठक में भाग ले सकेंगे।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

This is the only reply which has been sent to the Collector.

अब उनको [illegible] वह [illegible] प्रस्तुत कर रहा हूँ :—

"राजस्थान में द्वितीय पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के आम चुनावों के बाद नव-गठित जिला परिषद, भरतपुर की अब तक दस बैठक हो चुकी हैं। बैठकों का विवरण एवं प्रत्येक बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण संलग्न तालिका में दिया जा रहा है।"

संलग्न तालिका को देखने से विदित होगा कि निम्नलिखित सदस्यों ने जिला परिषद की एक भी बैठक में भाग नहीं लिया है :—

१. श्री टीकाराम पालीवाल, सदस्य, लोक सभा।

२. श्री जगन्नाथ पहाड़िया, सदस्य, राज्य सभा।

३. राजा श्री मानसिंह, सदस्य, विधान सभा।

४. श्री दामोदरलाल व्यास, सदस्य, विधान सभा।

५. श्री जगन्नाथ प्रसाद बोहरा, प्रधान, पंचायत समिति, धौलपुर।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य, जो पांच या उससे अधिक लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं उनके नाम हैं :—

१. श्री राजबहादुर, सदस्य, लोक सभा।

२. श्री मुकुटबिहारीलाल, सदस्य, विधान सभा।

३. श्री हरिशंकर, सदस्य, विधान सभा।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम की धारा १६ उप-धारा (१) खण्ड (सी) के अनुसार यदि कोई सदस्य पांच लगातार बैठकों में अनुपस्थित रह जाता है तो वह अपनी सदस्यता से वंचित हो जाता है। कानून का यह प्रावधान पंचायत समितियों से सम्बन्ध रखता है। किन्तु यही प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा ४७ के अनुसार कुछ परिवर्तन के साथ जिला परिषद पर भी लागू होता है। जिला परिषद की अब तक हुई दस बैठकों में से पांच बैठकें चुनाव संबंधी कार्यों के लिये विभिन्न रिटनिंग अफसरों द्वारा बुलाई गई थीं। जिला परिषद कार्यालय द्वारा केवल चार नियमित एवं एक विशेष बैठक बुलाई गई है। [illegible] (सी) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अयोग्यता क्या सभी प्रकार की बैठकों को मिलाकर लगातार पांच बैठकों में अनुपस्थित रहने पर प्राप्त होती है अथवा केवल जिला परिषद द्वारा बुलाई गई बैठकों में से पांच लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने पर प्राप्त होती है, इस विषय में स्पष्टीकरण नहीं है। मेरे विचार से ऐसी अयोग्यता केवल जिला परिषद द्वारा अपने कार्य निष्पादन हेतु बुलाई गई बैठकों में से पांच लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ही प्राप्त होनी चाहिए।

संलग्न तालिका को देखने से अवगत होगा कि जिला परिषद द्वारा बुलाई गई चार नियमित

Page No. 66

(श्री दामोदरलाल व्यास)

व एक स्पेशल मीटिंग में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए :—

१. श्री राजबहादुरजी, सदस्य, लोक सभा ।

२. श्री टीकारामजी पालीवाल, सदस्य, लोक सभा ।

३. राजा श्री मानसिंहजी, सदस्य, विधान सभा ।

४. श्री जगन्नाथप्रसादजी, प्रधान, पंचायत समिति, धौलपुर ।

इस प्रकार उपरोक्त चार सदस्यों ने धारा १६(१)(सी) की अयोग्यता प्राप्त करली है और धारा १७ के प्रावधानों को धारा ४७ क साथ पढ़ने पर यह सदस्य जिला परिषद् की सदस्यता से अयोग्य हो गये हैं ।

धारा १६(१) के अन्तर्गत अयोग्यता प्राप्त होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही धारा १६(२) के अन्तर्गत की जा सकती है । यह कार्यवाही धारा १७ के प्रावधानों को सामने रखते हुए राज्य सरकार ही कर सकती है । अतः रिपोर्ट हाजा पेश कर निवेदन है कि इस पर उचित कार्यवाही की जाने की कृपा करें और आयन्दा जिला परिषद् की बैठक से पहिले निर्णय सूचित करने का कष्ट करें । कृपया यह भी रहनुमाई फरमाई जावे कि यदि इस दौरान में कोई जिला परिषद् की मीटिंग बुलानी पड़े तो उपरोक्त सदस्यों को नोटिस भेजा जाय अथवा नहीं ।

इसमें अतिरिक्त श्री जगन्नाथजी पहाड़िया, एवं श्री दामोदरलाल जी व्यास ने ही अब तक जिला परिषद् की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया है, किन्तु उनकी अनुपस्थिति (३) तीन नियमित है एवं एक स्पेशल मीटिंग तक ही रहती है क्योंकि जब जिला परिषद्‌की पहली बैठक हुई तब तक श्री दामोदरलालजी व्यास का स्थान तो रिक्त था और श्री जगन्नाथजी पहाड़िया के राज्य सभा के सदस्य होने की सूचना जिला परिषद् में प्राप्त नहीं हुई थी और इनको "बैठक की सूचना नहीं दी गई थी।"

मुझे तो उन पांच का नाम कहीं नजर नहीं आता । आप तो बहुत जोश में कह गये कि त्याग-पत्र देने को तैयार हैं । मैं उनका त्याग-पत्र नहीं चाहता, वे सिर्फ सदन में कह दें कि उन्होंने गलत बयानी की है ।

श्री रामकिशन : आप पूरी तरह से कह दीजिए, फिर मैं सब स्पष्ट कर दूंगा, इसके बाद एक कोरिजेन्डम निकाला है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपसे यह उम्मीद नहीं थी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप मीठी भाषा से गुमराह कर देते हैं सबको ।

श्री दामोदरलाल व्यास : तीसरी बात कही एडजॉर्नमेन्ट की टाइपराइटर मंगा कर । चूंकि माननीय सदस्य ने हाई कोर्ट में याचिका पेश करदी है, मैं इसके मेरिट्स में नही जाऊंगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक तरह से चिट्ठी कलेक्टर को लिखी गई और एडवाइज किया गया कि क्या करना चाहिये; वह भी इसलिये कि जो गजट में ऑर्डिनेन्स निकाला गया है उसमें टाइप मिस्टेक से सब-सैक्शन (३) के बजाय (१) छप गया . . .

श्री रामकिशन : यह तो मैं जान गया . .

श्री हरिदेव जोशी : (खनिज मंत्री) हम जानना चाहते हैं ।

श्री चौसरसिंह बाबेल (वैर्गूं) : वे मान रहे हैं तो सदन का समय क्यों ले रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिसके लिये जोश में आकर इतना कहा गया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब-सेक्शन (१) क्या है और सब-सेक्शन (३) क्या है ? सब सेक्शन (१) यह है:—

"The State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Zila Parishad for a district from such date as may be specified therein."

परन्तु सब-सेक्शन (३) यह है:-

"Every Zila Parishad shall consist of the following members.—

Pradhan of Panchayat Samitis."

और एम. पीज., एम एल. एज. सब आगये हैं।

तो यह अमेंड किया कि सब-सेक्शन (३) होना चाहिये सब-सेक्शन (१) के बजाय, सब-सेक्शन (१) वहां मिनिंग लैस है :

"Zila Parishad shall consist of the following members"

यह बिल्कुल सही है कि इन्टरप्रिटेशन ऑफ लॉ निकाला जाय तो इसे प्रिंटिंग मिस्टेक समझेंगे, पर कलेक्टर ने डेवलपमेंट कमिश्नर को फोन किया कि गजट आया उसमें यह मिस्टेक है इसलिये जब तक कोरिजेण्डम नहीं निकलेगा, I shall not act according to it. डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने नोटिंग करके राय लिखी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यह करेक्शन इश्यू हो जाय; इस कोरिजेण्डम की जरूरत हो तो उस मीटिंग को एडजार्न कर देना चाहिये। इसके सिवाय और कोई चारा नहीं था। चाहे वे कांग्रेस के सदस्य हों या और किसी पार्टी के सदस्य हों। राजा मानसिंह भी सदस्य थे, उनको भी वोट देना था। प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण किसी को वोटिंग से डिप्राइव कर दिया जाय, यह उचित नहीं था और इसमें कोई गलती नहीं की है।

श्री रामकिशन : आप हाउस को मिसलीड मत करिये, २७ तारीख को कोरिजेण्डम निकाला गया है।

कोरिजेण्डम हुवा है उसी रात को इश्यू हुआ, पर कलेक्टर भरतपुर को नहीं पहुंचा।

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : कोरिजेण्डम पर किसके हस्ताक्षर हैं ?

एक माननीय सदस्य : कोरिजेण्डम पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होते।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो जिस पर कहा गया कि पंचायती राज की हत्या हो रही थी, जिस पर इनकी कॉन्शियस रिवोल्ट कर रही थी, उस सबकी वास्तविक स्थिति मैंने आपके सामने रखी। मैं इस मामले के मेरिट्स पर नहीं जाना चाहता, एक्चुअल पोजिशन मैंने रख दी है। एक बात उन्होंने कही कि श्री जगन्नाथ, प्रधान, पंचायत समिति की शपथ के ऑर्डर्स यहां से दे दिए। उसने हमको एक दरख्वास्त पेश की थी कि जिला प्रमुख हमको शपथ नहीं दिलाते। तो सरकार को पॉवर्स है...

श्री रामकिशन: आपने सिखाया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर जिला प्रमुख शपथ नहीं दिलाते तो कलेक्टर को हम

(श्री दामोदरलाल व्यास)

डिरेक्ट करते हैं, यह लॉ में प्रोविजन है। २ और ६ महीने की इन्टरप्रिटेशन का सवाल है, इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है कि इतने समय के अन्दर किया जाय। अगर कानून के अन्दर डिसक्वालिफिकेशन इन्कार करता है, हम उनको क्वालिफाई नहीं कर सकते। मेरे सामने यह मामला था कि [illegible] शपथ नहीं दिलाते हैं तो मेरे सामने इसके सिवाय कोई चारा नहीं था कि कलेक्टर को आदेश करूं कि वह शपथ दिलाये।

श्री रामकिशन : आप धर्म से कहें....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप ब्राह्मण हैं, आपको धर्म की जरूरत नहीं है।

श्री रामकिशन : अगर मैंने असत्य बताया है तो उसके लिये मैं क्षमा मांगता; मुझे ताज्जुब है कि जिस तरह से व्यासजी ने तथ्य रखे। बीकानेर के महाराजा की चिट्ठी को मैं स्वीकार करता हूं। [illegible] होगी, लेकिन [illegible] वह [illegible] पहले मथुरादासजी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग [illegible] गई तो [illegible] कौनसी तारीख [illegible] गई [illegible] २१ तारीख [illegible] तारीख [illegible] हो गई और व्यासजी ने [illegible] को [illegible] नहीं थे [illegible] के लिये [illegible] मैं [illegible] हूं कि बाई चांस होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास फाइल है १८-१०-६५ को डेवलपमेंट कमिश्नर का नोट है। आप पूरा ही को देखें। अगर ऑर्डिनेन्स द्वारा अमेंडमेंट नहीं किया गया तो एम० पीज० और एम० एल० एज० पंचायत संस्थाओं में काम नहीं कर सकेंगे। अतः मेरी राय है कि ऑर्डिनेन्स में संशोधन करना चाहिए। यह १७-१०-६५ का नोट है जब अविश्वास) प्रस्ताव की मंशा नहीं थी। मेरा नोट है: 'मैं उपरोक्त सुझाव से कतई सहमत हूं और कोई भी आवश्यक संशोधन हो, उसे इसमें इन्सर्ट किया जाय' यह १८-१०-६५ का नोटिंग है।

श्री अध्यक्ष : (हिन्दी में) आप टेबिल पर रख दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आप फर्जी डाक्युमेंटस को यहां रख रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अमेंडमेंट ऑर्डिनेन्स के रूप में जब दुबारा कागज आया तो १२-११-६५ को मैंने लिखा "after the C. M. has approved it" और मुख्य मंत्री ने २१-११-६५ को एप्रूवल दे दी।

श्री रामकिशन : जो व्यासजी ने कहा, मैं शत प्रतिशत स्वीकार करता हूं कि उनके पास कोई ऑर्डर था, विकास विभाग की कोई चिट्ठी थी, उसके बाद एप्रूवल मिली। लेकिन मेरा प्रश्न है कि उसके बाद केबिनेट की मीटिंग नहीं हुई? ४ तारीख को अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ और २२ तारीख को मथुरादासजी की अध्यक्षता में मीटिंग कैसे होती? सच्चाई से स्वीकार करिए। २२ तारीख को जब राष्ट्रीय संकट था, श्री लालबहादुर शास्त्री के देहावसान के कारण शोक में सारा देश डूबा हुआ था उस समय ऑर्डिनेन्स निकला और उसके बाद दूसरी बात उन्होंने कही है कि कलक्टर की सूचना की वजह से मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया।

(श्री रामकिशन) २६ जनवरी को जब सारा देश राष्ट्रीय दिवस मना रहा था [illegible] हुआ होगा और कलेक्टर पहुंचे [illegible] यह सब कार्यवाही भरतपुर जिला प्रमुख को हटाने के लिए की गई। कलेक्टर भरतपुर आपके पास साढ़े दस बजे गेस्ट हाउस में आये। कलेक्टर अगर पहले लिखकर भेजता तो मीटिंग स्टेट नहीं होती। असिस्टेंट कलेक्टर को बुला कर और टाइप करवा कर चिट्ठी दे दी। इसके बावजूद भी आपने जगन्नाथ बोहरे के लिये कहा है। जगन्नाथ अगर उसके लिये चिट्ठी लिख देते तो कोई कारण नहीं कि मैं शपथ नहीं दिलाऊं। मेरे साथ चलिये और जगन्नाथ पहाड़िया से पूछ लीजिए कि रामकिशन ने शपथ नहीं दिलाई तो मैं कोई भी सजा भुगतने के लिये तैयार हूं। जब उन्होंने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव की तारीख लग गई है और १६ आदमी उनको चाहिए, लेकिन मुझसे जगन्नाथ को शपथ नहीं दिला सकते तो उनके तब तक आदमियों की संख्या १८ हो गई तो उनके लड़के को बुलाया। लेकिन एक्ट में लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव होने से तीन मीटिंग के बाद कोई शपथ नहीं ले सकते तो व्यासजी ने यहां तथ्य को तोड़-मरोड़ कर रखा है। मैंने जो कुछ भी कहा उसके बाद व्यासजी ने जो कुछ कहा वह आप दल के लिए कह रहे हैं, मुझे नाराजगी नहीं, लेकिन इन तथ्यों की भावना में मत बहिये, आप में हिम्मत होनी चाहिए। आप कह दें कि आप पर दबाव था। इतना आप कह देते तो आपके प्रति मेरे मन में सम्मान होता। आप वकील हैं लेकिन कमजोर वकील हैं; [illegible] लेकर वकालत कर दी। आप तथ्यों को जोड़ नहीं सकते तो मुझे अफसोस है। आप चलिए इन सारी बातों को लेकर मैं आम सभा में धौलपुर में कहता हूं और आप भी वहां ये बातें कहिए। जिस दिन आपका दबाव पड़ेगा, आप हटने में देरी नहीं है। यूरोप में अगर मंत्री ऐसे बयान देते तो क्या? और अंडे पड़ने शुरू हो जाए। तथ्यों को सही रूप में प्रस्तुत करें। हाई कोर्ट में बहस हुई है वहां से कल स्टे मिल गया। व्यासजी का फोन भी भार्गव साहब को गया था कि तीन चार तारीख ले लो।

मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि वे हिम्मत करके कह दें कि मैं यह दबाव से कह रहा हूं, मेरे मन में उनके प्रति सम्मान रहेगा, वर्ना एक संस्कार रहेगा कि कमजोर वकील को कहीं पर भी खड़ा कर दो मुकदमा हारे बिना नहीं रहेगा।

एक तथ्य आपने नहीं कहा। कोरिजेन्डा बताया। मीटिंग पोस्टपोन होने की बात बताई। प्राइवेट मशीन की बात बतायी। कोई बात सत्य नहीं है। व्यासजी के मन को ठेस लगी तो वे मुझे क्षमा करेंगे।

एक आप इजाजत दें तो ज्वालाप्रसादजी ने जो कुछ कहा कल, मैं उसका स्पष्टीकरण करूं। मैं कल उस समय उपस्थित नहीं था। जब उन्होंने मेरे बारे में अन्त में कुछ कहा था उन्होंने यह कहा था कि राजाखेड़ा के उप-चुनाव में कुछ इनाम मिल गया। रामानन्दजी ने पूछा कि क्या मिल गया? कोई जवाब नहीं दिया। मैंने प्रोसिडिंग्ज देखी है। उनका इनाम का मतलब यदि यह हो कि जिला प्रमुख बन गया तो मैं निवेदन करूंगा कि जिला-प्रमुख का चुनाव पहले हुआ और व्यासजी का चुनाव बाद में हुआ। धौलपुर से व्यासजी को

(श्री रामकिशन)
भी नया जीवन मिला है। रुपये पैसे की कोई बात हो तो कमिट कर दें तो मैं उसको स्पष्ट कर दूं।

(किसी माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

आप बैठ जाओ। यह कहा कि मुकुटबिहारी भाग गये और रामकिशन डटे रहे। मथुरादास माथुर गये, उनको भी बता दिया। हमारे दल में कुछ गलत काम हुए। व्यासजी की तरफ से उनके दल की ओर से भी आये, उनको बता दिया। मैं अब भी नैतिकता के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि उनको बताया कि गलत काम किया। मैं व्यासजी ने भी बताया कि गलत काम हुआ है। मेरे व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं चरित्र की बात सबसे पहले मानता हूं।

ज्वालाप्रसादजी के सम्बन्ध में एक महाभारत की बात याद आ जाती है। वे जीवन में क्रान्तिकारी रहे हैं और मेरे मन में उनके प्रति सम्मान है। गलत कह देते हैं तब भी सम्मान में कमी नहीं होगी। अश्वत्थामा का एक पक्ष था। शंख बजा देना। पता नहीं था उसको किस कारण से बजाना था। बस एक काम था कि शंख बजा देना। मैं चार साल से यह देख रहा हूं कि वे सुखाड़ियाजी का शंख बजाने के ही काम आते हैं। आपको वे काम में लाये। अश्वत्थामा की तरह आपने उनका शंख बजा दिया। जो उन्होंने कहा और आपने शंख में फूंक मार दी। अश्वत्थामा मरा था तो यह पता नहीं था कि कुंजर मरा है, पुरुष मरा है या नारी। ज्वालाप्रसादजी आप क्रान्तिकारी समाज के अन्दर से हो। यदि आप सुखाड़ियाजी का शंख बजाने का काम जिन्दगी भर करते रहोगे तो दुःख होगा। सोशियलिस्ट पार्टी बनाने में सबसे पहले आप आगे थे और शंख बजाने में भाग गये। यदि मेरे से कोई पाप हुआ है तो मैं सदन में और कोर्ट में भी उसके लिये सजा पाने को तैयार हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपने इतना कहा..

श्री रामकिशन: मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास: क्लीयर कर दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप क्यों पीछे पड़ते हो, मैं नहीं मानूंगा। पर्सनल और रिड्यूकुलस वे मैं जो बात कही गयी है उसके जवाब में वे क्या थे और क्या हैं, क्या नहीं हैं, प्राइवेट में आ जाओ तो बताऊंगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर): खुल्लम-खुल्ला होना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपके साथियों ने गलतफहमी दी। मैंने सिर्फ यह कहा...

श्री रामकिशन: मैं प्रोसिडिंग्ज में से लाया हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैंने माना भी कहां है, वह भी पढ़ लिया होता। मैं वहां गया था। इसको वे कॉन्ट्राडिक्ट कर दें। मैं यह मानता हूं कि यह सदन खुद जो फैसला करदे कि वे सच्चे हैं या मैं गलत कहता हूं। मुकुट-बिहारीजी ने कहा कि पार्टी को धोखा दिया, उनको जिताना चाहते हैं क्योंकि उनको प्रमुख बना दिया।

श्री रामकिशन : प्रमुख तो पहले ही बना था । दामोदरलालजी व्यासजी से पहले ही चुन लिया गया था । उनसे कहला दो ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय जो बात माननीय ज्वाला-प्रसादजी ने कही है में यह चाहता हूं कि माननीय दामोदरलालजी इसको स्वीकार करलें कि जिला परिषद् में मदद की इसलिये हमारे चुनाव में सहायता की ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कहो ना ।

श्री रामकिशन : मैंने तो अपनी बात कह दी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह के विवाद को न बढ़ायें और मुख्य मंत्रीजी जो कहना चाहते हैं उसको सुनें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, में एक व्यवस्था के प्रश्न पर निवेदन करूंगा । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, कि आज सुबह आपने जो आदेश दिया कि यह बहस आज शाम को खत्म हो जावेगी और इस पर वोटिंग होगा । में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बहस के जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को दूसरे दृष्टिकोण से रखने का एक प्रिविलेज मोशन राज्यपाल महोदय के खिलाफ है, आपके सामने तारीख २८ फरवरी को पेश हुआ था जिसमें मैं भी एक हस्ताक्षरकर्ता हूं । में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव पर जो निर्णय होने वाला है, वह करीब-करीब इस सदन के सब ही माननीय सदस्यों को मालुम है और उस निर्णय के साथ, में समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रश्न की बहस जो है वह करीब-करीब खत्म हो जावेगी और उसके बाद जब हम दुवारा विधान सभा में आवेंगे इस सत्र की समाप्ति के बाद या अगले सत्र की समाप्ति के बाद में तो यह कहा जायगा कि यह प्रिविलेज मोशन पेश किया गया उसमें इतनी देर हो गयी है इसलिये वह अब उठाया नहीं जा सकता । इसीलिये में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के खिलाफ हमारे सदन के सदस्यों की प्रिविलेजेज के हनन का प्रस्ताव है उसको एडमिट करने की कृपा करें और उसको एडमिट किया जाय, यह भी में आप से निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप बहस में कई दफा बता चुके हैं ।

में एक निवेदन कर दूं । माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि इस बात से उसको टाल दिया जावेगा कि यह प्रश्न उठा, उसमें देर हो गई है अब; में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य से में एक दो दफा मिल चुका हूं और उनके साथियों से भी मेरी बात हो चुकी है । बहस में उन्होंने जो मुद्दे उठाये हैं वे जितना चाहें, उस पर प्रकाश डाल सकें डालें जिससे मुझे स्वयं को भी मार्ग दर्शन मिल सके, उस पर सब तरह से विचार किया जायगा और जो भी निर्णय होगा यथा समय सदन के समक्ष बता दूंगा । कोई इस कारण से कि आज न हो और दस दिन बाद हो, उस पर कोई असर पड़ेगा । में विश्वास दिलाता हूं कि उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सारी बातों को देख कर विचार किया जायगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रिविलेज मोशन कई दिन पहले माननीय वित्त मंत्री महोदय, श्री बालकृष्णजी कौल के खिलाफ पेश किया था उसका उदाहरण पेश करना चाहता हूं। वह मोशन जिस दिन सत्र समाप्त हो रहा था उस दिन पेश हुआ। विधान सभा का एक सत्र समाप्त होने के बाद दुबारा सत्र में हम मिले तो उस प्रिविलेज मोशन पर कोई बहस इसलिये नहीं हो सकी क्योंकि वह मोशन लेप्स हो चुका था और प्रिविलेज मोशन दुबारा दिया जाय, उसमें कई वैधानिक कठिनाइयां हैं क्योंकि कोई प्रिविलेज मोशन करेन्ट सरकमस्टान्सेज से होना चाहिये।

हमको इस सम्पूर्ण सत्र से निकालने का प्रश्न है, हम यह मानते हैं कि कांग्रेस अपनी [illegible] मेजोरिटी के [illegible] की संख्या पर, मैं यह कहना चाहता हूं कि राम किशनजी भेड हैं, यह कहा गया, मैं ऐसे वैसे शब्दों का प्रयोग करने का आदी नहीं हूं, लेकिन कभी कभी जोश में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं, टेक्निकल और लीगल कठिनाइयों की बात है, इस सत्र की समाप्ति के बाद राज्यपाल महोदय के खिलाफ प्रिविलेज मोशन उठाने की कठिनाइयां आ सकती हैं और उस ओर कहना चाहता हूं...

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसके बावजूद आप जो आश्वासन दे रहे हैं कि इस पर सम्पूर्ण रूप से विचार किया जायगा, इस निश्चित आश्वासन के बाद में हमारे सामने और कोई कार्यवाही करने का चारा नहीं रहता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की विधान सभा से पहली ही बार २२ सदस्यों को निकाला गया है गवर्नर द्वारा, यह हिन्दुस्तान में अपने प्रकार की पहली घटना है। ऐसे समय में भी सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनेगा तो दूसरी परिस्थिति कब पैदा होगी ? ऐसी स्थिति फिर पैदा नहीं होगी, इसमें सदन के सदस्यों के अधिकारों का महत्व है। [illegible] जैसा फरमाया आप इस पर सम्पूर्ण रूप से विचार करेंगे और एडवोकेट जनरल की भी इस बारे में राय लेंगे। और आप उस वक्त हमें भी बुलायेंगे, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं और हमारे आर्ग्युमेन्ट्स भी उनके सामने रखे जायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस बार इस बजट अधिवेशन की शुरुआत में ही जब राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण पढ़ने के लिये इस सदन में आये उस समय जो अप्रिय घटना घटित हुई मैं समझता हूं वह सिर्फ राजस्थान में ही नहीं सारे भारतवर्ष में इस प्रकार की अशोभनीय घटना घटने का यह पहला उदाहरण था।

जिस प्रस्ताव पर यहां पर बहस हो रही है इसके सम्बन्ध में अगर कोई यह समझता हो कि इस प्रस्ताव को पास करने में हमको कोई खुशी होती हो या उत्साह होता हो या हम इस चीज को विन्डिक्टिव स्प्रिट में लेकर के काम कर रहे हों, मैं समझता हूं यह सोचना सरासर गलत होगा।

माननीय सदस्यों को यह मान कर चलना चाहिये कि इस प्रकार की परिस्थिति के लिये हमें मजबूर होना पड़ा है। इस प्रकार की अप्रिय एवं अशोभनीय घटना नहीं होती तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाने का सवाल ही नहीं होता।

Page No. 73

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर जहां तक मुझे याद है सन् ५२ से लगा कर सन् ६६ तक सदस्य रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसके साथ साथ इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य जो सन् ५२ से लगातार इधर बैठे रहे हैं, जिनकी सरकार लगातार चली आ रही है हमने कभी किसी भी माननीय सदस्य को इस सदन से प्रस्ताव पास कर बाहर करने की बात नहीं की। हम इस बात को सदा से मानते आये हैं कि जनतन्त्र की परम्पराओं के अन्दर विरोधी पक्ष का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम इस बात को मान कर चलते हैं और हमेशा हमने इसकी कद्र की है और इस बात को मान कर चले हैं कि इस प्रकार की घटना न घटित हो।

श्री अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि जिन १२ सदस्यों के निलम्बित करने का यह प्रस्ताव आया है उसके बारे में विचार करते हुए उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य भी जब राज्यपाल महोदय यहां अभिभाषण के लिये आये, उस मौके पर सम्मानपूर्वक विधान द्वारा जो उनको ओब्लीगेशन हैं कि यहां आकर भाषण दें उसको हम सुनें। इस बात को इस तरह के ही नहीं उस तरफ बैठने वाले विरोधी पक्ष के अधिकांश सदस्य, विरोधी पक्ष का बहुमत जनसंघ व स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य इस बात को मानते हैं कि उस समय जो इन माननीय सदस्यों ने एक्शन लिया उनको भी इसमें शरीक होने के लिये आमन्त्रित किया गया, लेकिन उन्होंने उस बात के लिये ना कहा और उनकी इस प्रकार की घटना को नापसन्द किया। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य इस बात को अनुभव करेंगे कि उनका इस प्रकार का प्रदर्शन उस समय करना उचित नहीं था।

आज जो भी भाषण इस सदन के अन्दर इस प्रस्ताव पर हुए उन भाषणों ने एक प्रकार जनरल भाषण का रूप ले लिया। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि राज्यपाल के भाषण के समय किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिये, किस प्रकार का नहीं होना चाहिये, इस सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के जो भी सदस्य बोले वे सब इस बात के पक्ष में हैं कि जो भी व्यवहार राज्यपाल के साथ किया गया उससे उनको भी खेद है, उन्होंने इस बात को अपने भाषण में और प्रस्ताव द्वारा भी प्रगट किये हैं। जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के इस बारे में प्रस्ताव भी आये हैं...

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सदन के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: प्रस्ताव लाये गये हैं जो प्रस्तुत नहीं हुए, लेकिन वे आये हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति या पार्टी का सवाल नहीं है।

राज्यपाल हमारे राज्य के हैड हैं। विधान द्वारा उनको सम्माननीय स्थान दिया गया है। इस सदन के अन्दर आते हैं, विधान की आज्ञानुसार अपने कर्तव्य का पालन करने आये थे। उस मौके पर उपयुक्त सम्मान प्रदर्शित करना, उन परम्पराओं को कायम रखना जो आज के लिये नहीं भविष्य के लिये परम्पराओं को बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है।

यह सदन सर्वोपरि सदन है। माननीय अध्यक्ष, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि हम विन्डिक्टिव होकर कोई प्रस्ताव नहीं लाये हैं। हम यह भी नहीं चाहते कि आप सम्पूर्ण सत्र में हिस्सा न लें। मैं आज के बिल मेरे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया) दल के सदस्यों को इस बात की सलाह दूंगा, अगर माननीय सदस्य इस बात के लिये रजामन्द हो जायं कि जो कुछ अशोभनीय व्यवहार उन्होंने किया उसके लिये खेद प्रगट करते हैं . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप यह कह कर टाइम खराब क्यों करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर माननीय सदस्य खेद प्रगट करने के लिये तैयार हों।

(व्यवधान, लगातार व्यवधान)

मैंने किसी को इन्टरप्ट नहीं किया आप भी मुझे सुनिये। मैं निवेदन कर रहा हूं जो भावनायें मैंने विरोधी दल के सदस्यों की जानी उस लिहाज से मैं यह कह रहा हूं। हमारा कतई उद्देश्य उनको सदन में न आने देने का नहीं है। जिन माननीय सदस्यों के खिलाफ प्रस्ताव आया है वे अगर अनक्वालिफाइड अपोलोजी मांग लें तो . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप यह कह कर वक्त खराब क्यों कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : हमने कोई चोरी नहीं की जो माफी मांगें, उल्टा हमें जिस प्रकार निकाला गया गवर्नर द्वारा उसके लिये उन्हें खेद प्रगट करना चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आप इनसे किस बात की माफी मंगवाना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुमत की वजह से आपका प्रस्ताव इन्ट्रोड्यूस हो गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपकी महरबानी से नहीं जनमत की महरबानी से है।

श्री अध्यक्ष : आपको भी मौका मिलगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपका हमें माफी मांगने के लिये कहना अपमानजनक है।

श्री अध्यक्ष : यह तो माननीय सदस्य अवश्य स्वीकार करेंगे कि यह जो प्रस्ताव आया है वह एक गम्भीर स्थिति का परिचायक है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने माना है। जिन माननीय सदस्यों ने यह कार्य किया उन्होंने खद ने यह माना है कि उन्होंने सोच-समझ कर, पहले विचार करके यह बात की है, उत्तेजना में आकर के नहीं की, सत्याग्रह के रूप में उन्होंने की। जो बहस इस पर हो रही है उसमें उस गम्भीरता को प्रदर्शित नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं आप स्वयं अपने पक्ष को कमजोर करने जा रहे हैं, इससे आपकी सच्चाई सिद्ध नहीं होगी। आपको इस चीज को गम्भीर वातावरण में लेना चाहिये। आप जिस सिद्धान्त की बात को लेकर चलते हैं, जिसको आप ठीक समझते हैं, चाहे उसको अन्य सदस्य स्वीकार करें या न करें आप अपने सिद्धान्त को इस प्रकार का वातावरण बनाकर कमजोर करने की कोशिश न करें।

मुझे यह भी मालूम है कि जो बातें इस प्रस्ताव के बारे में नहीं कही जानी चाहिये थी उनको भी कहा गया, लेकिन जब हम इस स्थिति पर विचार कर रहे हैं तो हमें इसकी गम्भीरता को बनाये रखना चाहिये ताकि जिस प्रकार का असर आप डालना चाहते हैं उसका अच्छा असर पड़े, अच्छा वातावरण

(श्री अध्यक्ष)

बन सके। इससे आप जिस मूलभूत सिद्धान्त को लेकर चल रहे हैं वह सिद्धान्त आपके दिल में ज्यादा प्रभावशाली और कारगर बन सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय जो गरमागरम बहस हुई उस बहस के अन्दर पड़ना नहीं चाहता। अन्त में फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को लक्ष्य में रखते हुए कि यह सदन बड़ा है, हम उसके आगे अपोलोजी की बात करते हैं तो सदन के बड़प्पन को बढ़ायेंगे, किसी व्यक्ति के बड़प्पन को नहीं बढ़ायेंगे।

इस बात को लक्ष्य में रखते हुए अगर कुछ जोखिम उठाने को तैयार होते हैं तो कोई मान-सम्मान के ऊपर आघात पड़ने का प्रश्न नहीं उठता। परम्पराओं को स्वस्थ करने के लिये एक हम परम्परा भी कायम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मुझे . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रामानन्द बोलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से इस सदन में एक बहुत गम्भीर विषय पर बहस हो रही है।

मैं समझता हूं कि वह विषय केवल इतना ही नहीं कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों को क्या सजा दी जावे, कितना और कैसा उनका व्यवहार था, बल्कि जिस तरह से इस बहस में इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी बहुत बुनियादी प्रश्न उठाये; डेमोक्रेसी के प्रश्न उठाये, जनतन्त्र के प्रश्न उठाये। वे इस सबकी बुनियाद में हैं।

और मुझे यह खुशी है कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की है कि हम सब अपने इस देश में, अपने इस प्रान्त में जनतन्त्र की रक्षा करने के लिये कटिबद्ध हैं।

मैं, आपकी मार्फत अध्यक्ष महोदय, अपने इस माननीय सदन को और साथियों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो भी कदम उठाये, जो भी हमने कार्य किया, जैसा भी जो हमने कार्य या कार्यवाही करने का निर्णय किया वह भी जनतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं को कायम करने के लिये, जनतन्त्र की रक्षा की दृष्टि से जिस तरह से हम उसको समझते हैं, जिस तरीके से हम उसकी मान्यता मानते हैं, उस कदम को उठाने की आवश्यकता समझी।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये आज इस बात को, इस प्रश्न को उठाया जा सकता है कि आज इस सदन के सामने यह प्रश्न गम्भीरता से विचार करने को है कि हम सब लोग जिस जनतन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं, जिन पवित्र भावनाओं से, जिन महान् भावनाओं से हम सब प्रेरित हैं वह जनतन्त्र क्या है ? उसकी वे महान् मान्यताएं क्या हैं जिनकी कि हमें रक्षा करनी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से भी सहमत हूं, जो कई माननीय सदस्यों से कही कि क्या

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हमारे देश में इस प्रकार का वातावरण बन रहा है जिससे हमारी आम जनता का जनतन्त्र में विश्वास कुछ टूटता सा जा रहा है और उस वातावरण में कुछ लोग इस प्रकार की आवाज भी उठाते हैं कि हम तो पहले ही कहते थे कि हमारा देश जनतन्त्र के योग्य नहीं है और इसलिये यह जो प्रोसेस है इसे वापिस करना चाहिये या किसी तरह की मिलिटरी डिक्टेटर-शिप यहां पर आनी चाहिये। इस प्रकार का वातावरण इस सदन से बाहर आहिस्ता-आहिस्ता आम जनता में परकोलेट करने की कोशिश की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा में यह निवेदन करना चाहता हूं, इस गंभीर स्थिति का हमारे देश में अवश्य मुकाबला किया जाना चाहिये। इसको वाइप ऑफ किया जाना चाहिये और हम और मेरी पार्टी जिससे मैं संबंधित हूं इस देश में पालियामेन्टरी डेमोक्रेसी की नींव मजबूत हो, कमजोरियां जो हैं, उनको निकाल बाहर करें, स्वस्थ परम्परायें और स्वस्थ प्रकार की डेमोक्रेसी जनतन्त्र यहां कायम हो, इस बात की हमारी कोशिश है और इस दृष्टि-कोण से अध्यक्ष महोदय, चाहे इस सदन के माननीय सदस्य इस ओर बैठने वाले, चाहे वे उस ओर बैठने वाले हमारे इस एम से बिल्कुल सहमत न हों, जिस दृष्टिकोण से उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है, या इस ओर के बैठने वाले कुछ आंशिक रूप में हमारे उस व्यव-हार से सन्तुष्ट न हों, पर हम यह अवश्य आशा करेंगे कि सभी माननीय सदस्य हमारे दृष्टि-कोण और हमारी भावनाओं को, और उन मूल्यों को जिनको हम पुनीत समझते हैं डेमो-क्रेसी के लिये, उन पर आप गौर जरूर फरमा-वेंगे और उसी संजीदगी से आप उस पर विचार करेंगे।

जैसा अजमेर नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, मैं उनकी उन भावनाओं से सहमत हूं कि हमें इस प्रश्न को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये कि अमुक दल के लोग या विरोधी पक्ष के लोग इस मामले में, प्रतिपक्ष के लोग इस मामले में इन्वोल्व्ड हैं या उस दल के इन्वोल्व्ड हैं क्योंकि जो प्रश्न हमारे सामने हैं वह कुछ परम्परायें डालेगा, उसूल निर्धारित करेगा। कुछ इस पक्ष में बैठने वालों के लिये, कुछ उस पक्ष में बैठने वालों के लिये भी, सभी के लिये यह लागू होंगी और हिन्दुस्तान की जनता के लिये यह एक उसूल कायम होगा और इस दृष्टि से हमें इस सारे प्रश्न पर विचार करना होगा।

वास्तव में किस प्रकार की डेमोक्रेसी, किस प्रकार का जनतन्त्र हम अपने देश में कायम करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह प्रश्न जिस तरह से उपस्थित हुआ है उस प्रस्ताव के जरिये, उसका एक कानूनी पहलू है और एक सैद्धांतिक पहलू भी है। मैं समझता हूं इन दोनों ही पहलुओं पर मैं थोड़े अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से आज जो इसमें प्रश्न इन्वाल्व्ड है और जिस पर माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिये तो वह यह है कि आया कि यह सदन यह मान्यता रखता है कि गवर्नर महोदय जब अपना अभिभाषण देने यहां पर आयें तो उस समय किसी भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
सदस्य को किसी भी बात को कहने का अधिकार है या नहीं है ?

या किन्हीं भी हालतों में कोई भी बात अच्छी हो या कैसी भी हो, उनको कहने का अधिकार है या नहीं है ? आया कि हम इस स्थिति को इतनी एब्सोल्यूट मानते हैं कि किसी भी स्थिति में गवर्नर साहब अभिभाषण देने आवें तो उस समय कोई सदन का सदस्य कोई भी बात बोल नहीं सकता।

मैं समझता हूं कि मेरी यह मान्यता है कि हम हमारा मौजूदा विधान भी, हमारा मौजूदा कानून भी और नियम भी और जिन परम्पराओं को कायम करना चाहिये, वे भी इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं करते। इस प्रकार के सिद्धांत और कानून भी नहीं हैं, इस प्रकार की स्थिति कानूनी भी नहीं है। और न ही यह कोई प्रजातन्त्र का सिद्धांत है। गवर्नर साहब यहां पर आवें तो किसी को किसी तरह की बात बोलनी नहीं चाहिये, यह बात प्रजातन्त्र के सिद्धांत से भी गलत है।

यदि आप इस कारण इस बात से रुष्ट नहीं हैं, पर यह कहते हैं कि अधिकार तो है पर उसका दुरुपयोग किया गया अतिशयोक्ति की गई तो यह दूसरा प्रश्न है। पर बुनियादी-तौर पर तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि बोलने का अधिकार है तो वह पर्चा हमारा हल हो गया और जो हमारी समझ है प्रजातन्त्र की इसके बारे में, उसे आप स्वीकार करेंगे।

(३.०० म.प.)

यदि आप एब्सोल्यूटली इस बात को मंजूर करते हैं कि गवर्नर महोदय आयें और आप कुछ भी नहीं बोल सकते तो मैं कहूंगा कि एक बड़ी विषम परिस्थिति होगी। आप एक हाइपोथिटिकल बात लें। राज्यपाल महोदय आयें और एक मेम्बर नहीं बोल सके और एक एक करके १७६ नहीं बोल सकते, इसका मतलब सारा सदन नहीं बोल सकता और मान लीजिए राज्यपाल महोदय एक किसी ऐसी मुद्रा में जिसको हम और आप पसन्द नहीं करें इस तरह की मुद्रा में आयें, इस तरह के वेश में आयें किन्हीं भी कारणों से—एक हाइपोथेटिकल केस हो तो क्या इस सदन का कोई मेम्बर क्या नहीं कह सकेगा कि आप अपनी धोती संभालिये, क्या कोई यह नहीं कह सकेगा कि आप अपनी टोपी संभालिए, क्या कोई यह नहीं कह सकेगा कि आपके मुंह में बदबू आ रही है ? मतलब यह है कि आप उस स्थिति को एन्वीसेज करिये। आप जो एक एब्सोल्यूट पोजीशन बनाना चाहते हैं, आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वह केवल हमारे ही अधिकारों का सवाल नहीं है, वह सबके अधिकारों का सवाल है और इस रूप से हम यह समझते हैं कि इस प्रकार की स्थिति को न तो आज का मौजूदा कानून मानता है और न आप भी इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार करेंगे।

इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, इस बारे में गवर्नर महोदय को कहने का और बाहर निकालने का अधिकार है या नहीं, किसी सदस्य को और बात कहने का अधिकार है या नहीं, इसको एन्वीसेज कीजिये। कोई मेम्बर यहां पर बेहोश होकर गिर पड़े या गवर्नर महोदय को गुस्सा आये और मुख्य मंत्रीजी को कहें कि बाहर निकल जाइये, कोई प्रोटेस्ट करे या नहीं करे, यह बात अलग है कि हम कहें कि ऐसी बात वे करेंगे या नहीं, लेकिन जब आप कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं तो इस सदन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के ऊपर बंधन डालते हैं इस प्रस्ताव के जरिये तो आप ख्याल कीजिए कि ऐसी परिस्थिति में जो भी इन्टरवीन करे वह अवैधानिक होगी, परम्पराओं के खिलाफ होगी और इस विधान और जनतन्त्र की हत्या की बात उसके बारे में भी कही जायगी। तो यह एक एक्स्ट्रीम एग्जाम्पल देकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने इस विधान को, अपने इस जनतन्त्र को, इसकी इस बनावट को एब्सोल्यूट शक्ल देने की कोशिश नहीं करें।

अध्यक्ष महोदय, निवेदन में यह करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी या जनतंत्र कोई रस्म नहीं है। डेमोक्रेसी यह नहीं है कि गवर्नर लाल पट्टी के ऊपर ठुमक ठुमक करके एक आदमी एक कदम आगे बढ़ाये, दूसरा यों बढ़ाये, क्या यह डेमोक्रेसी है? यह डेमोक्रेसी का सैन्स नहीं है कि सभी लोग चुपचाप खड़े हो जायें। डेमोक्रेसी में सैन्स यह नहीं है कि जिस तरीके से यह सब कुछ हो रहा था उस तरह से हो, यह तो एक फॉर्म की बात है। जो डेमोक्रेसी की लड़ाई है दुनिया में उसके इतिहास में आप जाइए। किस चीज के खिलाफ इस दुनिया के अन्दर जनतन्त्र की लड़ाई शुरु हुई और आज हमारे देश में जो जनतन्त्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं मैं समझता हूं कि इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य भी और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य भी यह नहीं मानते हैं कि हम अन्तिम सीढ़ी पर पहुंच गये। हम कोशिश कर रहे हैं उसका विकास करने की और संघर्ष करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि हमारे देश में रिलीजियस बाइगोटरी, सोशियल रिपल्शन, इकोनोमिक एक्सप्लोइटेशन—ये चीजें हैं जोकि जनतन्त्र को रोकती हैं। रिलीजियस बाइगोटरी के खिलाफ धर्मान्धता के खिलाफ, समाज के रिपल्शन के खिलाफ...

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): यह तो सैन्स है ठुमक ठुमक कर आयें, वह नहीं आप जो बोलें वह भी नहीं बोलें। आप बोल रहे हैं तो खड़े होकर नहीं बोलें और जब बोलने वाले गवर्नर महोदय थे तो आप ठुमक ठुमक कर क्या बोल रहे थे?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): वे आपकी इस खराबी को चेलेन्ज कर नहीं रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: बोलना तो उनको था और बोलने लग गए आप।

श्री मानिकचन्द सुराणा: आप जो बीच में बोल गए, यह भी डेमोक्रेसी है। हम समझा रहे हैं, यह भी डेमोक्रेसी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम बिल्कुल उनके उस वैधानिक अधिकार से उनको बोलने नहीं दें तब तो कोई बात थी। लकिन इस प्रकार का न तो वह व्यवहार था, न उस समय उस बात की जरूरत ही थी और मेरे दूसरे साथियों ने बात बताई थी कि हमारा निर्णय क्या था? अपनी बात को दो मिनट कह कर वॉक आउट करने का हमारा इरादा था। वे अपनी स्पीच नहीं देते, इस प्रकार की रुकावट पदा करने की कोशिश नहीं थी और न किसी ने ऐसा किया ही था; लेकिन उसके बाद में गैर कानूनी तरीके से, जिसकी हमारी मान्यता है, जिसका मोशन हमने आपके सामने दिया है अगर वे समझते हैं कि गलत है तो उनको यह अधिकार नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

था जो कि आपको अधिकार था, अध्यक्ष को अधिकार था और मैं समझता हूं कि हमने उस गैर कानूनी ऑर्डर को, अनधिकृत ऑर्डर को चाहे वह राज्यपाल महोदय का ही क्यों न हो मानने से इन्कार करके जनतन्त्र की रक्षा की है और हमने इस सदन के अधिकारों की रक्षा की है और उसके मुताबिक जो सदन को हक है, सदन बड़ा है, राज्यपाल महोदय से बड़ा है सुप्रीम है, सोवरिन है उसकी रक्षा की है और इसी पुनीत कर्तव्य से हमने उस आर्डर को नहीं माना और उससे जो भी नतीजे निकलते थे उनको सहन करना हमने पसन्द किया और उसी के बाद उस गैर कानूनी ऑर्डर के बाद ही तमाम घटनाएं अशोभनीय जो भी हुई कि इस सदन के माननीय सदस्यों को उठा उठा कर फेंका गया—हम भी उसको अशोभनीय मानते हैं। इस तरह से इस सदन के माननीय सदस्यों के साथ जिस सदन को यह अधिकार है कि वह अपना कानून पास करे और गवर्नर महोदय के पास दस्तखतों के लिए भेजे, वह चाहें तो उसको कन्सीडर करने के लिए भेजें और फिर भी यह माननीय सदस्य एक एक करके १७६ सदस्य कहें कि नहीं, हमारी राय ठीक है और उसको वापिस भेज दें तो राज्यपाल महोदय उस पर दस्तखत करने से इन्कार नहीं कर सकते।

तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीमेसी इस सदन में निहित है और इस दृष्टिकोण से हमने रेजिस्ट किया उस ऑर्डर का जो कि हमें बाहर निकालने का किया और उसके अन्दर मैं यह समझता हूं कि जहां पहले हमने अपनी बात कही वह किन्हीं कारणों से आप इस बात पर गौर कर सकते हैं वह गैर वाजिब थी या नहीं। इस पर आपको विचार करने का हक है। आपको इस बात पर भी विचार करने का हक है। जिस हद तक वह गैर वाजिब थी उस हद तक इस्तेमाल किया या उससे ज्यादा इस्तेमाल किया। लेकिन आप इसको बुनियादी तौर से यह कहें कि कोई इस तरह की कार्यवाही नहीं कर सकता, मैं यह समझता हूं कि इस तरह के फॉर्म, इस तरह की एब्सोल्यूटिज्म बहुत खराब है, डेमोक्रेसी की स्प्रिट के खिलाफ है। इस तरह की फॉर्म को बनाने की कोशिश नहीं करें। और जो भी माननीय सदस्यों ने जिस बात को कहा उससे भी मनक पड़ती है कि वह इस प्रकार की चीज को और इस फार्म को बना देना चाहते हैं जो कि वास्तविकता को खत्म कर दे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अपने देश में और दुनिया में रिलीजियस बाइगोटरी के खिलाफ, सोशियल रिप्लशन्स के खिलाफ और इकोनोमिक एक्सप्लोइटेशन के खिलाफ संघर्ष करके आम जनता, मैजोरिटी ऑफ दी पीपुल का राज्य हो और मैजोरिटी ऑफ दी पीपुल के द्वारा राज्य हो और उसके लिये राज्य हो, यह डेमोक्रेसी का सेन्स है जिसको बनाने की तरफ हमारी कोशिश होनी चाहिए और वे तीनों तरह के रिलीजियस बाइगोटरी, सोशियल रिप्लशन्स और इकोनोमिक एक्सप्लोइटेशन, जो आदमी आदमी को डिफरेंट पोजीशन में रखते हैं, बराबर का मौका नहीं देते, उस चीज को खत्म करने की है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जब जब भी रिलीजियस बाइगोटरी के खिलाफ संघर्ष करके लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग की, रिलीजियस बाइगोटरी वालों ने कहा, धर्म पण्डितों ने कहा कि अछूतों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, अछूतों को मन्दिर में नहीं जाना चाहिए, इस रिलीजियस बाइगोटरी के खिलाफ आवाजें उठी हैं, हमारे देश में भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गांधीजी ने आवाज उठाई है, दूसरे देशों में भी आवाजें उठाई गई हैं, लूथर ने आवाज उठाई, पोप के खिलाफ आवाज उठाई गई। इस तरीके से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वामी दयानन्द ने आवाज उठाई, लेकिन रिलीजियस बाइगोट्रीस ने कहा कि यह धर्म के खिलाफ है। उन्होंने यही बात बताने की कोशिश की कि धर्म खतरे में है; यह मन्दिर को कह रहे हैं या मूर्ति को कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है और उन्होंने धर्म के जो आइडियाज हैं, समाज के जो अच्छे आइडियल्स हैं, जो इंसानियत के उसूल हैं उनको धर्म नहीं मान कर उन्होंने धर्म के मायने चोटी, धर्म के मायने दाढ़ी, धर्म के मायने तुर्की टोपी माना। इसका नाम हिन्दू, इसका नाम मुसलमान, इसका नाम सिक्ख रखने की उन्होंने कोशिश की। यह कहा कि मस्जिद के आगे बाजा बज गया तो धर्म खतरे में पड़ गया, मन्दिर में अगर हरिजन चला गया तो धर्म खतरे में पड़ गया। इस सड़क या उस सड़क से निकल गये तो धर्म खतरे में पड़ गया। और जितने भी इस रिलीजियस बाइगोटरी के खिलाफ लड़े, स्वामी दयानन्द लड़े, महात्मा गांधी लड़े और वे पुराने डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के, डेमोक्रेटिक कन्सेप्शन के खिलाफ, धर्म के खिलाफ उन्होंने जो कार्य होते थे उसके खिलाफ आवाज उठाई और आगे बढ़ते गए। लेकिन क्या हुआ है? आज भी इनको वे मानने को तैयार नहीं हैं। कई जगह वह आवाज आज भी उठाई जा रही है, वह लड़ाई आज भी चल रही है। आज भी कानून होने के बावजूद छूआछूत है, आज भी अछूत हैं, जिनको छूओ मत।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो समाज के श्रीमान् लोग हैं जिनको सब कुछ मिला हुआ है आज भी वे जितने अच्छे हैं चाहे वे रिलीजियस में हों चाहे सोशल व इकोनोमिक फील्ड में हों, वे उसकी असलियत को छिपाने के लिए, उसके ऊपर फॉर्म का आडम्बर करके, रस्मो रिवाज का तम्बू डालते हैं। अध्यक्ष महोदय, जनता को यह बहकाने की कोशिश करते हैं कि यह डेमोक्रेसी है और यह डेमोक्रेसी का तम्बू है, यह चोटी धर्म है, यह दाढ़ी धर्म है, यह सोशियल और इकोनोमिक डिसक्रिमिनेशन ही धर्म है। वे उस असलियत के नज़दीक नहीं आना चाहते, वे इस सारे शोर शराबे और भारी भरकम प्रचार के अन्दर उसकी असलियत को ढकने की कोशिश करते हैं। जिस किसी ने उस तम्बू को टच करने की कोशिश की, शोर मचा दिया और इस तरीके से धर्म का नाश हो गया, धर्म के विधान का खात्मा हो गया और इस तरह से नारा लगा कर लोगों को बेवकूफ करने की कोशिश करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये कि जिस तरीके से रिलीजियस बाइगोटरीज ने रिलीजियन को बनाने की कोशिश की उसी तरह से इस डेमोक्रेसी को करना चाहते हैं। उन रिलीजियस बाइगोटरीज ने, उन पाखण्डियों ने जो पाखण्ड खड़ा कर दिया और उस पाखण्ड का ढोंग धर्म के नाम पर, मन्दिर के नाम पर रखा गया और उसके अन्दर जिस प्रकार के व्यभिचार हुए, भ्रष्टाचार हुए, उसी तरीके से इस डेमोक्रेसी के पवित्र मन्दिर में यह तम्बू खड़ा करके उस तम्बू के नीचे भ्रष्टाचार, उस तम्बू के नीचे व्यभिचार और अत्याचारों को ढकने की कोशिश मत करो। यदि आप मुझ पर यह आरोप लगायें कि मैंने उस तम्बू को टच किया और उसके अन्दर हो रहे पापों को बाहर दिखला दिया है तो मैं आपके इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इल्जाम को कुबूल करता हूं। हमने उस डेमोक्रेसी के फॉर्म को दिखाया है ३५ करोड़ जनता को। हमने पैंतीस करोड़ जनता को यह बताने की कोशिश की है कि आप जो यह कहते हैं कि हमने आपको समान अधिकार दे दिया है तो आप जरा ठण्डे दिमाग से इस बात को सोचिए। यही बात तो यहां है कि हमने जो बड़े से बड़े गुनाह, जिसको आप गुनाह मानते हैं तो वह गुनाह भी हमने यही किया कि गवर्नर साहब की मौजूदगी में दो मिनट, पांच मिनट अपनी कुछ बातें कहीं। आप गौर कीजिए, उस आम जनता को जिसको आप इक्वल राइट देना चाहते हैं, जिसको इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन से बचाना चाहते हैं जो कि एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, अगर यही रिलीजियस बाइगोटरी से बचाना है, यही असर है डेमोक्रेसी का तो आप अपने दिल पर ठण्डे दिमाग से सोचिए कि इसमें कौन से हित को ठेस पहुंची है? इस बात को आप सोचिए कि हमारे दो मिनट बोलने से, पांच मिनट बोलने से किसको धक्का पहुंच गया है जिस पर आज आप तीन दिन से इस माननीय सदन में हम विचार कर रहे हैं और ऐसे गंभीर प्रश्न जिसमें आम जनता के विचारों पर, इस प्रकार के हितों पर धक्का पहुंचा है, उनको चाहे वह गुड का काण्ड हुआ और चाहे वह किसी अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार का सवाल पैदा हुआ और चाहे वह इस प्रकार का सवाल हो जिसमें कि किसी के साथ इस तरह का अन्याय किया गया हो, किसानों का यह हक था वह नहीं दिया गया, क्या हमने कभी इतना टाइम ऐसे प्रश्नों पर दिया है? कहीं पर भारी भ्रष्टाचार के प्रश्न हैं जिनका समाज पर इतना भारी असर होता है, उस पर क्या हमने इतना समय दिया तीन दिन का? इसका सीधा मतलब क्या है, अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से वे पुराने धर्म के पण्डित, असलियत धर्म की मूर्ति को बचा कर, असलियत धर्म की मन्दिर की रक्षा के नाम पर, असलियत धर्म की चोटी के नाम पर मानते थे, इन पर कभी कोई सवाल पैदा हो जाय तो समाज के अन्दर एक भारी तूफान खड़ा कर देते हैं और भले ही उनके मन्दिरों के अन्दर महिलाओं के साथ अन्याय किया जाता हो, उन मन्दिरों के अन्दर हर तरह के कुकर्म हों और उन कुकर्म की कोई बात कही गई, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाई गई तो कहा गया कि धर्म के खिलाफ है। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। इस प्रकार की आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी।

आप इतिहास को उठा कर देखिये कि धर्म ग्रन्थों में, इसी प्रकार के मन्दिर और मठों के अन्दर मठाधीशों के अत्याचार होते रहे हैं, ये बातें मिलेंगी। और वहां बेचारी किसी औरत ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको बागी करार दे दिया गया, काफिर करार दिया गया। मठाधीश लोग चाहें कुछ भी करें, कितने भी अत्याचार और अनाचार करें उनके खिलाफ आवाज उठाने का राइट नहीं था। शूद्र को उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार नहीं था। स्त्री पर अगर कोई मठाधीश उसकी इज्जत पर हमला करे तो वह जायज था, आज क्या उसी धर्म की आप स्थापना करना चाहते हैं? आज क्या आप उसी तरह की डेमोक्रेसी की स्थापना हमारे देश के अन्दर करना चाहते हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं

Page No. 82

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि आप ठण्डे दिमाग से इस बात को सोचें। मैं इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप असली डेमोक्रेसी के जो सिद्धान्त हैं आप उनको बाइपास करके, आप आदमी को छोड़ कर उसकी छाया के लिए लड़ रहे हैं। इस बात के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो अपना जनतंत्र है उसको आगे बढ़ाना हमारे लिए जरूरी है।

जिस बात का आपको बुरा लगा कि राज्यपाल महोदय के सामने हम बोले और राज्यपाल साहब का सदन से निकलने का हुक्म हमने नहीं माना, तो यह जो ३०२ की धारा हमारे पर लगाई गई है, क्या यही डेमोक्रेसी है? आप गौर कीजिए इन बातों पर। मैंने कल जैसे मिसाल दी थी कि यह जो कन्सेप्शन है डेमोक्रेसी का कि किन्हीं आदमी को, किन्हीं आदमी को आप बियोन्ड रिप्रोच बनाना चाहते हैं, क्या आप किन्हीं आदमियों को बियोण्ड क्रिटीसिज्म बनाना चाहते हैं? क्या इसी के लिए आप सब लोग लड़े हैं? क्या इसी के लिए आपने संघर्ष किया है? यहां मैं यह नहीं कहता कि इस समय जो हमारे राज्यपालजी हैं उनके बारे बहुत सी बातें कही गई हैं, बहुत से आक्षेप, बहुत से आरोप लगाए गए हैं, इस बात के कि पक्ष-पात किया है, इस बात के कि भाई-भतीजावाद चलाया गया है, इस बात के कि अपना इन्फ्लूएन्स डाल कर काम करवाए हैं, इस तरीके के आरोप उन पर लगाए गए हैं; लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप और भी एब्सोल्यूट जैसे राइट्स बनाते हैं, एन्विसज कीजिए कि कोई खराब गवर्नर आ जाय वह किसी से मिल जाय, पाकिस्तान से बार हुई, और कोई लीकेज कर दे, सीक्रेट्स भेज दे तो क्या आप अपने ऊपर और सदन के माननीय सदस्यों पर यह ताला लगाना चाहते हैं कि यह सदन फिर भी नहीं बोले? वे इस सदन में आवें और लोग उनकी बात को इसी तरीके से सुनें। एब्सोल्यूट जिस तरह से आप कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यदि इंगलैण्ड के लोग इज्जत करते रहे बादशाह की, अब भी करते हैं, लेकिन बादशाह ने यदि गड़बड़ी की तो लोग उसके खिलाफ उठे, जोरों से उठे, खिलाफत में उठे और उसको फांसी दी। इसलिए एब्सोल्यूट राइट डेमोक्रेसी का यह है, इसके बिना डेमोक्रेसी कायम नहीं रह सकती। यह हमारे कान्शस को प्रिक करता है, इन्सान को बुरा न बनाया जाय। इन्सान, इन्सान है, गलती कर सकता है। किसी को किसी पद पर बैठाते हैं तो वह गलती भी कर सकता है, इस रूप में मानो। हमारी यह मान्यता है कि यदि ईश्वर है और यदि वह जमीन पर उतर कर आता है और हमको एड्रेस करता है तो मैं उससे पूछूंगा कि वह मेहनत करने वालों को भूखों क्यों मारता है, और जो मेहनत नहीं करते हैं वे मौज क्यों उड़ाते हैं? मेहनत करने वालों के प्रति ईश्वर का यह गैर-इन्साफ क्यों है? मेरे ऊपर निकालने का हुक्म निकाल सकते हैं, लेकिन यदि मैं सच्चा डेमोक्रेट हूं तो ईश्वर ही क्यों न हो वह मेरे सामने आयेगा तो मैं उससे जरूर कहूंगा, चाहे आपके प्रस्ताव की तरह मुझे यमलोक पहुंचाने का प्रस्ताव पास करें तो भी मुझे चिन्ता नहीं।

इस तरह की भावना से प्रेरित हो कर हमने उस समय कुछ बातें कहने की कोशिश की थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हम कहना क्या चाहते थे, मैं इसको रिपीट नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करना चाहता । कुछ ऑर्डिनेन्सेज की बात थी जिसके जरिये टैक्स लगाये । कुछ ऐसे थे जिनसे प्रजातन्त्र की हत्या होती थी । कुछ इंस्टीट्यूशन की बात थी जिसको हम बहुत भारी इज्जत से देखते आये हें । गवर्नर महोदय पर हमारे कॉन्स्टीट्यूशन की तहत कुछ जिम्मेदारियां हैं । मसलन हम इस सदन से बिल पास करके भेजते हैं उसको दुबारा रेफ-रेन्स के लिये वे हमारे पास भेज सकते हैं, यह सदन पास कर दे तब भी भेज सकते हैं; तो फिर क्या उनकी जिम्मेदारी नही हो सकती थी कि सदन की गैर मौजूदगी में मिनिस्ट्री किसी बिल को उनके पास भेजे तो उस पर वे विचार करें ? . ऐसा बिल उनके पास भेजा गया जो इस सदन द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, वापिस किया था क्या उसके बारे में उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वे उसको वापिस भेजते और सदन की मान-हानि नहीं होने देते ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पशु-कर के बारे में ऑर्डिनेन्स जारी किया । हमारे अलवर जिले में बुनियादी लड़ाई इसी बात को लेकर प्रजामण्डल ने उठाई थी। राजा कहता था कि बाहर से पशु लाओगे तो कर लगेगा और बाहर ले जाओगे तो भी कर लगेगा, देना पड़ेगा । हमारे इलाके से पशु-मवेशी गुड़-गांव और यू.पी. में जाते हैं। जिस समय आपका यह कानून बना उस समय में मेले में मौजूद था, उसी समय आपका कॉमशियल ऑफिसर वहां पर आ गया और उनसे कहने लगा, लाओ ५ पर्सेन्ट । वे लोग कहते थे कि हम तो मवेशी अपने गांव ले जायेंगे लेकिन उसने कहा कि इसका क्या ठिकाना कि तुम फिरोजपुर नहीं ले जाओगे । उसने ५ पर्सेन्ट वसूल करके रसीद काट दी । प्रजामण्डल ने उस समय जो एटिट्यूड लिया था उसको आपने स्वीकार किया था, आपके दल ने स्वीकार किया था । मैं समझता हूं, आपका दल आपकी इस बात को सही नहीं समझता है, आपको फेस करना पड़ेगा दल में ।

जिस जनतन्त्र की बात कही जाती है, अभी हनुमानगढ का केस मेरे सामने आया । हमारे एक साथी गुलाममहोम्मद एडवोकेट म्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर है । उस म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हमारे मुख्य मंत्री जी के जंवाई मुन्नालालजी गोयल हैं, उनके बड़े भाई हैं । वे वहां के चेयरमैन है । उस म्युनिसिपैलिटी में २७-१०-६५ को गुलाम महोम्मद के साथियों सहित ६ लोगों ने चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया । म्युनिसिपैलिटी के १७ मेम्बर थे--८ दूसरी तरफ और ६ दूसरी तरफ । उस समय कलैक्टर वहां पर मौजूद नहीं था तब ए.डी.एम. को कहा कि म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग बुलाओ । ए. डी. एम. ने इन फ्लु-एन्स के कारण मीटिंग बुलाने से इन्कार किया, तब गुलाम मोहम्मद हाई कोर्ट में रिट पेश करने गये । गुलाम मोहम्मद लैफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर है । २७ अक्टूबर को जब चीन की लड़ाई को खत्म हुए ३ साल हो गए थे, पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी खत्म हो गई थी, फिर भी सरकार ने गुलाम मोहम्मद के खिलाफ डी. आई. आर. का केस बनाया और उसको एरेस्ट करने के लिये ए. डी. एम. को कहा । ए. डी. एम. को डी. आई. आर. में किसी को एरेस्ट करने के पॉवर्स नहीं थे इसलिए उसको पॉवर्स डेलीगेट किये गये । जहां तक मुझे सूचना मिली है ६ नवम्बर को

Page No. 84

(श्री गंगानन्द अग्रवाल)

यह अपनी रिट बावत में हाई कोर्ट में मौजूद था, पीछे से उसके खिलाफ वारन्ट जारी होता है और जब वह पीछे आता है उस समय १७ तारीख को गिरफ्तार हो जाता है। आज भी वह डी. आई. आर. में जेल में बन्द है।

मैं जानता हूं कि आपके साथ भी इस तरह से कभी कार्यवाही हुई है। मैं यह भी जानता हूं कि आपको भी इस तरह का रिप्रेशन सहन करना पड़ा है। हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात देखें। जब वहां की हुकूमत ने डेमोक्रेसी की इज्जत नहीं रखी और पुरानी मुस्लिम लीग ने अपने आपको पॉवर में रखने के लिये लोगों को गिरफ्तार किया तो वहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप कायम हुई और आज वहां की जो हालत है उससे आप सब वाकिफ हैं। इन तमाम बातों के होते हुए भी आपको एडवान्टेज है क्योंकि आप पॉवर में हैं और एग्जीक्यूटिव आपके हाथ में है। आप जो काम करते हैं वह फाइल पर करते हैं। पत्रकारों को उसका पता नहीं लगता, उसकी पब्लिसिटी नहीं होती, चुप चाप कर सकते हैं। आदमी के गले में फन्दा डाल कर उसकी जिन्दगी खत्म कर सकते हैं जो भी पॉवर में होगा उसको अधिकार ऐसा करने का होगा। लेकिन हमें इस बात को कहने का अधिकार है। आप समझिये कि इस तरह का कोई कार्य हो या नहीं और कोई हाईपोथेटिकल मसला हो उसको कहने नहीं दिया जाय, कहने से रोका जाय, तो उसका कितना रिएक्शन होगा। कितना रिवोल्ट होगा यह सोचें ?

कुछ भाइयों ने, इस तरफ के भाइयों ने कहा कि हम आपके सेन्टीमेन्ट्स से सहमत हैं, बात गंभीर है, ऐसा होना जरूर चाहिये लेकिन वह मौका नहीं था। आप बजट के समय या गवर्नर के एड्रेस पर बहस के समय कह सकते थे। इस तरह से कहने का कई बार मौका आया है। चार साल से हम कहते आये हैं। जब दवाई कारगर नहीं होती तो तेज इन्जैक्शन लगाना पड़ता है। जब कोई बहरा होता है तो उसके कान में कहना पड़ता है और हम जानते हैं कि इस सरकार के सबसे नजदीक कान गवर्नर हैं। जब सरकार सुनने से इन्कार करे, मनमानी करे तब हमको गवर्नर को कहना पड़ता है, उनसे मिलने का मौका मिले तभी कहना पड़ता है।

जो यह कहें, यह मौका आपने क्यों चूक किया; आप यह कहें, यह मौका आपने क्यों चूक किया, आप उनको पहले लिख लेते। हमने उस कार्यवाही को भी किया और उनको लिखा भी, रिमाइन्डर भी भेजा लेकिन वह अगर कान भी बहरा होने की कोशिश करें तो क्या हम लोग, जो आजादी के लिए लड़े, निराश होकर बैठ जायं—कुछ नहीं हो सकता, यह तो ऐसा ही चलेगा, इस हिन्दुस्तान का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। इस सिनिसिज्म के साथ बैठ जायं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हम इस फिलॉसफी को नहीं मानने वाले हैं। हमें जनता के अन्दर विश्वास है, जनता की निर्माण शक्ति पर विश्वास है। जनता की रिवोल्यूशनरी स्प्रिट पर विश्वास है; यदि आप इजाजत नहीं देंगे, आपके गवर्नर इजाजत नहीं देंगे और अगर विधान भी किसी आक्रमण के खिलाफ लड़ने की इजाजत नहीं देंगे तो हम उस विधान को पलटने के लिए संघर्ष करेंगे। हमें डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए इस आखिरी रूप तक सोचना पड़ेगा। इसके विपरीत आपकी मान्यता हो सकती है। हमारी मान्यता वह नहीं। हम

Page No. 85

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कोशिश करते हैं। कोशिश करनी चाहिए। लड़ाई जारी है। आप भी कहते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था–इकोनॉमिक एक्स्प्लॉइटेशन खत्म नहीं हुआ है, कहा है और जब तक इकोनॉमिक एक्स्प्लॉइटेशन खत्म नहीं होता ट्रू डेमोक्रेसी कायम नहीं हो सकती, सही डेमोक्रेसी नहीं है और इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। हम और आप संघर्ष कर रहे हैं उस पूरी डेमोक्रेसी को लाने के लिए। हम सफर में हैं। हमको उन पंडितों की तरह रास्ते के तम्बू पर रोकने की कोशिश न करें। आइये, हम और तुम हमराही बन कर, साथी बन कर जो रुकावटें हैं हमारे रास्ते में–इकोनॉमिक एक्स्प्लॉइटेशन, सोश्यल रिपल्शन और रिलीजियस बाइगोट्री की, आइये, हम कन्धे से कन्धा मिला कर इन तीनों के खिलाफ लड़ें। इस फॉर्म की अगर बीच में बाधा होती है तो हम और आप तय कर सकते हैं। इन फार्म्स को बदलें। यह गाड़ी नहीं चलती है तो इसे चलाना पड़ेगा। हमें अपने सेन्टीमेन्ट्स को बताना चाहिए। इस फॉर्म की जरूरत है। यह हृदय गवारा नहीं करता है। इसका जो स्वरूप हो वह यह कि जनता बड़ी होनी चाहिए। आप ख्याल करते हैं कि राज्य का प्रतीक ऐसा होना चाहिए जो जनता से अलग हो, जनता से ऊपर, जनता जिनको बिल्कुल अलग चीज मान सके उसे–वह तब राज्य का हैड है। यह ईश्वर का कन्सेप्शन है। वापिस उस कन्सेप्शन को, किंग के कन्सेप्शन को आप रिवाइज करना चाहते हैं। हमारा कन्सेप्शन है, हैड ऑफ दी स्टेट तो वह हो जो लोगों से हाथ मिलाये, साथ बैठ कर चाय पीये, गले मिले, उनके बीच में रहे और जनता यह समझे कि यह हमारा है, हममें से है, हमारे हित के लिए काम करता है, अपनापन जिसमें वह महसूस करे। इसलिए वह जो कन्सेप्शन है, मैं मुखाड़ियाजी से निवेदन करना चाहता हूं, वह डेमोक्रेसी का कन्सेप्शन नहीं है, वह फ्यूडेलिज्म का कन्सेप्शन है, फ्यूडेलिज्म तो काफी पीछे ले जाने वाला है। आप वास्तव में फुलनेस ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहते हैं तो उस कन्सेप्शन को आपको खत्म करना पड़ेगा। इसलिए हमारे ही इस विधान मण्डल में नहीं, आज देश के दूसरी विधान मण्डलों में इस प्रकार के प्रश्न पैदा हो रहे हैं। इन फॉर्म के प्रश्नों को बुनियादी डेमोक्रेसी के प्रश्न मत बनाने की कोशिश करें। इसलिए, आइये, बातचीत से तय करें–आखिर कौनसी फॉर्म लें जो सुविधाजनक हो, जिससे काम भी हो और ठीक भी हो। अध्यक्ष महोदय, हमारा जब यह विधान बना, हमारी पार्टी ने यह कहा था। यह जरूरत नहीं एनॅक्रोनिज्म की, इस गवर्नर की, इस पोस्ट की आवश्यकता नहीं है—और इस अट्ठारह वर्ष के अनुभव ने इस बात को और भी सही कर दिया है। आखिर क्या काम करता है? आप यह देखिये, उसी बात पर, जो आप कहते हैं, यदि उसी पर कलम लिखनी है तो और क्या विशेष काम करता है वह? गम्भीरता से हमें यह सोचने की जरूरत है कि इस गवर्नरशिप के इस ऑफिस को हम कायम रखें या नहीं रखें। मैं समझता हूं, इस बात में आप डॉगमेटिक नहीं हों, कन्जर्वेटिव नहीं हों। आपने राजप्रमुख का पद खत्म किया। आपकी समझ में आगया जब, जनता ने आन्दोलन किया जब; तो आपने उस बात को मंजूर कर लिया और राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया। इसी तरीके से इस तरह की बात, मैं समझता हूं, जो राजस्थान विधान सभा से · · · ·

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसने इस प्रश्न को भी हिन्दुस्तान के पैमाने पर पोज़ कर दिया कि गवर्नर को रखा जाय या न रखा जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : किताब पड़ी है आपकी। किताब को पढ़ दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं थोड़े से समय में लीगल आस्पेक्ट पर बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने सवेरे रूलिंग दी, आप इस प्रस्ताव पर हमारा मत लेना चाहेंगे। जो आज बुनियादी प्रश्न माननीय प्रस्तावक ने रखा था, उसमें यह था कि यह सैशन शुरू नहीं हुआ, कामेन्समेन्ट नहीं हुआ, बैठक नहीं हुई। यह प्रश्न एक कॉन्स्टीट्यूशनल प्रश्न है, इसमें कई कॉन्स्टीट्यूशनल प्रश्न इन्वॉल्वड हैं—आया कि गवर्नर साहब के एड्रेस के हेतु जब वह बैठक थी तो वह इस सदन की बैठक थी या नहीं थी? इस हाउस के पजेशन में कौन था-स्पीकर था या गवर्नर साहब थे? इस हाउस को एड्रेस करने के बाद उसको कंट्रोल करने का अधिकार किसका था—गवर्नर साहब को था या अध्यक्ष साहब को था? ये तमाम प्रश्न संवैधानिक प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर मेरे ख्याल से वोट से सवाल तय नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन करना है, कई रूलिंग्ज, उड़ीसा हाई कोर्ट की रूलिंग्स मेरे साथियों ने कोट की थीं—मैं उनके पढ़ने में समय नहीं लेना चाहता। अध्यक्ष महोदय, उसको देखेंगे जिसमें साफ तौर से कहा है, जैसे ही गवर्नर अपनी बात शुरू करते हैं वह सैशन शुरू हो जाता है और वह सारे सैशन का हिस्सा है। अगर यह बात डिक्लेयर हो गई, यह बात मान ली गई तो फिर मेरा बोलना, अध्यक्ष महोदय, के सामने वह अधिकार हो जाता है और गवर्नर साहब का हमें निकालना अनधिकृत हो जाता है और यह तमाम की तमाम कार्यवाही, जो इस प्रस्ताव के जरिये करना चाहते हैं, खत्म हो जाती है। बल्कि उल्टे जो हमारा प्रस्ताव गवर्नर साहब के खिलाफ मानहानि का, सदन के खिलाफ सदन की मानहानि करने का है वह वेलिड हो जाता है। इसलिए उसमें पहले आपकी रूलिंग की जरूरत है। आप इस पर कोई एक्सपर्ट ओपीनियन लेना चाहें, एटोर्नी जनरल को रेफर करना चाहें, सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना चाहें—यह आपका अधिकार है और उसको आप किसी तरह इस्तेमाल करें। यह आपके देखने की बात है। लेकिन अन्त में मैं यह बात और जरूर निवेदन करूंगा कि हमारे इस हिन्दुस्तान में इन सदनों की, उनके अध्यक्षों की बड़ी परम्परायें रही हैं और हमारे स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल ने भारी परम्परायें इस हिन्दुस्तान में इन सदनों की कायम की हैं। मैं आपको कोट करना चाहूंगा . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : उन परम्पराओं को आप निभाते नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप सुनें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कोट करना चाहता हूं, वाइसराय ने उस वक्त सिक्योरिटी बिल भेजा असेम्बली में पास होने के लिए, उस पर बहस हो गई, सिलेक्ट कमेटी को बिल भेज दिया गया। उसी दौरान में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चल गया। उसमें कई इश्यूज इन्वॉल्वड थे। जब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हाउस के अन्दर आई तो विट्ठल भाई ने अपनी रूलिंग दे दी कि चूंकि यह केस सबजुडिस है इसलि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट कन्सीडर नहीं की जा सकती। गवर्नमेन्ट के वाइसराय के बीच और स्पीकर के बीच में बहुत पत्र-व्यवहार हुआ। गवर्नमेन्ट ने जिद्द की कि गवर्नमेन्ट का अधिकार है, आप ऐसा नहीं कर सकते। स्पीकर ने कहा, नहीं यह मेरा अधिकार है; क्या डिस्कस होगा, क्या डिस्कस नहीं होगा, क्या स्पीकर का अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है यह मैं तय करूंगा। उन्होंने तय किया। और फिर वाइसराय साहब आये असेम्बली में, वाइसराय साहब ने अपनी स्पीच में कहा स्पीकर को इस तरह का अधिकार नहीं था इस तरह की रूलिंग करने का और वह बिल कन्सीडर करना चाहिये था। उस वक्त स्पीकर महोदय ने वाइसराय को तान कर चिट्ठी लिखी, जो इस तरह के रिमार्क्स किये हैं वे आपके रिमार्क्स अनधिकृत थे, आपको इस तरह के रिमार्क्स नहीं करने चाहिए स्पीकर के प्रति, उसके हाउस में आकर इस प्रकार का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से वे परम्परायें कायम करने के लिये लड़े, लड़े वे उस अधिकार के लिए, उस सदन के अधिकार के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम लड़ हैं इस सदन के अधिकार के लिए, आपके अधिकार के लिए जो आपका अधिकार था, जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जो गवर्नर साहब का अधिकार नहीं था, जो उन्होंने अनधिकृत रूप से किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी हस्ती हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, बिना प्रेजुडिस और फेवर के हम उसके बारे में निर्णय करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा कॉन्स्टीट्यूशन, हमारी लोक सभा को, हमारी राज्य सभा को अधिकार देता है इम्पीचमेंट का, उनको इम्पीचमेंट करके उनको पद से हटाने का अधिकार देता है तो क्या सदन के सदस्यों को गवर्नर के बारे में या उनकी आलोचना करने के बारे में जो कोई सभ्यता की बात हो उनको कहने का अधिकार नहीं है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर वे अधिकार नहीं हैं तो हम समझते हैं कि इस प्रकार के अधिकारों का प्रावधान होना चाहिये। अगर इस प्रकार के अधिकार नहीं है तो सच्ची डेमोक्रेसी लाने के लिये, डेमोक्रेसी की सही वैल्यु है, उसको फलने-फूलने के लिये इस बात की जरुरत हो संघर्ष की और अगर जरुरत हो रूल्स को बदलने की तो उसको भी बदल दिया जावे। अगर कॉन्स्टीट्यूशन को बदलने की जरूरत हो तो उसको भी बदल दिया गया। दुनिया में कोई भी बात हुई, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उन्होंने ओल्ड फोर्सेज को हटाया। जब गेलेलियो ने कहा कि दुनियां गोल है, उस समय लोगों ने उसका विरोध किया और उस बेचारे गरीब को फांसी लगा दी। आज हम और आप सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जमीन गोल है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कदम को हमने उठाया है, सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये, माननीय सदस्यों के अधिकारों को कायम रखने के लिये, इस सदन में अधिकार है इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिये। गवर्नर महोदय में यह पॉवर निहित नहीं है, एसेम्बली में निहित है। हमने इसलिये इस कदम को उठाया है।

अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टीट्यूशन में आर्टिकल्स १५४ है, १८६ है उनका रेफरेन्स

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
दिया है और मैं इसमें बहुत ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहूंगा ।

अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना जो प्रस्ताव लाये हैं, बड़े शौक से पास करिये । मुख्य मंत्री ने अभी की बात कही, अगर कोई गलती हमने की होती या गलत बात होती तो हम लोग बड़े शौक से उसको मंजूर करेंगे, लिख कर मंजूर करेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है । मगर मुझे अफसोस है कि इतनी बातें बता देने के बावजूद भी मंत्रि मंडल के माननीय लोग हैं और दूसरे सदस्य हैं, इस प्रकार की बातें कहते हैं ! हिन्दुस्तान में एक परिस्थिति पैदा हो रही है । डेमोक्रेसी के रिफॉर्म के लिये इतनी बात की जा रही है, वे यह सोचने की कोशिश नहीं करेंगे कि रियल डेमोक्रेसी की वेल्यू क्या है ? डेमोक्रेसी क्या इस प्रकार से बचेगी या रियल वेल्यू को लोगों में पहुंचाने से और उनमें उत्साह पैदा करने पर बचेगी ? यदि इस बात की भावनाएं हम पैदा कर पावें तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के हित में होगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप जनता में ऐसी भावना पैदा कराइये, कौन आपको मना करता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमें इस बात की खुशी है कि एक पर्चा हमारा हल हो गया और आज सदन उस बात पर तीन दिन से विचार कर रहा है । राजस्थान के सारे अखबार इस पर विचार कर रहे हैं, हिन्दुस्तान की सारी जनता विचार कर रही है कि आखिर डेमोक्रेसी वास्तव में क्या है ? क्या इसकी गरिमा गिरती जा रही है ? आप कहते हैं कि फॉर्म के टूटने से होती है, हमारा खयाल है एसेन्स के टूटने से होती है । इसको हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं मगर आप लंबी चोटी, मन्दिर और मूर्ति की बात को लेकर लड़ने की कोशिश करते हैं और 'धर्म खतरे में है' कह कर, लोगों को फंसा कर, चलना चाहते हैं; मगर यह चाल आपकी अब नहीं चलेगी ।

एक बात मैं माननीय सदस्य जो नसीराबाद से आने वाले हैं से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि एक दल है जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करता । मैं उनसे कहता हू कि आपका कन्सेप्शन केवल लंबी चोटी मे है, केवल धर्म और मूर्ति और चोटी में है तो इस तरह की फॉर्मल डेमोक्रेसी में हमारा विश्वास नहीं है । हमारा विश्वास डेमोक्रेसी में है जो जनता में बहुमत के आधार पर जनता के हित में उन्हीं के द्वारा, उनके हित के लिये चलाया जावे ।

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता और निवेदन करता हूं कि दोस्तो ! आप अप तमाम तीर तीरकश से निकाल लीजिये, आप इन तीरों और तीरकशों से ज्वाला रुकेगी नहीं, यह ज्वाला और बढ़ेगी । आप फॉर्म तरीकों से रोकना चाहते हैं, उससे जनता रुकेगी नहीं और आप अपने घर को देखिये आपके घर में बगावत फैलेगी । आप देखें कि आपके लीडर की जो प्रतिष्ठा पहले थी वह अब नहीं है । आज जमाना बदल गया और जमाना बदल कर रहेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और आपको वास्तविकता को देखते चेन्ज करना पड़ेगा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल पीवल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज से दो रोज पहले संशोधन भेजे हैं . . .

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहले भी कई दफे बोलने का अवसर दिया और आज भी मुझे बोलने का मौका मिला है । मैं इस प्रस्ताव पर बोलना अपना ऑनर समझता हूं और अगर हमारे इन सारे कार्यों के कारण राजस्थान के १७ सालों में एक माननीय दृष्टि से नये लैंड मार्क का इवोक हुआ है और उसका असर शुरू हुआ है तो मैं समझता हूं कि हमारा यह एक्ट बहुत बड़ा क्रान्तिकारी एक्ट रहा है । आज चाहे युनिवर्सिटी के स्टुडेन्ट पढ़ते हों चाहे जुडिशियरी के जजेज जजमेन्ट के लिये बैठे हों, चाहे भूतपूर्व एसेम्बली के लोग कुछ भी कहते हों लेकिन इन सीरियस थॉट्स के कारण आज राजस्थान में एक नई चीज पैदा कर दी है, हमारे दोस्तों के सामने जिसका उदाहरण नहीं मिलता । पार्लियामेन्ट में भी इस प्रकार की स्पीचेज होती हैं और ये ऐतिहासिक स्पीचेज होती हैं और उस दिन को हम क्लासिक होम कहते हैं । अब प्रश्न यह है कि उस दिन के पॉवर्स स्पीकर को थे या गवर्नर महोदय को ? मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रस्ताव के बाद हमारे दोस्त सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे और लड्ढा साहब आपको बाद में इस प्रस्ताव को मानने पर अफसोस करना होगा । सुखाड़ियाजी को भी अफसोस होगा ।

हमारे नसीराबाद से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि हम तो बच्चे हैं, मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने अपनी जवानी के ज्यादा दिन आन्दोलन में दिये हों या जेलों में रहे होंगे, इससे वे यह न समझें कि हम कोई उसके साझीदार नहीं बने । आज राजस्थान का इतिहास लिखा जा रहा है मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं, अगर आप सोचते हैं, स्पीकर साहब, सरकार की इस सारी गलत अमली, एन्टी पीपुल पॉलिसीज के खिलाफ जो असंतोष पैदा हो रहा है इस देश में, आज जो हिन्दुस्तान की फिजा है, इन सारी गलत अमलियों को अगर हम चुपचाप सहन करें, अपने घर में बैठ जायं और सब-वर्सिव एक्टीविटीज पनप जायं, अनार्किज्म फैल जाय तो क्या आप सोचते हैं कि हम डेमोक्रेसी को जिंदा रख सकेंगे इस देश में ? जो पार्टी डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिये काम कर रही है, उस पर हमें गर्व है । हम डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना चाहते हैं । जो सोशियल कॉम्युनल रिजिडिटीज हैं हमारे समाज में, अगर आपके गलत एक्शन्स से दूसरे प्रकार के फोर्सेज देश में पनप जाते हैं तो हमारे देश में यह डेमोक्रेसी खत्म हो सकती है, डेमोक्रेटिक स्प्रिट खत्म हो सकती है । अगर आजादी के बाद में हमने सेल्फ एसर्शन और क्षमता इस देश में पैदा की है, तो, डेमोक्रेटिक स्प्रिट पैदा की है तो इस एक्शन से हमें गिला नहीं । मगर यह हमारा राइट है मुझे बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति, मेरे गुरूजी रहे हैं सम्पूर्णानन्द, उनकी विद्वता में मुझे शक नहीं जो कॉन्स्टीट्यूशन के माहिर हों, मासेज में रह कर सेवा की हो, जो चीफ मिनिस्टर रहे वे आयें और चुपचाप गर्दन नीचे कर के यहां बैठ जायं, कोई इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चार-साढे चार साल तक बर्दाश्त किया, अब नहीं कर सकते, ऊपर जा कर एड्रेस नहीं करते, एड्रेस करना पड़ेगा या गवर्नर की पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा ।

Page No. 90

(श्री केदारनाथ)

अध्यक्षजी, आपके इलेक्शन के बाद कॉन्स्टीट्यूशन का कोई आर्टीकल आपके पॉवर्स किसी और को नहीं देता जब तक कि आपने अपनी पॉवर्स सरेण्डर नहीं कर दी हों। जो आपके पावर्स को यूसर्प किया गया है तो यह ग्लेयरिंग केस है डिसऑनर का, डिग्निटी को डिप्लोर करने का नहीं। बुला लें सार्जेन्ट-एट-आर्म्स को और सदस्यों को बाहर निकलवा दें, यह समझ में नहीं आया। मेरे दोस्त ने लीगल आस्पेक्ट्स पेश किये। मैं ब्रिटिश हिस्ट्री की मिसाल सुनाना चाहता हूं। सारी हिस्ट्री में लड़ाई थी, किंग से लड़ाई लड़ना। एक तरफ हैरेडिटरी हेड्स और दूसरी तरफ नोमिनेटेड हेड्स थे और आखिर में हैरेडिटरी हेड्स के सारे पॉवर्स ले लिये। एब्डीकेशन का प्रस्ताव पास करें तो किंग की हिम्मत नहीं कि दस्तखत करें। तो हम कहते हैं कि हमारी बात रखना हमारा राइट है, उस पर अगर राज्यपाल गुस्से में आकर सार्जेन्ट-एट-आर्म्स को बुलाते हैं और हमें सदन से बाहर निकलवाते हैं और आप बंगलोर से भाग गये, यहां से क्यों भाग गये? हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं थे, सामने से निकलते, श्रद्धा ही प्रकट करते। तो विवेक किसने खोया? कस्टम्स किसने तोड़े, नये कस्टम्स पैदा करने के लिये किसने यह कार्य किया? हमें कहते हैं कि कन्वेन्शन्स को रेस्पेक्ट नहीं किया हम कहते हैं कि गवर्नर की पोस्ट में जो बंधा हुआ था उसने कन्वेन्शन्स को रिस्पेक्ट नहीं किया।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपने रूलिंग नहीं दी, अपने पॉवर्स को एक्जीक्यूट नहीं किया तो जेनरेशन, आने वाली जेनरेशन आपके लिए भी कहेगी कि आपने अपने पॉवर्स को एक्जीक्यूट नहीं किया: हमने आपको कस्टोडियन मुकर्रर किया है चाहे किसी ने ज्यादा काम किया हो, चाहे किसी ने कम काम किया है, जो यहां बैठे हैं सबने अपने अपने फर्ज को निभाया है। अब भी वक्त है कि अपने इस मोशन को वापिस ले लें और सारे हिन्दुस्तान के सामने इस प्रकार की मिसाल पैदा करने जा रहे हैं कि हमने कानून को तोड़ा, परम्परा को तोड़ा, हम राजाओं के खिलाफ लड़ते थे। मैं और मेरे स्वर्गीय दोस्त हरदत्तसिंहजी रैस्पोन्सिबल गवर्नमेन्ट बनाने के लिए नेगोशियेशन्स के लिए गये; पहला प्रश्न हमारे सामने रखा गया कि पगड़ी बांध कर जायें, और दूसरी शर्त यह रखी गई कि ५ रुपया भेंट करें। हमारे सामने प्रश्न था कि महाराजा की विम्स को सब्स्क्राइब करें या विल ऑफ दी पीपुल को फुलफिल करें, जिस जनता ने हमें भेजा है। अगर हमारे में ताकत है, बाहर एजिटेशन्स चल रहे हैं, किसान जेलों में हैं। हमारे हक देने होंगे और आखिर तीसरे दिन वे कस्टम्स बदल गये, वे दोनों शर्तें चली गईं। उसी तरह अगर हमारे पीछे कोई ऐसा विवेक, आत्म विश्वास होगा, दरअसल हम डेमोक्रेसी के प्रति वफादार हैं तो ऐसा तूफान पैदा होगा जिसकी कि कोई मिसाल नहीं। इसलिये यह प्रश्न दार्शनिक है, लड्ढाजी, आप सिविल के लायर रहे होंगे पर जो प्रस्ताव पेश किया है जो उसमें भाषा है, अगर ऐसी भाषा उनके खिलाफ होती जो सबवर्सिव एक्टिविटीज में विश्वास करते हैं, जो फासिज्म पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी भाषा पेश करते जिन्होंने डेमोक्रेसी के नाम से हमेशा फायदा उठाया है और एक क्लास पैदा कर दी तो हम आपका स्वागत करते। मगर उन लोगों के खिलाफ जो जनता में रहते हुए

(श्री केदारनाथ)

पोलिटिकल पार्टीज़ में काम करते हुए जिनके दिमाग साफ हैं, उनके लिये ऐसी भाषा पेश की है। अगर कांग्रेस डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती है तो हम उसे सेव करेंगे। हमने शपथ ग्रहण की थी, शायद कुछ लोग सोचते होंगे कि एम० एल० ए० बने, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एम० एल० ए० बना, चुनाव बहुत लड़े। अगर पोलिटिकल लाइन में एम० एल० ए० बन कर अगर अपनी उस आत्मा को, स्टेथस्कोप को बेच दूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। अपोजिशन के फेज को मत बिगाड़ो, जो अपोजिशन का टेम्पर, मोरल है उसको बिगाड़ने का आपको अधिकार नहीं। इस दिशा में अपोजिशन का एक मोरल रहा है, हमारे इस मोरल के बीच में आपका सारा इम्मोरल खत्म हो जाय।

अगर हम और कोई काम करते, राज्यपाल से तनख्वाह लेते, गिफ्ट ले लेते, किसी बाड़ी के चेअरमैन हो जाते, तो आप कहते कि इम्मोरल कर दिया। जब गये हैं तो किसी इश्यू को लेकर गये हैं, राज्यपाल कोई जानकारी नहीं दे सके।

राज्यपाल की एक स्टेटस है, राज्यपाल की स्टेटस एज ए टेम्पल है, एंजल के रूप में स्टेटस रहे तो आने वाली जेनरेशन इसको बर्दाश्त करेगी। मैं अब भी सोचता हूं, अगर, अध्यक्षजी, आप चाहते हैं कि नई सिविलाइजेशन पैदा हो तो आपको याद होगा कि सन् १९३१ में जब रिजोल्यूशन पेश हुआ तो लोगों ने फैसला किया था कि हमें यह फॉर्म चूज करना है आजादी के बाद, तो उस वक्त जो लीडर्स काम करते थे, उनकी कल्पना थी कि सत्ता आएगी तो सामाजिक चेंजेज लाएंगे, इकोनॉमिक चेंजेज लाएंगे, नये थॉट्स पैदा होंगे, लेकिन आज ग्रामों में जाकर देखें, कोई सरपंच ऐसा नहीं मिलेगा जो माइनोरिटी के पंचों को निकालने पर तुला हुआ नहीं हो, कोई ग्राम ऐसा नहीं मिलेगा जो सरपंच को निकालना न चाहता हो...

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह चित्र है आपके जनतंत्र का।

श्री केदारनाथ: क्या आप साबित करते हो कि आपने नये थॉट्स और वैल्यूज पैदा किए हैं। अगर आप करप्ट प्रेक्टिसेज के जरिए, रिसोर्सेज के जरिए, सरकारी मशीनरी का फायदा उठाकर और वहां नफरत फैला कर आते हो तो चाहे आपका नंबर १०५ हो, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल साफ है कि वह कम है, आप ब्रूटल फोर्स के तरीके से बात बनाने वाले हो। आज आप जाकर देखिए, अगर कोई पंच या सरपंच गांव में पटवारी के पास जाता हो, थानेदार के पास एम० एल० ए० जाता हो, तो नौकरशाही में इलेक्टेड पोस्ट्स के लिए नफरत है। आप समझते हैं कि अच्छा काम किया है? अगर कोई प्रमुख कलेक्टर के पास बैठता है तो उसके दिल में घृणा आ जाती है कि वह कौन आ गया। मंत्री का फोन आ जायेगा तो काम हो जायेगा, आप कान में फूंक लगा दो तो काम हो जायेगा। आपका राज और ५-१० सालों के लिए हो सकता है लेकिन जिस बुनियाद पर, जिन वैल्यूज पर अपने आप को आइव कर रहे हो, अपने आपको जिंदा रख रहे हो और रूल कर रहे हो, वह शैकी फाउंडेशन्स हैं वे हिल कर आपको खत्म कर देंगी; दारा दरोगे, सरकारें बदलेंगी लेकिन सारे के सारे फाउण्डेशन्स हम चाहते हैं कि आपकी पुरानी वैल्यूज बदलें, नए थॉट्स आएं,

(श्री केदार नाथ)

लिबरल हों, ह्यूमेनिटेरियम हों। आज किसी वाक ऑफ लाइफ में, किसी डिपार्टमेन्ट में, किसी फॅकल्टी में और किसी सेक्शन में भी वह चीज पैदा नहीं हुई है। हम राजस्थान का विकास देखें। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रीजनल इम्बेलेंस सूखा हुआ है, नौकरशाही देखिए डिक्टेट्स के जरिए चलती है, कोर्ट लाइफ देखो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का पांच-दस व्यक्ति राजस्थान में डिक्टेट करते हैं, तबादले हों या और जनता की शिकायतें हों, कोई सुनवाई नहीं होती है और फिर हमें कहते हैं कि हमारी डिसरप्टिव और सबवर्सिव एक्टिविटीज हैं, आपने राज्यपाल को ऑनर नहीं किया। अगर ऑनर इस बात पर है कि हम अन्याय को सहन करें, एब्जेक्ट सरेंडर करें तो ऐसा ऑनर, मैं समझता हूं कि खतरनाक ऑनर है, ऐसी डिग्निटी को सेव करना बहुत खतरनाक है। मैं समझता हूं कि हमारा एक्शन बड़ा डेमोक्रेटिक है। हमारे फोर्सेज हैं जिन्होंने आपकी डेमोक्रेटिक स्प्रिट, डेमोक्रेटिक लीडरशिप जिन्दा रखी। हम कहते हैं कि चुनाव में कोई हारे या जीते, लेकिन अपने सिद्धांतों को कायम रखने के लिये आपका सस्पेन्शन का प्रस्ताव हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं लाएगा।

श्री दयाराम (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, शासक दल अपनी जिद्द पर अड़ा हुआ है, उसके लिए उसको कोई रोक नहीं सकता। अल्पमत की आवाज को कुचला जायगा, ये सब जानते हैं। कुछ मिनटों का खेल है। हमने जो कुछ किया, बिल्कुल सही किया, सोच समझ कर किया और हमने प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए किया। शासक दल १८ वर्षों तक सोता रहा, उसके बाद २६ तारीख की घटना के बाद अज्ञान पैदा हुआ। अगर यह पहले ही पैदा हो जाता तो अच्छा रहता। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे साथी इन लोगों की मेहरबानी से नहीं आए हैं, हमें तो जनता ने चुनकर भेजा है, इसलिए मेरा निवेदन है हालांकि असर होने वाला नहीं है, कि यह जो कुछ किया जा रहा है हमारा नाजायज रूप से गला घोटा जा रहा है, लेकिन सत्य की आवाज को आप दबा नहीं सकते।

श्री जयकृष्ण शर्मा (बानायाजी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने है वह बहुत अहम है। हमारे बहुत से साथी जो इस प्रस्ताव के विरुद्ध बोले हैं उनका एक ही मत है कि इस देश के अन्दर जनतंत्र मजबूत बनाना चाहते हैं। मुझे इस बात को सुनकर बड़ी दया आई कि वह किस प्रकार से जनतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं? यह बात समझ में कुछ कम आती है, क्योंकि उन्होंने यह दिखाया है कि हम किस प्रकार से इस देश के अन्दर जनतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। आपने देखा, तमाम सदन ने देखा, राजस्थान के बच्चे-बच्चे ने देखा, सबने देखा कि २६ तारीख को राजस्थान की विधान सभा के अन्दर, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, एस. एस. पी. के सदस्य, समाजवादी पार्टी के सदस्य जो कि अपने आप को देश के अन्दर एक प्रोग्रेसिव फोर्सेज कहते हैं, देश में डेमोक्रेसी के नाम से अपनी पार्टी को देश के सामने लाना चाहते हैं, उन्होंने देश के अन्दर उस बात को किया है, जिससे प्रजातन्त्र को कितना आघात पहुंचा है। भाई रामानन्द ने कहा कि मन्दिरों और मठाधीशों की बातों से प्रजातन्त्र की रक्षा नहीं हो सकती, उसकी आड़ में प्रजातन्त्र की रक्षा नहीं हो सकती। उनकी जो आवाज है वह सही माने में सच है।

Page No. 93

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

किस प्रकार से सच है कि वे प्रजातन्त्र को नहीं चाहते, किस प्रकार से देश में अराजकता हो, देश की हुकूमत किस प्रकार से खत्म हो और उनका इरादा, उनका मन्सूबा पूरा हो। इसलिए उनकी नीयत के अन्दर में शक नहीं करता, उनकी नीयत साफ है, उनकी पार्टी की नीयत साफ है और उनके इरादे साफ हैं, यह कोई नई बात नही है।

एक छोटी सी बात सदन क सामने रखना चाहता हूं। पूरे अलवर शहर को वाटर वर्क्स से पानी देने का सवाल था। केवल दस बीघा जमीन उस वाटर वर्क्स के लिये ली जा रही थी। किसानों के नाम से जब कि उस वाटर वर्क्स से किसान को भी पानी मिलता है, हरिजन को भी पानी मिलता है और सबको पानी मिलता है, आपने भूख हड़ताल कर दी और आमरण अनशन करने का फैसला कर दिया जब कि उनको बहुत ड़ा मुआवजा राज्य सरकार ने दिया था। उनके लिये कोई नयी बात नहीं। प्रजातन्त्र की रखवाली इस प्रकार रखना चाहते हैं,। न्हें प्रजातन्त्र के प्रति कोई सहानुभूति हो, नके एक्शन से नजर नहीं आती। परन्तु भाई रामकिशन और दूसरे लोगों ने जो शलिस्ट फोर्सेज में हैं, देश में प्रजातन्त्र को ायम रखने के लिये जो एक सिद्धान्त रखते और जिनकी पार्टी का सिद्धान्त है उनके पर अफसोस होता है। रामकिशनजी र अफसोस हो या न हो क्योंकि उनके प्रमुख, पद जा रहा था। दूसरों पर नाराजगी सकती है। दूसरों को देख कर यह हुआ न्तु वे कहते हैं इस बात को कि करते खिर क्या? इतने ऑर्डिनेन्सेज निकले, के विरोध में हमें यही करना था और हमें इस प्रकार से राज्यपाल को दिखाना था। आपने राज्यपाल को भी दिखाया। आपने खड़े होकर प्रोटेस्ट किया। आपको किसने कहा था? आपमें शिष्टाचार है, सद्बुद्धि भी आप मानते हैं, आपकी बुद्धिमता को सब दाद देते हैं। राज्यपाल ने निकाल दिया तो सिपाहियों को धक्का देकर हाउस में आना और नारे लगाना "सम्पूर्णानन्द मुर्दाबाद", "सम्पूर्णानन्द वापिस जाओ"। सम्पूर्णानन्द आपके यहां कोई दावत खाने आये थे? सम्पूर्णानन्द मेरे यहां कोई दावत खाने आये थ? हाउस में किस लिये आये थे? संविधान का जो यह ऑब्लीगेटरी प्रोविजन है कि वे हाउस में आवेंगे और संदेश देंगे, 'सम्पूर्णानन्द वापिस जाओ', यह कह कर आपने संविधान की तोहीन की है। यह तो संविधान की तोहीन है और हाउस के सोचने की बात है। आपको निकालने की बात यह बहुत छोटी बात है। यह संविधान की बहुत बड़ी बे-इज्जती हुई है। आपने संविधान की बेइज्जती की, उसको नीचा दिखाया। लोगों ने आपको पॉवर दी। आपने और हमने मिल कर गवर्नर को दी। गवर्नमेन्ट को पॉवर डेलीगेट की और आपने उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। कोई बलात्कार करता हो, उस प्रकार आपने संविधान के साथ बलात्कार किया, संविधान के पॉवर्स की तोहीन की। आप अपने भाषणों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि आपने जो एक्शन लिया, वह सही लिया। मैं कहता हूं, इससे खराब प्रजातन्त्र के लिये और कोई नहीं हो सकता। प्रजातन्त्र कायम है और वह मजबूत होगा तो आपको भी कहने का हक होगा। आखिर किसने हक दिया है आपको? संविधान ने दिया।

Page No. 94

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

एक भाई कहते हैं, तीन दिन इस पर बहस करवायी। बहुत बड़ी खुशी है आपको। इसके लिये आपको मुबारिकबाद है। आपको देश की और प्रान्त की समस्याओं पर विचार करने के लिये मौका नहीं मिलता, लेकिन इस पर विचार करने के लिये तीन दिन मिल गये। समस्याओं पर विचार तब ही करेंगे जब प्रजातन्त्र कायम रहेगा। वह कायम नहीं रहेगा तो कैसे विचार करेंगे? इसी पर मैं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जो भी एक्शन उस रोज हाउस में हुआ उस रोज संविधान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया, संविधान की बहुत बड़ी तोहीन की गयी और राजनैतिक प्रसिद्धि, मशहूरियत पाने के लिये कुछ लोगों द्वारा नीचे के हथकन्डे प्रयोग में लाये गये।

इस संविधान में क्या है? बहुत से लोगों ने कहा कि गवर्नर को अधिकार नहीं था। सदन के सब माननीय सदस्य समझते हैं कि गवर्नर को सब अधिकार प्राप्त हैं। क्या अधिकार थे और क्या अधिकार नहीं थे, यह प्रश्न उठाया। यह मामला नहीं है। यह प्रिप्लान्ड था, पहले सोच लिया गया था और अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कहना चाहता हूँ कि इन फोर्सेज ने यह काम इसलिये किया कि राजस्थान की जनता में इन फोर्सेज का असर कम होता जा रहा है। ६७ के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए यह आखिरी सेशन है इसलिये यह किया। लेकिन सोश्यलिस्टों ने कम्युनिस्टों की कोतवाली में रामानन्दजी को कोतवाल बना कर यह एक्शन किया जिसका प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है, प्रजातन्त्र में आस्था नहीं है, जो यह कहते हैं कि कौनसी ऐसी प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं उनके अलावा, रिएक्शनरी फोर्सेज का वे जिक्र करते हैं हाउस में, मजदूरों के वे ही रक्षक हैं और उनको रिप्रेजेन्ट करते हैं लेकिन चुनाव के समय सब से वे गठबन्धन कर सकते हैं, चाहे वे रिएक्शनरी फोर्सेज हों। राजाओं से, जनसंघियों से और ऐसे सब लोगों से वे गठबन्धन करके इस असेम्बली में आना चाहते हैं। लेकिन वे इस बात को कतई पसन्द नहीं करते कि प्रजातन्त्र की जड़ें, नींव उसकी मजबूत बने।

देश में परम्परा डालना चाहते हैं। परम्परा अच्छी डाली, जो आपके सामने है। तीन में देखा, उनके भाषणों में कि गवर्नर ने यह किया वह किया। यह सब बजट भाषण और धन्यवाद के प्रस्ताव पर पहले भी बोलते रहे हैं। हाउस में किसी ऑर्डिनेन्स को लेकर वाक आउट करते देखा है बजट के समय भी देखा लेकिन गवर्नर इस हाउस में आयें, जो स्टेट के हेड हैं कॉन्स्टीट्यूशन के तहत हेड हैं, इन लोगों के बहुत खराब परम्परा डालने की यह सदन के सहन करने वाली बात नहीं हुई, प्रजातन्त्र के लिये सहन करने वाली बात नहीं हुई। माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव है उसके लिये सोचने समझने की बात है, इस पर गम्भीरता से सोचने की बात है यदि देश में संविधान को रक्षा करना है, सदन को अच्छा बनाना है और देश में प्रजातन्त्र की नींव को मजबूत करना है तो हमें इस बात के लिये मजबूत होना पड़ेगा कि जो लोग प्रजातन्त्र की नींव को कमजोर करते हैं, जो उसमें योग देते हैं, उनके साथ यह एक्शन बहुत ही कम एक्शन है। इसके लिये हमको सोचना पड़ेगा।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

टैक्सेज के ऑर्डिनेन्स का विरोध था तो चुनाव आयेंगे, जनता में कह सकते हैं कि इन्होंने ये टैक्सेज लगाये हैं। यह तो राजनैतिक लाभ की चीज़ है। उसमें तो राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और करेंगे। आपने कहा कि प्रोटेस्ट करना था। चार चार कुर्सियां पकड़ कर बैठ जायं, लेट जायं लम्बे, यह तरीका है प्रोटेस्ट का।

हमारे देश में एक पार्टी बनी। उसके दो टुकड़े बने। एक राइटिस्ट और दूसरा लेफ्टिस्ट। उनके दो गुरू हो गये। फिर सोचा राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट कुछ नहीं कर सकते। कुछ कम्युनिस्ट लोगों ने बंगाल में क्या किया? उन्हीं की नसीहत लेकर रामानन्द जी ने यह किया, ऐसी मेरी मान्यता है।

जो प्रस्ताव रखा है यह कोई ट्रेजरी बेन्चेज का सवाल नहीं है, अगर आप प्रजातंत्र को कायम रखना चाहते हैं डेमोक्रेसी को कायम रखना चाहते हैं तो यह आपके लिये आवश्यक है कि जो हमारे संविधान की अवहेलना करे, उसको नीचा दिखाये, उसके लिये क्या कार्यवाही करनी चाहिये, उसके लिये हाउस को एक मत होकर उनके लिए कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो विचारणीय प्रस्ताव माननीय कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय ने रखा है, उस पर तीन दिन से बहस हो रही है। मैंने उन माननीय सदस्यों को सुना है जिन्होंने इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये। जिन माननीय मंत्रियों ने सरकार की तरफ से अपने विचार व्यक्त किये, उनको भी ध्यानपूर्वक सुना, उन्होंने जो इस प्रस्ताव के पक्ष में दलीलें दी, उनको सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत अफसोस हुआ। हमारे मंत्री महोदयों ने इस गंभीर प्रश्न पर जिस छोटे स्तर की बातें रखीं, वह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। विरोधी पक्ष की ओर से माननीय सदस्यों ने जो कानूनी मुद्दे उठाये उनका जवाब न देकर एक दूसरे सदस्य के प्रति इस प्रकार की बातें कह कर उनको टाल दिया। मुझे सख्त अफसोस है कि जो विरोधी पक्ष की तरफ से मुद्दे उठाये गये, उनका सही तौर से उत्तर नहीं दिया गया। जिन सदस्यों ने माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में जिस प्रकार का आचरण किया उसके क्या कारण थे? क्या उनकी मजबूरी थी जिसके कारण उनको यह कार्य करना पड़ा, उसके विपरीत माननीय राज्यपाल महोदय ने जो आचरण माननीय सदस्यों के प्रति किया, माननीय सदस्यों को घसीटकर बाहर फिकवाया, वह कार्य उनका वैधानिक था या नहीं? उसके पीछे एक मात्र कारण यह रहा कि वे राज्यपाल थे और ये माननीय सदस्य थे; जो उन्होंने किया वह तो वाजिब था और वैधानिक था और जो कार्यवाही विधान सभा के सदस्यों द्वारा की गई वह अवैधानिक थी गैर वाजिब थी।

हमारी पार्टी के सदस्यों द्वारा कल और आज भी इस बात पर मुख्य सचेतक महोदय पर जोर डाला कि वे यह बतायें कि क्या उन्होंने इस बात की कानूनी जांच करवाई? यदि करवाई है, तो उनको डेफिनिट रिपोर्ट सदन को देनी चाहिये। जहां २६ तारीख को माननीय सदस्यों द्वारा किये गये आचरण को गलत माना, वहां राज्यपाल द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार माननीय सदस्यों के साथ किया गया, क्या वह उनको भल नहीं थी। अगर इस

(श्री जयनारायण व्यास)
संबंध में कोई कानूनी निर्णय हमारे सामने आता है तो हाउस को निर्णय लेने में सहूलियत होगी।

माननीय मुख्य मंत्री ने अभी स्टेटमेन्ट दिया, उन्होंने सिर्फ यह कहा कि हमें इस बात का अफसोस है कि हमने जो कार्य १४ साल तक नहीं किया, वह कार्य हमें आज करना पड़ रहा है। उन्होंने यह कहा कि माननीय सदस्यों का व्यवहार उस समय राज्यपाल के प्रति उचित नहीं था। उन्होंने कानूनी पहलू को बिल्कुल नजर अन्दाज कर दिया, उन्होंने किसी किताब का पार्ट हमारे सामने कोट नहीं किया, रास्ता नहीं दिखाया कि इस कानून की तहत या इस विधान की तहत हम मजबूर हैं इस प्रकार की कार्यवाही करने में। हमने १४ साल से नहीं किया अब आप कर रहे हैं, आप यह तो बता सकते हैं, आखिर वह किस कानून के आधार पर कर रहे हैं?

माननीय दामोदरलालजी व्यास जो पंचायत मंत्री हैं उनका भी भाषण मैंने सुना। उन्होंने अपने सारे भाषण में अपने चुनाव के दौरान जो बातें हुई, उनका स्पष्टीकरण किया। मैंने कल परसों बिजली मंत्री महोदय का बिजली के संबंध में जो प्रश्न था उसके बारे में उनका उत्तर सुना। उन्होंने अपने बचाव के लिये माननीय ...सहजी महारा... को यह बात कही कि आपके भाई को नौकरी नहीं दिलवाई, इसलिये आप यह कह रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे कर... बद्ध निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के मंत्री मण्डल के सदस्यों का जो यह रवैया है कि जो भी सदस्य उनके खिलाफ बोलते हैं तो उनकी व्यक्तिगत बातों को लेकर झूठी-सच्ची बातें कह कर उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरह से अपनी गलती को छिपाना चाहते हैं। हम किसी भी मंत्री के पास जाते हैं, तो अपने व्यक्तिगत काम के लिये नहीं, राजा हरिश्चन्द्रजी के पास या नाथूरामजी के पास जाते हैं तो व्यक्तिगत काम के लिये नहीं। वे बिजली मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं; अतः उनके पास जनता की तकलीफों को लेकर जाते हैं। मुख्य मंत्री जी के पास भी इसी नाते हम जाते हैं। वे यदि इस प्रकार की बातें कह कर हमें चुप कराना चाहते हैं तो मैं समझता हूं उनका यह कार्य बहुत ही अनुचित है। वे इस प्रकार बातें कह कर अपनी गलती छिपाना चाहते हैं और सही बात से हटना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जिन माननीय सदस्यों ने २६ तारीख को जो घटना घटित की उसमें यह कहा गया कि इस तरह के कार्य से राज्यपाल महोदय की उन्होंने तौहीन की है, उनकी बेइज्जती हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जि[न] माननीय सदस्यों को उनके द्वारा निकाल[ा] गया, घसीटा गया, जिनके खून निकला, कपड़े फटे, घड़ियां टूटीं, क्या उनकी बेइज्जती नहीं हुई? हम इस पहलू को भी एक निगाह से देख[ते] हैं। जिन माननीय सदस्यों ने राज्यपाल [के] सम्मुख खड़े होकर अपनी बात कही या कह[नी] चाही, क्या उनकी इज्जत नहीं है? वे क्या [बे]इज्जतदार हैं? केवल माननीय राज्यपाल [ही] इज्जतदार हैं, विधान सभा के सदस्य की कोई इज्जत नहीं है। माननीय अध्यक्ष, मैं इस बा[रे] में बहुत संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहूंगा यह कार्य करने के लिये उनको क्यों बाध्य होना पड़ा। आखिर विरोधी दल के सदस्यों को [इस] प्रकार के कार्य करने के लिये ... हुए हैं

(श्री जयनारायण सालोदिया)

पड़ता है ? हमारी पार्टी की नीति, हमारे विचार क्या हैं, वह किस तरह से सरकार को बतायें। हमें अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो अधिकार मिले हुए हैं वे इतने सीमित हैं कि उनमें हम अपने विचार ठीक प्रकार से नहीं रख पाते। हम प्रश्नों द्वारा जानकारी लेना चाहते हैं वे भी कभी कभी समयाभाव के कारण मिल नहीं पाती इसके अलावा मंत्री गण भी पूरी जानकारी देने में टालमटोल कर देते हैं। हम काममोशन और स्थगन प्रस्तावों द्वारा भी सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं लेकिन सभी सदस्यों को समय न मिलने के कारण उनको भी रख नहीं पाते। वास्तविक परेशानियां हैं क्षेत्र की परेशानियां है, जनता की परेशानियां हैं, वे अच्छी तरह से नहीं रख पाते हैं। इसलिये जिन माननीय सदस्यों ने जिस भावना से यह कार्य किया, मैं समझता हूं उनका यह कार्य एक शोभनीय और अच्छा कार्य था क्योंकि मैं यह मानता हूं कि राज्यपाल महोदय चाहे वे हमारे हैड हैं, हमारी उनके प्रति श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा का यह मतलब नहीं कि हम उनके सामने कुछ भी निवेदन नहीं कर सकते।

हमारी उनके प्रति श्रद्धा है पर इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि जब वे यहां पर पधारें तो हम उनको कुछ निवेदन भी नहीं कर सकते।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बार बार अभी भाई रामकिशनजी ने संविधान की ओर इस तरह की बातें कह कर सारी असलियत को ढकना चाहा पर मैं चाहता हूं कि मुझे राज सरकार की तरफ से यह दिखाया जावे कि विधान में ऐसा कहां लिखा है कि राज्यपाल महोदय पधारें तो हम निवेदन भी नहीं कर सकते। अपशब्द नहीं कह सकते, बेइज्जत नहीं कर सकते, यह हो सकता है। पर अगर हम उनको कह भी नहीं सकते और केवल भाषण पढ देने मात्र से पर्चेज हल नहीं हो सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

जिन मजबूरियों के कारण माननीय कुछ सदन के सदस्यों को कदम उठाने पड़े, वे मजबूरियां सरकार की ओर से पैदा की गई। दिन प्रतिदिन के सरकार के काले कारनामों ने वह स्थिति पैदा की। उन्होंने मजबूर किया कि हम अपनी आवाज को इस तरह से रख कर उसके प्रति अपना असंतोष और रोष व्यक्त करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा असर पड़े। जल्दी से जल्दी सरकार सुने।

जिस पशु-कर का राजस्थान की इस विधान सभा ने विरोध किया, उसको इस सदन के विरोध के बावजूद और इसके बावजूद कि वह विधान सभा फिर दुबारा जल्दी ही मिलने वाली है, इस सरकार के राज्यपाल से आर्डिनेन्स जारी करवाया। कई प्रकार के टैक्सों को जनता पर ऑर्डिनेन्स से लाद दिया। यह सब तब किया गया जब सदन आमन्त्रित किया जा चुका था। अब कौनसी ऐसी एमर्जेन्सी थी, कौनसा बज्रपात हो रहा था, सरकार के ऊपर जिससे थोड़े दिन भी इन्तजार नहीं कर सकी, वह सरकार और ऑर्डिनेन्स निकाल कर काम चलाया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रस्ताव पर बोले। आप तो बहस में चले गये। इसका अब कोई महत्व नहीं है—जो आप बोल रहे हैं।

श्री जयनारायण खालोदिया : मैं इस प्रस्ताव के विरोध में और जिन माननीय सदस्यों पर इसका असर होने वाला है उनके पक्ष में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी जो प्रस्ताव में व्यवस्था की गई है वह अत्यन्त ही गंभीर और अत्यन्त ही कष्टप्रद है इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करे, कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करके ऐसी मर्यादा कायम करें कि जिससे आदर्श उपस्थित हो। मैं इसमें न आदर्श मानता हूं न कोई बड़प्पन। यह एक छोटे से छोटे स्तर का प्रस्ताव है। यह मेरी मान्यता है।

मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, वे यह सोचें। क्या इस प्रस्ताव के द्वारा इसके पास होने से राज्यपाल महोदय की बहुत बड़ी कोई इज्जत हो जावेगी? बल्कि जिनको निकालेंगे उनके द्वारा अन्य किसी तरह से राज्यपाल महोदय की इस तरह की बात हो सकती है।

अन्त में, मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ में अपना भाषण समाप्त करते हुए लड्ढा साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रान्त में यदि स्वस्थ परम्परा कायम करना चाहते हैं, विरोधी दल की इज्जत रखना चाहते हैं, जैसा मुखाड़ियाजी ने भी कहा तो उनको इस प्रस्ताव को वापिस ले लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री लड्ढा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं चन्द शब्दों में इसके संवैधानिक मुद्दे पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! श्री लड्ढा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप अपने मुंह से रूलिंग दे दीजिए कि न तो हमें बोलने का अधिकार है और न हमें अपने संशोधन को पेश करने का अधिकार है। हम तो झुक कर आपकी आज्ञा का पालन कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लड्ढा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : फिर मैं मूव कर दूं अपना संशोधन।

श्री अध्यक्ष : कई संशोधन आये थे, मैं सदन की गम्भीरता को खत्म नहीं करना चाहता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमें बगैर कोई बोलने का मौका दिये जबर्दस्ती जल्दबाजी में बगैर हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिये जिस तरह कार्यवाही सदन की चल रही है उस से कोई गिला नहीं। मैं तो नम्रता पूर्वक यह जानना चाहता हूं आपसे कि मुझे मेरा प्रस्ताव संशोधन का पेश करने के लिये आज्ञा है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर चुका हूं कि कई संशोधन आये थे जिनको प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान नहीं की गई।

श्री राधाकृष्ण गोयल : एक सुझाव था मेरा इसमें तीन दिन से डिबेट चल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस संवैधानिक मुद्दे पर भी यह सदन बहुमत के जोर से कोई निर्णय करने वाला है। यदि हम, इन कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर राज्य के एडवोकेट जनरल की राय से भी अवगत हो सकते होते, तो उचित

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

था। तीन दिन हो गये। सरकार उनकी राय यहां रख सकती थी और गम्भीरता से उस पर विचार किया जा सकता था। हमें उससे मार्ग दर्शन मिल सकता था। यह बहुमत से तै करने का मुद्दा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : एडवोकेट जनरल अगर यहां आते तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी बात होती।

श्री चौसर सिंह बाबेल (वैर) : किसी संविधान की धारा और नियम का यहां पर उल्लेख नहीं किया गया कि जिसकी तहत गवर्नर साहब को अधिकार था कि वे सदन के सदस्य को बाहर निकाल दें। सदन का मार्ग-दर्शन मिलता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन चूंकि एडवोकेट जनरल यहां नहीं आये हैं और तीन दिन से बहस चल रही है और केवल इस कारण से सदन की बैठक को आगे बढाया जाय, यह उचित नहीं होगा।

तो बहस को समाप्त करने से पूर्व में श्री लड्ढा से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार रक्खें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of order, sir इस, प्रस्ताव का जिन १२ सदस्यों से सम्बन्ध है उनमें से, दो–तीन व्यक्ति सर्व श्री उमरावसिंह ढाबरिया, मोहनलाल सारस्वत और हरिशंकर जिस दिन से प्रस्ताव आया है सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं स्वयं ही यह कहने वाला था। श्री लड्ढा का भाषण होने वाला था तो उसके होने के बाद प्रस्ताव किन किन के विरुद्ध होगा और उसकी आगे क्या प्रक्रिया होगी, यह देख लेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय एक निवेदन और कर दूं। इस सारी डिबेट में हमें यह मालूम नहीं पड़ा कि जनसंघ का ऑफीशियल दृष्टिकोण क्या है और अभी माननीय कृष्णकुमारजी गोयल, जो उपनेता हैं, खड़े हुए तो यह हो सकता है समयाभाव के कारण नहीं बोल सकें।

पर चूंकि स्वतन्त्र पार्टी के कई लोग बोल चुके हैं, कम से कम हमें यह जानकारी होना जरूरी है और राजस्थान की जनता भी जानना चाहेगी कि जनसंघ का दृष्टिकोण इसमें क्या है?

इसलिये कुछ समय कृपा करके आप उनको अवश्य दें। और इसके लिये यदि आवश्यक हो तो सदन की कार्यवाही को कुछ समय और बढाया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री मानिकचन्दजी सुराणा ने यह जानने की कोशिश की कि इसमें जनसंघ का इस सम्बन्ध में क्या ऑफिशियल दृष्टिकोण है, मैं यह समझता हूं कि हमने हमारा दृष्टिकोण इस सदन के सम्मुख बिल्कुल साफ तोर से जिस २६ तारीख को यह घटना सदन में हुई उस दिन और जिस समय आपने इसका इरादा किया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से पूर्व हम इस प्रकार के विचार प्रकट करेंगे, अध्यादेशों का विरोध करेंगे, राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे तो मैंने साफ उस समय कहा था कि इस विधान सभा का इतिहास उठाकर देख लें कि जितना भी अध्यादेशों का विरोध इस सदन में किसी ने किया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
है, अगर सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया है तो वह हमने किया है। सरकार की नीतियों का विरोध हमने सबसे अधिक किया है, राज्य में फैले भ्रष्टाचार का विरोध किया है तो हमने- कहने का मतलब यह है कि हमने र इनमें हम किसी प्रकार से भी पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन मेरी स्वयं की मान्यता थी और मेरे दल की मान्यता थी कि यह उचित अवसर नहीं है। मैंने कहा था कि हमें धन्यवाद के प्रस्ताव पर भी बोलने का मौका मिलेगा, बजट भाषण पर भी कहने का मौका मिलेगा और उन सारी चीजों को कहने का मौका मिलेगा और यह उस समय विचार करने का प्रश्न है। मैंने भाई रामानन्द जी और रामकिशन जी से अपने दल के विचारों को और जो विरोधी पक्ष के नेता हैं उनके भी विचारों को और स्वतन्त्र पार्टी के ५० स यों के विचारों से उनको अवगत करा दिया थ क हम इससे सहमत नहीं हैं। मैं कहना हता हूं कि यदि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो कम से कम इन पचास सदस्यों की बात को तो मानना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने सारी चीजों को सदन के सामने रखा, आपने उस दृष्टिकोण से कोई भूल भी की हो, लेकिन जहां तक सदन के सदस्यों का अधिकार है हमने स्पष्ट सोमवार के दिन कॉन्स्टीट्यूशनल और लीगल इश्यूज् को उठाया। जो आपने नहीं उठाया। ये लीगल और कॉन्स्टीट्यूशनल इश्यूज् हमने उठाये, आपने नहीं। मैंने रविवार के दिन संयुक्त समाजवादी दल के मित्रों को और कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रों को जनसे हमारा सबसे ज्यादा मतभेद है, कम्युनिस्ट पार्टी को खास तौर से मैंने कहा कि मैं आपकी पैरवी ऐसी करूंगा जैसे आई० एन० ए० का केस जवाहरलालजी ने गाउन पहन कर लड़ा था, उसी तरह से मैं भी आपका केस प्लीड करूंगा, हालांकि नेताजी में और जवाहरलालजी में काफी मतभेद था। लेकिन मैंने कहा कि उन पोइन्ट्स पर नहीं बल्कि लीगल पोइन्ट्स पर और मुझे इसका फक्र है कि मैंने पहले ही दिन सोमवार को लीगल इश्यूज् पर कुछ रोशनी डाली थी और यह जनसंघ का ही काम है कि उसने कॉन्स्टीट्यूशनल आस्पेक्ट्स पर राजस्थान की सरकार को बेनकाब खड़ा कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज क्रिमिनल केस की तरह से यह सारा हाउस जज बना हुआ है। क्रिमिनल कोर्ट्स में जिसके ऊपर केस बनता है, उस पर प्रोसीक्यूशन अपना केस बनाता है। मगर यह क्रिमिनल कोर्ट होती और मैजोरिटी का सवाल नहीं होता तो इस केस को इतना वीक रखा गया है, राजस्थान, सरकार की तरफ से जो प्रोसीक्यूशन का केस रखा गया है उसके लिये कोई डिफेन्स की जरूरत नहीं है, प्रोसीक्यूशन के केस के आधार पर सारी चीजें एडमिट की जा सकती थीं। आपने न यह कहा कि अध्यक्ष को अधिकार था, क्या ऑथोरिटी थी राज्यपाल महोदय को? इसमें इसने लीगल और कॉन्स्टीट्यूशनल मामले इन्वोल्वड थे, मुझे अफसोस है इस बात का होता है कि दो दिन तक बहस चली, हमने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया, ३।। घंटे तक वाद-विवाद हुआ और कांग्रेस की तरफ से एक मेम्बर ने भी ३।। घंटे की बहस में, मैं यह नहीं कहता कि उनके अन्दर कानून के जानकार नहीं हैं, ऐसा मानकर नहीं चलता हूं, क्या कारण थे, मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इस सदन में राजस्थान की गवर्नमेंट के किसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
मिनिस्टर ने, लॉ मिनिस्टर ने, एडवोकेट जनरल ने और किसी भी सीनियर मेम्बर ने इतना कन्ट्रीब्यूशन नहीं किया कि इस हाउस को एनलाइटन करे कि इस बारे में उनकी क्या राय है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रेसीडेन्ट साहब को तार दिया कि हमारे राजस्थान में एक तरह की कन्ट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि राज्यपाल महोदय को इस प्रकार के अधिकार थे या नहीं, यह मोशन हाउस में आ सकता है या नहीं, इसकी कॉन्सुटीट्यूशन में कोई व्यवस्था नहीं है, रूल्स में व्यवस्था नहीं है, यह सीरियस मैटर है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गलती की होगी, आखिर गलती होती है, गलती किससे नहीं होती?

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि एक आदमी मार दिया जाता है; एक गोली से मारा जाता है और एक मोटर से मारा जाता है। लेकिन मारे दोनों जाते हैं। परन्तु गोली से जो आदमी मारा जाता है उसके लिए दफा ३०२ लगती है और जो आदमी मोटर से मारा जाता है उसके लिए दफा ३०४ लगती है। आदमी मर गया, लेकिन इन्टेशन क्या थी यह देखा जाता है। तो इस केस में भी यही सारी बातें देखने की थीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने साफ तौर से कहा, हमने निवेदन साफ किया कि हम डेमोक्रेसी केंट्रेडीशन में हमारा और आपका सोचने का तरीका भिन्न हो सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रों का तरीका सोचने का दूसरा हो सकता है। मैं यह मानकर चलता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र जो कि डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या सवाल खड़े किये। मोहन पूनमिया की गिरफ्तारी, यह कौनसी लेफ्ट कॉम्युनिस्ट पार्टी, जो कि चाइना का साथ देती है; ऐसे लोगों का हम साथ नहीं दे सकते। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि संयुक्त समाजवादी पार्टी के मित्र कॉम्युनिस्ट पार्टी के चक्कर में आ गये। इसलिए मैंने एक रिजोलेशन रखा कि हम रिग्रेट शो करदें। आखिर गलती सबसे होती है, बस में कभी चलते चलते टक्कर लग जाती है, एक दूसरे से घूंसा लग जाता है तो हम माफी मांग लेते हैं, हम सोरी कर देते हैं। आखिर कांग्रेस ऐसी कौनसी (अश्रव्य) है जिससे वह, राज्यपाल महोदय को बचाना चाहती है? मैं तो साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जितनी राज्यपाल महोदय की प्रतिष्ठा इन्होंने उस दिन नहीं गिराई, जितनी आपने इन तीन दिनों के अन्दर सदन में गिरवाई है। स्पीकर साहब की रूलिंग थी, शराब के मामले, भाइयों के अपोइन्टमेंट्स, ये सारे मामले नाजायज हो सकते थे, लेकिन क्या इस हाउस में और कोई मौका डिबेट करने का इन मामलों पर नहीं आता? राज्यपाल महोदय का अपमान इन्होंने नहीं किया जितना आपने किया है। इसलिए यह कोई अच्छी चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गंभीरता से सोचें, राजस्थान के अन्दर हम डेमोक्रेसी के लिए खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट को इस तरीके से या उस तरीके से, यह विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की जनता के ऊपर विश्वास रखें। राजस्थान की ४० पर्सेंट जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है और ६० प्रतिशत जनता ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया है। यही कारण है कि हम और आप लड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस तो था, जब कि बोर्डर रोड्स के मामले कल हुआ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के मामले में, हमने आप सब का साथ दिया और सब ने वाक आउट किया, लेकिन कॉम्युनिस्ट पार्टी के दो तीन मेम्बर्स बैठे रहे। ये यूनिटी नहीं बनाना चाहते हैं। ये अपनी लीडरशिप कायम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दो हों। ये आज नहीं हुआ, न कल होगा और न जिन्दगी में कभी होने वाला है। we are also wise enough: इसलिए अध्यक्ष महोदय, में निवेदन करना चाहता हूं सारी पार्टीज को और ऐसी पार्टी को जिसमें हमारे कॅम्युनिस्ट मित्र हैं जो नेशनेलाइज्ड डेमोक्रेटिक हैं, इन तरीकों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कांग्रेस नहीं चाहती कि सन् ६७ में राज्यपाल महोदय की प्रतिष्ठा हो, तो जो भी राज्यपाल बनेगा, कांग्रेस का आदमी बनेगा, इसलिए राज्यपाल महोदय की प्रतिष्ठा तब बनी रह सकती है जब कि गवर्नमेन्ट में हम आ जायेंगे, तो हम आपकी प्रतिष्ठा रखेंगे। यही प्रतिष्ठा बनाये रखने का एक तरीका है।···

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग): सीट तय कर लो, कौनसी पर बैठोगे?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: हम तो इसी कुर्सी को लेकर वहां आयेंगे। राजस्थान के जन-जीवन को दूषित करने की मनोवृति इस राजस्थान में आई है। कितने कितने नाटक रचे जा रहे हैं। राजस्थान में अजीब नक्शा बनाया जा रहा है। मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं गद्दी छोड़ रहा हूं, मुझे त्याग आ रहा है और फिर मैं नहीं जा रहा हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में हम उन सारी चीजों से डेवियेट हो गये हैं। हमारे राजस्थान में आज अनेक प्रश्न हैं लेकिन इसी पर हमने आज ३ दिन गुजार दिये हैं। यदि सम्भव हो सका तो हम तीन दल मिलकर—जनसंघ, समाजवादी और स्वतंत्र राजस्थान को एक नया नक्शा देंगे। हमने राजस्थान को एक नक्शा दिया है और हमने राजस्थान के जन-मानस पर असर डाला है कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कायम कर सकते हैं।····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): इसके लिए तो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर बाप-दादे नहीं मरते तो दुनियां पर राज कर लेते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री रामानन्द अग्रवाल: अश्वत्थामा ने शंखनाद कर दिया।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): बुलबुले चले गए और औलाद छोड़ गए।

(श्री सतीशचन्द्र की ओर मुखापेक्ष होकर)

श्री अध्यक्ष: आप जल्दी समाप्त करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो इस प्रस्ताव का विरोध किया है वह इस भावना से किया है क्योंकि इसमें विडिक्टिवनैस है। मैं पूछना चाहता हूं सुखाड़ियाजी से, कि श्री रामानन्द अग्रवाल ने तो बाहर जाने का विरोध किया था, लेकिन श्री केदारनाथ ने क्या किया था, वे तो सदन छोड़ कर चले गए थे। मोहनलालजी सारस्वत ने क्या किया था, श्री दयाराम ने क्या किया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

था; कुछ भी नहीं किया, चुपचाप सदन छोड़ कर चले गए थे। इनके साथ भी आपने विंडिक्टिवनैस नहीं दिखाई तो और क्या दिखाई ? हर आदमी को बतलाना चाहिए कि तुम्हारा जुर्म यह है। जुर्म में एक कत्ल करने वाला भी है, एक गोली मारने वाला भी है और एक गोली मारने वाले के पास खड़ा रहता है तो सभी को फांसी की सजा नहीं लगती। बूटल मेजोरिटी के आधार पर, पार्टी के बहुमत के आधार पर, इस विंडिक्टिवनैस से आप इनको सदन से बाहर निकालना चाहते हैं और इसीलिए हमने इसका विरोध किया है, आपके तौर-तरीकों से आपका विरोध किया है। आपके एटीट्यूड का हम विरोध कर रहे हैं और इसीलिए हमने, अपोजीशन के लोगों ने इस प्रकार के आपके एटीट्यूड का विरोध किया है। भूल सभी से हो सकती है, उसके लिए आपने जिस तरह से पनिशमेंट दिया है, तीन दिन से जिस रह से वाद विवाद किया है हम उनसे सहमत नहीं हैं, आज भी सहमत नहीं हैं। हमने अपने अपोजीशन के धर्म को निभाया है और हमने, उनका इसमें साथ नहीं दिया और आपके प्रस्ताव के साथ सहमति प्रगट की थी; लेकिन जिस प्रकार का आपका एटीट्यूट है उसमें हम अपने अपोजीशन के राइट्स की रक्षा करेंगे और उसमें आपका साथ नहीं देने वाले हैं। हम इस मामले में आपके साथ सहमत नहीं हैं और जब तक इन सारे इश्यूज पर, इन सारी कॉंस्टीट्यूशनल बातों का जवाब नहीं दिया जाता, इन सारे कॉंस्टीट्यूशनल इश्यूज को तय नहीं करते कि गवर्नर को निकालने का अधिकार था, कॉंस्टीट्यूशनली जो कुछ उन्होंने एक्शन लिया, वह उनको कॉंस्टीट्यूशनली पॉवर थी या नहीं, जब तक इन बातों का फैसला नहीं हो जाता तब तक आपका यह एक्शन किसी दृष्टि से जायज नहीं होगा। आगे आने वाली डेमोक्रेसी, आगे आने वाली लेजिस्लेशन आपको कोट करेगी, वह कहेगी कि लड्ढा साहब का प्रोसीक्यशन इतना वीक था कि वे लीगल कॉम्प्लीकेसांज को सोल्व नहीं कर सके और केवल मेजोरिटी के आधार पर, रूलिंग पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी न इसका फैसला किया। उनका इस तरह का एक्शन भूल हो सकती है, लेकिन आपका यह काम भयंकर भूल होगी, जिसको आगे आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने ये अपने चन्द शब्द कहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य सहमत हों तो, समय बढ़ा दिया जाए जब तक यह प्रस्ताव पारित हो, तब तक के लिए।

(विराम)

समय बढ़ाया जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीख २६ फरवरी को माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय जो माननीय सदस्यों ने यहां व्यवहार किया और जिसकी चर्चा दो तीन रोज से चल रही है उस व्यवहार के सम्बन्ध में मैं जब यह मेरिट पर मोशन डिस्क्शन में है तो कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। यह एड्रेस जो गवर्नर का होता है वह··

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यानि माननीय सदस्य जवाब दे रहे हैं या इस बहस में केस की शुरूआत कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Very innocent inquiry.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : आप पहले दिन थे नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन कर रहा था कि अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कॉस्टीट्यूशनल और लीगल और दूसरी बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया, इसको मैं उसके रेफरेंस में कहना चाहता था...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह माननीय सदस्य अपने पिटे हुए केस की मरम्मत कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह निवेदन किया कि यह धारा २७६ ऑफ कॉस्टीट्यूशन के तहत असेम्बली को एड्रेस इसलिए करता है, उसमें यह लिखा है कि गवर्नर एड्रेस इसलिए करेगा कि वह मेम्बर साहबान को इन्फोर्म करे, कॉजेज़ ऑफ इट्स सम्मन। वहां पर 'इन्फोर्म' लिखा हुआ है। इन्फोर्म लिखने का सिग्निफिकेंस है, कोई शब्द विना सिग्निफिकेंस के विधान में नहीं लिखा जा सकता, जो विधान के पण्डितों ने यह शब्द काम में लिया है तो बिना किसी सिग्नीफिकेंस के तो नहीं लिया है। इसका सिग्नीफिकेंस यह है कि वह केवल कॉजेज़ ऑफ इट्स सम्मन इन्फोर्म करेगा, हाउस को सूचित करेगा। इसका इम्प्लीकेशन यह है कि उसको आपको केवल सूचना रिसीव करनी है। इसका दूसरा इम्प्लीकेशन यह है कि रिसीव करने के अलावा कोई काम माननीय सदस्य नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह निकलता है कि न तो आप सवाल पूछ सकते हैं या कोई एक्सप्लनेशन कह सकते हैं, न कुछ उठ कर बोल सकते हैं, न कोई इंटरशन कर सकते हैं...

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : न आकर बैठ सकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कुछ नहीं कर सकते, केवल इन्फोर्म कर सकते हैं; तो फिर वह राज्यपाल महोदय निकाल भी नहीं सकते। यह तो वही बात हुई कि 'मीठा मीठा मेरा और कड़वा कड़वा थू।'

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हम उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते; तो फिर क्या कर सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जब आपकी तरफ से बहस हो रही थी इस तरह से ऑब्जेक्शन करने की कोशिश नहीं की, अब जब मेरे जवाब देने का वक्त आया...

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं आपको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा ५६ को पढ़कर बताता हूं, जिसमें आप सबको आमंत्रित किया गया है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, हां, आमंत्रित करते हैं। बिना आमंत्रण के तो आप आयेंगे ही कैसे ?

श्री मुरलीधर व्यास : पहले तो आप इन्वाइट करें और फिर धक्के मार कर निकाल दें यह कैसी बात है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपके माइने ही ऐसे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अक्सर जो बुलाए और बुलाकर बैठाए और बैठाकर उठाए और उठाकर निकलावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही स्पोर्ट्समैन स्प्रिट है आपकी !

श्री रामानन्द अग्रवाल : सुखाड़ियाजी भी निमंत्रण भेजा करते हैं, जलपान के लिए बुलाते हैं और राज्यपाल की परम्परा को वह भी अपनायेंगे क्या; यह तो बता दें।

एक माननीय सदस्य : आपने तो आना बन्द कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसीलिए २६ तारीख को आप नहीं गए थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सुखाड़ियाजी बुलावें और वहां हम खड़े होकर बोलने लगें और सुखाड़ियाजी परम्परा को निभाने लग जावें, तो यही बता दें पहले।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि इसके दो हिस्से हैं। उसके अनुसार उनकी मौजूदगी में वहां कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, न कोई बोल सकता है। इसमें जो वर्ड इन्फोर्म काम में लिया है बड़े २ कांस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने, तो उसका मतलब यही है कि जो मीटिंग होती है इस तरह की, उसके अन्दर All the M. L. As. are to sit like motion-less pictures. मोशनलेस, पिक्चर की तरह वहां बैठना पड़ता है, उसके अन्दर कोई बोल नहीं सकता········

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका ख्याल है कि आपको अगर हार्ट अटैक हो जाय तो कोई उठाने भी नहीं आवे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं जो कहना चाहता हूं उसे मुझे पूरा कहने दिया जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : लड्ढा साहब ने २६ तारीख को छोंका था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): डेमोक्रेसी का मतलब है, "One way traffic".

(५.०० स. प.)

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से गवर्नर के अभिभाषण के समय माननीय·····

(शोरगुल)

माननीय सदस्यों ने जो बर्ताव किया, उस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा और सोचना होगा कि ऐसे मौके पर हमारा क्या कंडक्ट होना चाहिये ? इस कंडक्ट के बारे में परंपराएं हैं, विधान और रूल्स में प्रोविजन हैं, दूसरी एसेम्बलीज में क्या होता है, उसके अनुसार आचरण करना होगा। इस संबंध में जब·····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसी दूसरी विधान सभा में हुआ है क्या इस तरह का सस्पेन्शन का मोशन ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे समय में क्या होना चाहिए,इस संबंध में जब इस प्रश्न की एडमिसिबिलिटी पर बहस हुई थी, तब मैंने सारी बातें बताई थीं और सारी बातें कानून और वैधानिक पोजीशन बताने पर, हाउस में वादविवाद के बाद इस मोशन को एडमिट किया गया डिस्कशन के लिये, इसलिये मैं उसमें दुबारा नहीं जाना चाहता,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लेकिन जो दो-तीन दिन में बहस हुई इस मुद्दे पर, उसमें एक ही बात थी । वह यह थी कि हम किसी न किसी गवर्नमेन्ट के एक्शन की वजह से प्रवोक हुए, इसलिये ऐसा करना पड़ा और ऐसा करने का हमको अधिकार था । सारी बहस दो रोज तक दो बातों में सीमित थी । हरेक मिनिस्टर के खिलाफ क्या क्या चार्ज लगाये, मैं उसमें नहीं जाना चाहता । क्योंकि इस मसले के लिये वे इर्रिलेवेन्ट हैं; इसलिये मैं उसमें नहीं जाना चाहता । इससे संबंधित जो बातें हैं उनको मैं सामने रखूंगा ।

सबसे पहली बात तो यह है कि क्या यह प्रवोकेशन जिससे माननीय सदस्य सारी घटनाओं के लिये उत्तरदायी हैं, वह प्रवोकेशन गवर्नर या गवर्नर के कंडक्ट की वजह से हुआ, जिस से प्रेरित होकर संविधान के अनुसार कर्त्तव्य पालन करने में बाधा पहुंचाई, गवर्नर को भाषण नहीं करने दिया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया, मुर्दाबाद के नारे लगाये और हमलावर तरीके से गवर्नर की तरफ प्रोसीड हुए ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : झूठ, बिल्कुल झूठ; सही नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैंने आंखों से देखा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आंख पर कौनसा बटन लगा रखा था ....

(शोरगुल)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या यह प्रोवोकेशन पंचायत राज ऑर्डिनेन्स की वजह से हुआ ? पंचायत राज ऑर्डिनेन्स की बात कही, जमीन की बात कही, बिजली की बात कही और कुछ काम बताये जो राज्य सरकार ने ठीक तरीके से उनके हिसाब से नहीं किये । यद्यपि सारा स्पष्टीकरण किया जा चुका है, इस वजह से इन चीजों से प्रेरित होकर और कोई विकल्प नहीं पाया सिवाय इसके कि जो हमारी स्टेट के संवैधानिक हैड हैं, सिम्बल हैं, कांस्टिट्यूशनल हैड हैं उनको वे इज्जत करें . . .

श्री मानसिंह माहर (आमेर) : On a point of order, मैं लड्ढा साहब से पूछना चाहता हूं, आप इन बातों को तो जाने दीजिये . . . . .

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपकी बातों का जवाब देने के लिये मैं नहीं खड़ा हुआ हूं ।

श्री मानसिंह माहर : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । आप इन बातों में न आकर जो कांस्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसको समझा दीजिये । यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है । कांस्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में तीन दिन हो गये; कहते कहते थक गये, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बात कहना चाहता हूं उसके लिये छोटासा उदाहरण देना चाहता हूं । यदि हमारे देश की जनता या कुछ सदस्य जैसा चाहते हैं फेमिन के बारे में, जमीन के बारे में, डिफेन्स के बारे में हल नहीं कर सकते, तो क्या वे चीन से मिल जायेंगे या पाकिस्तान से मिल जायेंगे . . . . . .

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : गवर्नर पाकिस्तान था या चीन था ? अध्यक्ष

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
महोदय, बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो गई है...........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : संपूर्णानंदजी को चीन और पाकिस्तान बताया.......

(शोरगुल)

श्रीरामप्रसाद लड्ढा : जो मैं समझाना चाहता हूं, गले उतारना चाहता हूं वह यह है कि जिस तरह हमारी स्थानीय समस्याओं को लेकर यह कहें कि हमारी समस्यायें हमारी इच्छा के अनुसार हल नहीं कीं, इसलिये हम क्या करते, चीन और पाकिस्तान से मिल गये, इसलिये यह राष्ट्र के प्रति विद्रोह है...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: यह व्यवस्था का सवाल है......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : संविधान के प्रति विद्रोह है और यह भारतीय परंपराओं के विपरीत है ।

(शोरगुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : किसी भारतीय के बारे में, किसी सदस्य के बारे में, यह बात सोची जाय कि वह चीन का एजेन्ट हो जायगा, चीन और पाकिस्तान से मिलेगा, यह बात अच्छी नहीं लगती......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था, बीच में आवाज आई, सभी बोले । मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं । मैसूर असेम्बली में गवर्नर के अभिभाषण की छपी हुई किताबों को पैरों के नीचे दबा कर फाड़ डाला ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स मौजूद थे या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सन् ६२ का रूलिंग है और इसके अन्दर उसको रिमेइन्डर ऑफ पीरियड के लिये निकाला गया ।

(हियर-हियर)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रश्न यह है कि आप इसको सही परम्परा समझते हैं क्या ?

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : एक दम सही ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सन् ४४ की बात भूल गये ।

श्री हरिदेव जोशी : आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात करो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर के महल में मैं चला गया, तो ऐसा शोर मचा था कि परम्पराएं तोड़ दीं, महामहिम राजा के महल में चला गया, हरिजन घोड़े पर चढ़ कर निकल गया, जागीरदार चिल्ला पड़े, धर्म भ्रष्ट कर दिया; वे परम्पराएं आज भी कायम रहनी चाहिये क्या ? यह प्रश्न है, यह परंपरा का रूलिंग है; तो आज उसे खत्म करना चाहिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आपके विचार हम अच्छी तरह से जानते हैं । आप विधान को खत्म करना चाहते हैं, जनतंत्र को खत्म करना चाहते हैं । आप दूसरों को उत्तेजित करके चाहते है कि देश में न जनतंत्र रहे, न विधान रहे; केवल आप रहें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बनाते हैं अपना काम · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : सुखाड़ियाजी विधान उस वक्त खत्म नहीं हुआ जब आपने अपने रिश्तेदारों को जमीनें दे दी, अपने रिश्तेदारों को पदों पर बैठा दिया ? विधान उस वक्त खत्म नहीं हुआ, जनतंत्र की हत्या उस समय नहीं हुई ? विधान और जनतंत्र उस समय खतरे में पड़ते हैं जब आपकी अवैधानिक कार्यवाहियों के बारे में हम निवेदन करना चाहते हैं, इससे विधान खतरे में पड़ता है । आपकी इन बातों में नहीं आने वाले हैं । आपकी कार्यवाहियों को जनता के सामने साबित करेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जहां तक मुझे याद पड़ता है, सुराणाजी ने यहां पर आपके बारे में कहा था कि आप लोग चीन से मिले हुए हैं; देशद्रोही हैं और आज आप ही लोग उनकी चेयर को रखने के लिये इस तरह की बातें कहते हैं. आपको उन्होंने देशद्रोही कहा था, आप सो रहे थे; तो हमें अफसोस है ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : चीन ने आक्रमण किया था उस समय कॉम्युनिस्टों ने भी उसका विरोध किया था · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे याद है, इस सदन के अन्दर चीन के हमले के बारे में कौल साहब ने कहा था, "चीन ने हमला नहीं किया है" । तब इन्हीं ज्वालाप्रसाद जी ने कहा था · · ·

श्री हीराभाई : मैं कहता हूं · · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वही कौल साहब वहां बैठे हैं वित्त मंत्री बने बैठे हैं । (श्री हीराभाई से) अरे ! बैठ रे भाई !!

श्री हीराभाई : जब आचार्य कृपलानी चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ मेनन लड़ रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के हाई कमाण्ड ने कॉम्युनिस्टों का सहारा लिया था, उनसे हाथ मिलाया था । देश के अन्दर अपने सिद्धान्तों को भंग करके आपने चीन के पिट्ठुओं से हाथ मिला कर ऐसा उदाहरण पेश किया था । हम उस वक्त भी इन्कार करते रहे थे । हमें आप कोई उदाहरण नहीं दे सकते । आप प्रजातंत्र की बात करते हैं । आप जानते हैं कि आपने आचार्य कृपलानी को किससे हाथ मिला कर हराया था । आपके हाई कमाण्ड ने आपको यह आदेश दे दिया था, कांग्रेस जनो ! कम्युनिस्टों का सहारा लो !! चुनाव में उनका सहारा लो । (श्री रामप्रसाद लड्ढा के बोलने पर) याद रखो मिस्टर, इस तरह की बात बोलने की नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, पीकिंग रेडियो के अन्दर आया था कि बालकृष्ण कौल ने यह कहा था कि चीन ने हमला नहीं किया । वही कौल साहब सुखाड़िया साहब की गोद में बैठे हुए हैं, वित्त मंत्री बने बैठे हैं । यहां बैठे हैं, जिसके लिए पीकिंग रेडियो ने कहा था · · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : वह सूचना आपने भेजी थी ।

श्री हरिदेव जोशी : पीकिंग रेडियो के कोरेस्पोंडेंट ने भेजी थी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, जब आज ही

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
लोक सभा में दो घंटे पहले रूलिंग हुई है जो इनकी पार्टी के लोगों के लिए...

श्री रामकिशन (बैर) : हां, हमारी पार्टी के लोग ही सत्याग्रह करते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिसमें तीन मेम्बर्स को निकाला है।

श्री रामकिशन : सत्याग्रह तो हमारे साथी ही करते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस तरह यहां महारावल के शब्दों में टालमटोली हुई, वहां भी यही नौबत आई, वहां भी टालमटोली होकर तीन सदस्यों को बाहर निकाला है, दो घंटे पहले रूलिंग हुई है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल। अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मसला है उसकी पूरी प्रोसीडिंग्ज मंगानी चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो, अध्यक्ष महोदय, इनका जो कार्यक्रम है, एक योजना-बद्ध कार्यक्रम है। उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री रामकिशन : ठीक है, हमारा कार्यक्रम है, हमारी योजना है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसलिए यहां इस तरह की बात करते हैं।...

श्री रामकिशन : गलत नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : और यदि आप इसकी गम्भीरता को समझते हैं तो रिग्रेट शो कर सकते हैं, जैसा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा है...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माफी तो मांगे। आपका गवर्नर जिसने यहां पर यह पागलपन किया है, लोगों के ऊपर आक्रमण किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इससे यह साबित होता है कि आपका इरादा खराब है। आप देश के प्रति और विधान के प्रति भक्त नहीं हैं, आप में उसके प्रति श्रद्धा नहीं है और इसलिए....

श्री रामकिशन : आप इन बातों को छोड़िये। आप कोई विधि-आत्मक बात कहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन परिस्थितियों में जब कि इतना अच्छा प्रस्ताव आपके सामने रखा था, अगर आप वास्तव में महसूस करते हैं कि गवर्नर और राज्यपाल के साथ किसी तरह असम्मानजनक व्यवहार करना ठीक नहीं है, तो आप रिग्रेट शो कर सकते हैं। लेकिन आप खेद प्रगट नहीं करते हैं और सदन में यहां तक कहते हैं कि एक बार नहीं हजार बार हम ऐसा करेंगे, हजार बार विधान का उल्लंघन करेंगे, विधान की लॉयेल्टी नहीं करेंगे...

श्री रामकिशन : गलत बात मत कहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप धारा बताइये। विधान की धारा बताइये कि किसके लिए कहा।

श्री हीराभाई : यह न्याय की बात थी। देश के अन्दर अन्याय होता है तो राज्यपाल का अधिकार है कि सरकार को बाध्य करके न्याय की रक्षा करे। अगर वह न्याय की रक्षा नहीं करता है।...

Page No. 110

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप धारा नहीं बता सकते। आपको धारा बतानी चाहिए।

श्री हीराभाई : राज्यपाल जब क्षमा याचना नहीं कर सकता तो हमारे अपमान करने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसलिए मेरा निवेदन है कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय··

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, भाई रामकिशन जी कहीं लम्बी-चौड़ी बहस चलायें, उससे पहले में छोटा सा सवाल भाई लड्ढाजी से करूंगा कि वे बतायें कि २६ फरवरी, १६६६ को विधान सभा का सत्र शुरू हुआ, जिसको कहते हैं "सैशन" अंग्रेजी में और हिन्दी में "अधिवेशन" और जो विधान सभा सचिवालय से चिट्ठी आई है उसमें अधिवेशन लिखा है, अधिवेशन की शुरूआत होगी—तो उस दिन इस विधान सभा की अध्यक्षता यह स्पीकर, जिसे हिन्दी में विधान सभा के अध्यक्ष कहते हैं, कर रहे थे या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : No.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो स्पीकर महोदय थे वे अध्यक्ष नहीं थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या यह सही है कि लोक सभा में प्रेसीडेंट आते हैं उस वक्त लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लोक सभा के अध्यक्ष करते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं करते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : फिर क्या वह मूर्ति होती है जो वहां बैठती है।

श्री हीराभाई : जब कोई विधान सभा नहीं होती तो फिर उसमें किसी का हमने अपमान नहीं किया। फिर तो कोई बहस नहीं है। फिर अगर विधान सभा नहीं थी, अगर यह मामला रहता है, तो पुलिस में वे केस दे सकते थे। पुलिस में कार्यवाही करके सजा दी जा सकती है। यहां तो खाली तमाशा कर रहे हैं !

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्षता कर रहे थे या नहीं ? स्थिति क्या है ?

श्री दुर्गालाल बादवार (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इस बहस का अन्त होने जा रहा है और हमारा··

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपका नहीं।

श्री रामकिशन : यह दुर्भाग्य है, जिस भावना से हमने जो कुछ किया है उसको मनाने के लिए उस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य तैयार नहीं हैं। हमें इसका कोई अफसोस नहीं है और अभी जैसा माननीय लडढाजी ने कहा कि हमारे दल का

(श्री रामकिशन)

कार्यक्रम है; तो मैंने कल निवेदन किया परसों भी निवेदन किया था; लोकतन्त्र, समाजवाद, अहिंसा और सत्याग्रह––यह हमारे चार हथियार हैं और इन हथियारों का प्रयोग हम पूरी सभ्यता के साथ, शिष्टाचार के साथ, अपने प्रत्येक विरोधी के लिए मन में सम्मान रखने के साथ जनतन्त्र की रक्षा के लिए प्रयोग करते रहेंगे। जब भी हम महसूस करेंगे, हमारे साथ और जनता के साथ अन्याय हो रहा है हम इनका प्रयोग करेंगे। जो कुछ भी होने जा रहा है, इसके लिए हमें कतई अफसोस नहीं है। और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके लिए उन्हें हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विशालता दिखाई। हमें अफसोस है कि हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सके, आप चाहे जो हमें सजा दीजिये। जो हम कॉन्सटीट्यूशनल और लीगल मुद्दे उठा रहे थे, उनको उठाने का मतलब अपना बचाव करना नहीं था; मतलब यह था कि हम इन मुद्दों के बारे में जानना चाहते थे और सारे देश को बताना चाहते थे और इसीलिए हमने यहां पर ये सारी बातें और तर्क किये। आपको शायद मालूम होगा कि सही बात कहने के लिये ही सॉक्रेटीज को जहर पिलाया गया, प्रह्लाद को जलाया गया क्योंकि उसने सही बात अपने पिता को कह दी थी, जिसे अशिष्ट बताया गया था। और यही ध्रुव के लिए कहा गया। हमें भी राष्ट्रद्रोही कहा गया है, राष्ट्र का तिरस्कार करने वाला कहा गया है, अभद्र और अनैतिक कहा गया है। हम इन शब्दों को इतिहास पर छोड़ देते है। लेकिन जो हमने किया है वह उचित किया है। यह इतिहास में आज या कल में नहीं लिखा जायगा, उस समय न मैं होऊंगा और न लड्ढा जी होंगे। दो सौ, तीन सौ साल बाद इसका फैसला होगा। जिन समस्याओं के लिए, चीजों के लिए हम कहने को प्रवृत्त हुए थे और जो तथ्य रखना चाहते थे उनमें राज्यपाल महोदय की बगैर कोई अवज्ञा या अपमान किये हम दो शब्द कहना चाहते थे। लेकिन उसके लिये हमें यह दण्ड दिया जाता है, तो इसके लिए हम कांग्रेस पक्ष के सदस्यों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अन्याय ही क्रांति को जन्म देती है। इसलिए जितने ज्यादा आप अन्याय करेंगे उतनी जल्दी ही क्रांति होगी। और यह जो प्रस्ताव है, यह कांग्रेस के लोगों पर छोड़ते हैं। वे इस प्रस्ताव को पास करायें या नहीं करायें, यह उनका काम है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारा लक्ष्य है उसके लिये हम संघर्ष करते रहेंगे।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल–जयपुर) : एक प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न की आवश्यकता नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर......

श्री अध्यक्ष :–माननीय सदस्य !

सदन के समक्ष जो प्रस्ताव है उसे माननीय सदस्यों के पास वितरित किया जा चुका है, उसे पढ़ने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। इसमें बारह सदस्यों के नाम हैं; तीन सदस्य ऐसे हैं–सर्व श्री उमरावसिंह ढाबरिया, मोहन लाल सारस्वत और हरिशंकर–जो सदन में पिछले ३ दिनों से मौजूद नहीं हैं। प्रस्ताव में जो उनके ऊपर आरोप हैं और उनके बारे में जो कार्यवाही का प्रस्ताव है वह काफी गम्भीर है, इसलिए यह मैं उचित समझता हूं कि यह

Page No. 112

(श्री अध्यक्ष)
सदन स्वीकार करे कि इन तीनो सदस्यों को पहले अपनी बात कहने का मौका दिया जाय। इसलिए यह प्रस्ताव है इसमें से इन तीन माननीय सदस्यों को हटा कर जो बकाया नो माननीय सदस्य हैं, केवल उनके सम्बन्ध में सदन के समक्ष में प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : ऐसा मालूम होता तो सब गैर हाजिर हो जाते।

श्री रामकिशन व अन्य सदस्य : नहीं! नहीं !! हम कोई गैर हाजिर नहीं रहते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : अफसोस है, उसमें जनसंघ के कोई सदस्य नहीं हैं, नहीं तो गैर हाजिर रहते।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री रामप्रसाद लड्ढा ने पेश किया है उसमें जो संशोधन मैंने बताया, उसके साथ स्वीकार किया जाय।

(हां और केवल एक ना की आवाज)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब, एक · · · · ·

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मन्त्री) : ना पक्ष जीता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मतदान हो, उसके पहले दो शब्द में निवेदन करना चाहता हूं · · · · · ·

श्री बालकृष्ण (वित मंत्री) : हो गया, साहब !

कुछ माननीय सदस्य : हम मतदान नहीं चाहते।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे ख्याल से २६ तारीख जो घटनायें हुईं उनका खेद मैंने और मेरे दल ने प्रकट किया है। उस सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि गलत फहमी भी हुई है और "हां" और "ना" के झंझट के बीच में यह समस्या पड़ी। हमने बीच बचाव करने की कोशिश की। हम उस कोशिश को जारी रखेंगे। मुझे खेद है कि बहुत सारी बातें गत तीन दिनों में जो इस सदन में व्यक्त हुई हैं वे इस सदन को परम्परा और प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं हैं। राजस्थान के राज्यपाल की शान इस सदन और हमारी शान है · · · ·

(हियर-हियर)

किन्तु जो कुछ भी हुआ, आप अपनी हठधर्मी के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि जो व्यवस्था इस प्रस्ताव के अन्तर्गत दी गई हैं, वह अत्यधिक कठोर है और जिस हद तक जो दण्ड देने का प्रावधान है उससे मैं और मेरा दल सहमत नहीं होने के कारण हम अपनी असहमति प्रगट करते हुए बहिर्गमन करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर · · · ·

(स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

समाजवाद, प्रजा समाजवादी और साम्यवादी सदस्य : लोकतन्त्र जिंदाबाद ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : It can not be यह एक्सपंज किया जाय यह आपकी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

व्यवस्था के बाद हुआ है, आपकी व्यवस्था का विरोध है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह आवश्यक नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बीच में इसे रख सकते थे।

समाजवादी, प्रजासमाजवादी, और समाजवादी दल के निष्कासित सदस्य व अन्य सदस्य : (सदन से बाहर जाते हुए) लोकतन्त्र जिंदाबाद ! तानाशाही मुर्दाबाद ! लोकतन्त्र जिंदाबाद ! लोकतन्त्र अमर हो !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हम भी इसके भागीदार नहीं बनना चाहते।

(जनसंघ के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मुझे केवल एक बात कहनी है, वह यह है कि हम ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हुए हैं; ऐसे मौके पर मुझे एक कविता याद आती है......

श्री गिरधारीलाल व्यास (असीन्द) : इनके दल ने वाक आउट कर दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :

समय बड़ा बलवान,
कि जिसमें सब बह जाया करते हैं।
समय बड़ा बलवान,
कि जिसमें बच जाया करते हैं॥
समय बड़ा तूफान,
अचल पर्वत झुक जाया करते हैं।
अक्सर दुनिया के लोग,
समय-चक्कर खाया करते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं,
जो ऐश मनाया करते हैं।

जनतन्त्र जिंदाबाद !

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करता हूं।

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया)

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर २२ मिनिट पर गुरुवार, दिनांक ३ मार्च, १९६६ के म. प. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

जयपुर में नये स्पिनिंग मिल के लिए दी गई भूमि की शर्तें

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयपुर में एक नया स्पिनिंग मिल श्री पोद्दार को लगाने का लाइसेन्स कुछ वर्षों पहले दिया गया था ? क्या यह मिल लग गया है ? यदि हां, तो वह किस जगह पर लगा है और यह जमीन इनको किन शर्तों पर दी गई है ?

उत्तर

जी हां, श्री पोद्दार को नया स्पिनिंग मिल लगाने का लाइसेन्स दिया गया था। यह मिल चालू हो गया है। मिल जयपुर स्पिनिंग व वीविंग मिल की जमीन पर कुछ ही दूरी पर लगा है। दोनों मिलों के बीच जमीन के लीज डीड की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण से विधान पुस्तकालय में रखी गई है)

रानी (जिला पाली) में अस्पताल

८१. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि रानी (जिला-पाली) में जो कि पंचायत समिति का हैड-क्वार्टर होने के साथ साथ राजस्थान की एक मुख्य मंडी है तथा उसके आस-पास के १५ मील के क्षेत्र में कोई अस्पताल व चिकित्सा व्यवस्था नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ वर्ष पूर्व श्री हिंगड़ परिवार, रानी द्वारा अस्पताल बनाकर भेंट करने का प्रस्ताव होने पर राज्य सरकार ने रानी में अस्पताल खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी ?

(३) क्या यह सही है कि अस्पताल भवन निर्माण हेतु भूमि के टंटे को लेकर अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका था, पर अब पंचायत द्वारा भूमि प्राप्त होने के कारण उक्त व्यक्ति भवन निर्माण कराने को तैयार है और भवन के प्लान एवं नक्शे को विभागीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ?

(४) क्या सरकार वहां की जनता की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वहां शीघ्र अस्पताल खोलने की आज्ञा प्रदान करेगी।

उत्तर

१. जी नहीं। रानी (जिला पाली) के आस-पास १५ मील के क्षेत्र में निम्न चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

(१) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाडोल १० मील
(२) बाली चिकित्सालय, बाली १२ मील
(३) रानी मातृ सेवा सदन, रानी

२. जी हां।

३. जी हां। पंचायत समिति, रानी से उक्त अस्पताल भवन निर्माण हेतु नक्शे

(श्री चिकित्सा मंत्री)
प्राप्त होने पर विभागीय स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

(४) रानी में चिकित्सालय खोलने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत विचार किया जा सकेगा।

भीलवाड़ा में बर्तन बनाने के कारखाने और कच्चे माल का कोटा

८२. **श्री गणपतिलाल वर्मा** (माण्डलगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भीलवाडा नगर में बर्तन बनाने के कारखाने हैं जिन्हें कच्चे माल का कोटा दिया जाता है? यदि हां, तो इनके क्या क्या नाम हैं?

(२) क्या यह सही है कि इन कारखानों के मालिक अपने कारखानों में खुद काम न करा कर दूसरे दूकानदारों से काम कराते हैं? यदि नहीं, तो उनके कारखानों में कितने कितने मजदूर काम करते हैं?

(३) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर में हाथ से बरतन का खुद काम करने वाले मजदूरों की एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है? यदि हां, तो इन व्यक्तिगत कारखाने वालों के मुकाबले में इस सोसाइटी को कच्चे माल का कोटा कम दिया जाने का क्या कारण है?

उत्तर

१. जी हां। भीलवाड़े में बर्तन बनाने वाले कारखानों के नाम निम्नलिखित हैं:—

(१) बर्तन निर्माण सहकारी समिति लि०, भीलवाड़ा।

(२) राजस्थान मेटल वर्क्स, भीलवाड़ा

(३) मोती मेटल वर्क्स, भीलवाड़ा

२. जी नहीं, इन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या इस प्रकार है:—

(१)	राजस्थान मेटल वर्क्स करीब	२०
(२)	मोती मेटल वर्क्स	१२
(३)	बर्तन निर्माण सहकारी समिति	७ याद

३. जो हां, कच्चे माल का कोटा मजदूरों की संख्या के अनुसार दिया जाता है। चूंकि सहकारी समिति में काम करने वालों की संख्या कम है, इसी कारण उसको दूसरे कारखानों की अपेक्षा कम कोटा दिया जाता है।

विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति

८३. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के क्या नियम हैं? क्या यह सही है कि राजस्थान में कई विकास अधिकारी ऐसे हैं जिनका फिक्सेशन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है और जो आर.ए.एस. भी नहीं हैं?

(२) ऐसे विकास अधिकारी कितने हैं जो आर.ए.एस. नहीं हैं?

उत्तर

(१) विकास अधिकारी के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के व १० राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी नियुक्त करने

(श्री पंचायत मंत्री)

के नियम हैं। किन्तु प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण अन्य नॉन कैडर अधिकारी भी विकास अधिकारी लगाए हुए हैं। तहसीलदार सेवा के जो अधिकारी विकास अधिकारी का कार्य कर रहे हैं उनमें कुछ ऑफिशिएटिंग तहसीलदार भी हैं।

(२) ८६ विकास अधिकारी ऐसे हैं जो आर.ए.एस. नहीं हैं।

मेज नदी पर पुलिस का निर्माण-कार्य

८४. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी के समीप मेज नदी पर एक पुलिया का निर्माण का कार्य चल रहा है?

(२) यदि हां, तो अब तक इसका कितना कार्य हुआ एवं पूरा कार्य कब तक होने की संभावना है?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) पुलिया का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। एप्रोच रोड का कार्य प्रगति पर है। आशा है, यह कार्य मार्च, ६६ तक पूरा हो जावेगा।

फ्लोर मिल के लिए लाइसेन्स

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार ने किन किन व्यक्तियों को राजस्थान में फ्लोर मिल लगाने का लाइसेंस प्रदान कर रखा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त लाइसेंस में किन किन व्यक्तियों ने अभी तक फ्लोर मिल नहीं लगाई है?

(३) उक्त मिलों के न लगने से राजस्थान को भारत सरकार से मिलने वाले कोटे (quota) में कितने टन गेहूं प्रति माह का नुकसान हुआ है?

(४) बिना प्रयोग में लाई हुई लाइसेंसिंग कैपेसिटी को उपयोग में लाने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) उक्त लाइसेंसों में निम्नलिखित व्यक्तियों ने अभी तक फ्लोर मिल नहीं लगाए हैं :—

१. मै० भागीरथ कनोडिया कलकत्ता; पाली में।

२. मै० राव मनोहरसिंह बेदला; उदयपुर में।

३. मै० गुप्ता रोलर फ्लोर मिल; गंगानगर में।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मिलों को गेहूं का कोटा देना भारत सरकार की नीति पर निर्भर है।

(४) राज्य सरकार, बिना उपयोग में लाई गई कैपेसिटी को उपयोग में लाने के

(श्री उद्योग मंत्री)
लिये दूसरे नामों की सिफारिश समय समय पर करती रहती है।

सूची

व्यक्तियों की सूची जिन्हें राजस्थान में फ्लोर मिल लगाने का लाइसेंस भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है :—

१. मैं० आसाम रोलर फ्लोर मिल, जयपुर।
२. मैं० जयपुर रोलर मिल, जयपुर।
३. मैं० राजस्थान रोलर फ्लोर मिल, जयपुर।
४. मैं० भागीरथ कनोडिया, पाली।
५. मैं० राव मनोहरसिंह बेड़ला, उदयपुर
६. मैं० गुप्ता रोलर फ्लोर मिल, गंगानगर।

पंचायत समितियों में एकाउन्टेन्ट्स की नियुक्ति

८६. **श्री लक्ष्मी कुमारी चन्डावत** (भीम) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में हिसाब मुकम्मिल न रखने की आम शिकायत है और इसका एक खास कारण एकाउन्ट्स रखने वाले योग्य व्यक्तियों का न होना भी है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार वहां एकाउन्ट्स क्लर्क के स्थान पर एकाउन्टेन्ट रेंक के व्यक्ति की नियुक्ति पर विचार करेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) विचाराधीन है।

———

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २ मार्च, १६६६)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
५२०	६	लंबी	लम्बी
५२१	१६	बांसवाडा को तहसील	बांसवाड़ा की तहसील
,,	१७	वसूली को	वसूली की
,,	अन्तिम से ४	पाने का	पाने की
५२२	१३	(बर) :	(वैर) :
,,	२२	(पापलदा)	(पीपलदा)
५२३	शीर्ष	(श्री लक्षमीचन्द)	(श्री लक्ष्मीचन्द)
,,	१६	वैद्य श्री गोविन्द सहाय:	वैद्य श्री गोविन्दसहाय ।
५२५	११	मुआवजों का	मुआवजा
,,	२७, ३०	एक्जीक्यूटिव	एग्जीक्यूटिव
,,	२७	जायेंग	जायेंगे
५२६	१६	मैं	मैंने
५२७	१२	हो	दे
५२८	१७	सु शन	सजेशन
,,	१८	ी	ली
,,	अन्तिम से ५	खतों	खेतों
२६	२	अलाइनमन्ट	अलाइनमेन्ट
,,	१०	फर्म का अलाइनमेन्ट	फर्म अलाइनमेन्ट
५३०	२	भमि	भूमि
५३३	१०	न	ने
५३४	१७	६	६७
,,	२०	ठेक'	ठेका
,,	२२	ठका न	ठेकेदार मे
,,	२६	दशी	देशी
५३५	५	प्रोहिविशन	प्रोहिबिशन
५३६	८	बा य	बजाय
५३७	१६	म ने	माने
,,	२०	स झा	समझा
५३८	१८	केचमन्ट	कैचमेन्ट
,,	अन्तिम से २	वारे	बारे
५३६	२४	श्री योगेन्दनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हाँडा
५४०	अन्तिम से २	इसक	इसके
५४१	१	श्री मानिकचन्द सुराना	श्री मानिकचन्द्र सुराणा
,,	१२	आपन	आपने
,,	२०	बि द्यु त्	विद्युत
५४४	अन्तिम से ८	हले	पहले
५४६	२१	आडिनरी	ऑडिनरी
,,	अन्तिम से ६	मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री

१	२	३	४
५५०	८	एक्स्चेन्ज	एक्सचेन्ज
,,	१७	**श्री माणिकचन्द सुराणा**	**श्री मानिकचन्द सुराणा**
,,	२४	वल्क	बल्कि
५५२	२४	बतायेंगे	बतायेंगे
५५३	३	**श्री ज्वालाप्रसाद** (नसीराबाद) :	**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) :
५५५	अन्तिम से ६	कितन	कितने
,,	अन्तिम	रहता हूं, में जानता हूं	रहता हूं, मैं जानता हूं
५५६	२	हूं ।	हूं ।
,,	२३	जानकार	जानकारी
५५७	४	**श्री** योगेन्दनाथ हांडा	**श्री** योगेन्द्रनाथ हांडा
,,	११	विद्युत मंत्री,	विद्युत मंत्री
५६१	शीर्ष	(श्री रघुनाथ विश्नेई)	(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
५६२	८, १५	टेपरिकाडिंग	टेपरिकॉर्डिंग
,,	२२	मंजूरी	मंजूरी
,,	अन्तिम से ४	कमटो	कमेटी
५६४	१२	रिपाट	रिपार्ट
,,	१३	क्य	क्या
५६५	३	**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**	**श्री सतीशचंन्द्र अग्रवाल**
,,	११	करन	करने
,,	१२	मने	मैंने
,,	१७	सहा	सही
५६६	२१	आडिट	ऑडिट
५७१	१०	एतराजाता	एतराजात
५७७	शीर्षक	अ. स. के. ता. प्र.-२ मार्च, १९६६-अतारांकि प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर-२ मार्च, १९६६-अतारांकित प्रश्नोत्तर
५८० तक			
५८२	१६	आकषित	आकर्षित
५८३से५९८	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर- २ मार्च, १९६६-स्थगन-प्रस्ताव	क्रूड ऑइल का अभाव-२ मार्च, १९६६-संबंधी स्थगन–प्रस्ताव
५८३	अन्तिम से ४	छप्प	टप्प
,,	अन्तिम	तरफ स्थिति	तरफ यह स्थिति
५८४	२	मै	में
५८५	शीर्ष	करोल)	करोल)
५८६	१३	अनरस्थिति	अनुपस्थिति
५८८	२३	ह	है
५८९	३	हमन	हमने
,,	२३	संट्रल	सेन्ट्रल
,,	अन्तिम	ीं	नहीं
५९०	१	श्री रघनाथ विश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
,,	६	के	में
,,	६	सदस्य: बोलने	सदस्य बोलने

१	२	३	४
५९०	११	मुझ	मुझे
,,	२२	कूड	कूड़
५९१	२	हू	हूं
,,	६	(ग्रासपूर)	(ग्रासपुर)
५९२	८ व १४	कड	कूड़
५९३	३	इसम	इसमें
,,	१६	मैंने	मैंने
,,	२६	औ र	और
५९४	१६	नांथुरामजी	नाथूरामजी
५९६	४	काननी	कानूनी
५९७	३	मं	में
,,	१४	क	के
५९८	२५	पृनमिया	पूनमिया
,,	अन्तिम से ३	य	या
५९९से६००	शोर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर- २ मार्च, १९६६ स्थगन-प्रस्ताव	श्री मोहन पूनमिया की भूख-२ मार्च, १९६६-हड़ताल संबंधी स्थगन–प्रस्ताव
६००	अन्तिम से ४	श्रमाग्रायुक्त, कोटा न	श्रम ग्रायुक्त, कोटा ने
,,	,, ,, २	ग्रार	ग्रौर
,,	१४	विषेयक	विषयक
,,	अन्तिम	न्होने	उन्होंने
६०१	२१	रह	रहे
६०२	१	गंभोरता	गंभीरता
६०४	१७	कहंगा	कहूंगा
६०५	शोर्षक	स्ड्रां	स्ट्रों
,,	५	दृष्टोकोण	दृष्टिकोण
,,	८	मोलिटरियेट	पोलिटरियेट
६०६	२०	चाहिय	चाहिये
६०९	२०	एक श्री माननीय	एक माननीय
६११	अन्तिम से २	रस्म ा	रस्मी
६१२	२१	विधेयक	विषयक
,,	२२	स्वोकुत	स्वीकृत
६१३	२२	सक	सके
६१५	११	ग्रोर्डर	ग्रॉर्डर
,,	अन्तिम	सूर में	सूरत में
६१८	अन्तिम	नहीं कुछ	कुछ नहीं
६२१	६	नहीं ा सकता	नहीं जा सकता
६२३	२०	श्री नायराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
६२४	१३	कंसे	कैसे
६२६	३	च तावनी	चेतावनी
६२७	१	ह	हूं
,,	९	दुघ टना	दुर्घटना
६३७	शीषक	क	के

१	२	३	४
६३७	२३	कन्डक्टर	कन्डक्ट
६३६	८	(राजस्व मंत्री):	(पंचायत मंत्री)
,,	१५	न	ने
६४१	अन्तिम से ५	सम्बध	सम्बन्ध
६४३	८	भलिये	भूलिये
,,	२१	करन	करने
,,	२२	कहूंगा	कहूंगा
६४४	२	कायवाही	कार्यवाही
६४८	१२	लाग	लागू
,,	१६	रिर्टानिग	रिर्टानिग
६४६	अन्तिम से ५	इसमें	इसके
६५०	१	परिषद्पहकीली	परिषद् की पहली
,,	अन्तिम से २	:(खनिज मंत्री)	(खनिज मंत्री):
६५१	शीर्षक	माच	मार्च
६५२	१८	ाजस	जिस
६५४	१७	मुख्या मंत्री	मुख्य मंत्री
६५५	११	चिटठी	चिट्ठी
,,	१६	हैं	हूं
६५६	६	जा	जाते
,,	२४	क	कल
६५८	१०	श्री दामोदरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
६६१	१६	में	में
,,	२६	और	—
,,	,,	चाहता हूं . .	चाहता हूं।
,,	२७	श्री मानिकचन्द सुराणा	—
६६३	३	मझे	मुझे
,,	अन्तिम से ४	घर्टना	घटना
६६६	४	मिलगा	मिलेगा
,,	१३	खद	खुद
६६६	१४	निवदन	निवेदन
६७०	अन्तिम से ५	इन्वाल्व्ड	इन्वोल्व्ड
६७३	१३	डमोक्रेसी	डेमोक्रेसी
,,	१६	डेमोक्रंसी	,,
६७४	२२	लकिन	लेकिन
,,	२८	पदा	पैदा
,,	अन्तिम से २	हमन	हमने
६७७	,, ,, ३	छग्रो	छुग्रो
,,	अन्तिम	ईंटेरस्ट	इन्टरेस्ट्स
६८३	१६	देत।	देते।
६८४	१०,१६	गुलामहोम्मद	गुलाममोहम्मद
६८५	१	क	
,,	७	ह	यह
६८८	७	ग्राफ	ग्रॉफ

१	२	३	४
६८९	अन्तिम से ७	म	में
६९०	अन्तिम	इस ल	इसलिए
६९१	१०	आय असेम्बली म,	आये असेम्बली में
,,	१७	किय	किये
,,	२५	लड़	लड़े
६९२	अन्तिम से ६	ह	है
६९६	८	म	में
७००	३	मलगा	मिलेगा
७०१	२५	म	में
७०२	१८	,,	,,
७०३	शीर्ष	(श्री जयकृष्ण शर्मा)	(श्री जयकृष्ण शर्मा)
,,	९	क	के
७०४	१२	थ ?	थे ?
७०६	३	म	में
७०८	अन्तिम	या	क्या
,,	,,	भल	भला
७१०	१३	लती	गलती.
७१३	अन्तिम से ३	मुद्द	मुद्दे
७२०	६	मैंने	मैंने
,,	१८	रूलिग	रूलिंग
,,	३०	पर्सेंट	परसेन्ट
,,	अन्तिम	रोड्स	रोड्स
७२१	शीर्ष	(श्री समीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
,,	१३	नही	नहीं
,,	२१	श्री अम्बनमल बैद	श्री चन्दनमल बैद
,,	२३	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
७२२	२२	श्री सतीशचन्द अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
७२३	अन्तिम से ५, ४	कॉस्टीट्यूशनल	कॉन्स्टिट्यूशनल
७२४	अन्तिम से २	कॉस्टीट्यूशनली	कॉन्स्टिटयूशननली
,,	१	,,	,,
,,	१	त	तक
,,	६	प्रोसीक्यशन	प्रोसीक्यूशन
,,	१०	न	ने
७२५	७	कौंस्टीट्यूशनल	कॉन्स्टिट्यूशनल
,,	१५	क स्टीट्यूशन	कॉन्स्टिट्यूशन
७२६	३	इंटरशन	इन्टरप्शन
,,	१३	श्री योगन्द्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
,,	१७,१८	ऑब्जेक्शन	ऑब्जेक्शन
,,	अन्तिम से ३	द	दे
७२७	१	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
,,	अन्तिम से २	अटैक जाय	अटैक हो जाय
७२८	१६	क	के

७३०	६	बे	वे
,,	२०	कॉस्टिट्यूशनल	कॉन्स्टिट्यूशनल
,,	अन्तिम से २	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
७३२	१५	कॉस्टिट्यूशन	कॉन्स्टिट्यूशनल
७३३	२०	उहोंन	उन्होंने
,,	२६	रहीं	इन्हीं
७३६	१३	श्री वायप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	२५	धार बतइये।	धारा बताइये।
७३८	अन्तिम	लडढाजी	लड्ढाजी
७३९	३	सत्यग्रह	सत्याग्रह
७४०	१८,२१	श्री दुर्गालाल बाड्दार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
७४१	अन्तिम से १०	श्री सतीशचन्द्र अग्रबाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	२	श्री बालकृष्ण (वित्तमंत्री)	श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री):
७४२	३	महालराल श्री लक्ष्मनसिह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
,,	अन्तिम से ५	समाजवाद,	समाजवादी
,,	३	(नसीयाबाद	(नसीराबाद)
७४३	१२	श्री सतीशचन्द अग्रवाव	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
७४४	१३	(श्री मुकटबिहारोलाल	(श्री मुकुटबिहारीलाल
,,	अन्तिम से ४	कायवाही	कार्यवाही
,,	,, २	के म० प० ११ बजे	के म०.पू० ११ बजे
७५२	३	श्री लक्ष्मीकुमारी चन्डावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत.